मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

विशेषांक 2023

RNI Reference No.: 1322876 Title Code : MPHIN34795 Year : 6 Edition 25

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वन भवन का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर माननीय वन मंत्री डॉ. कुवर विजय शाह, श्री जे एन कांसोटिया अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश : टाइगर स्टेट

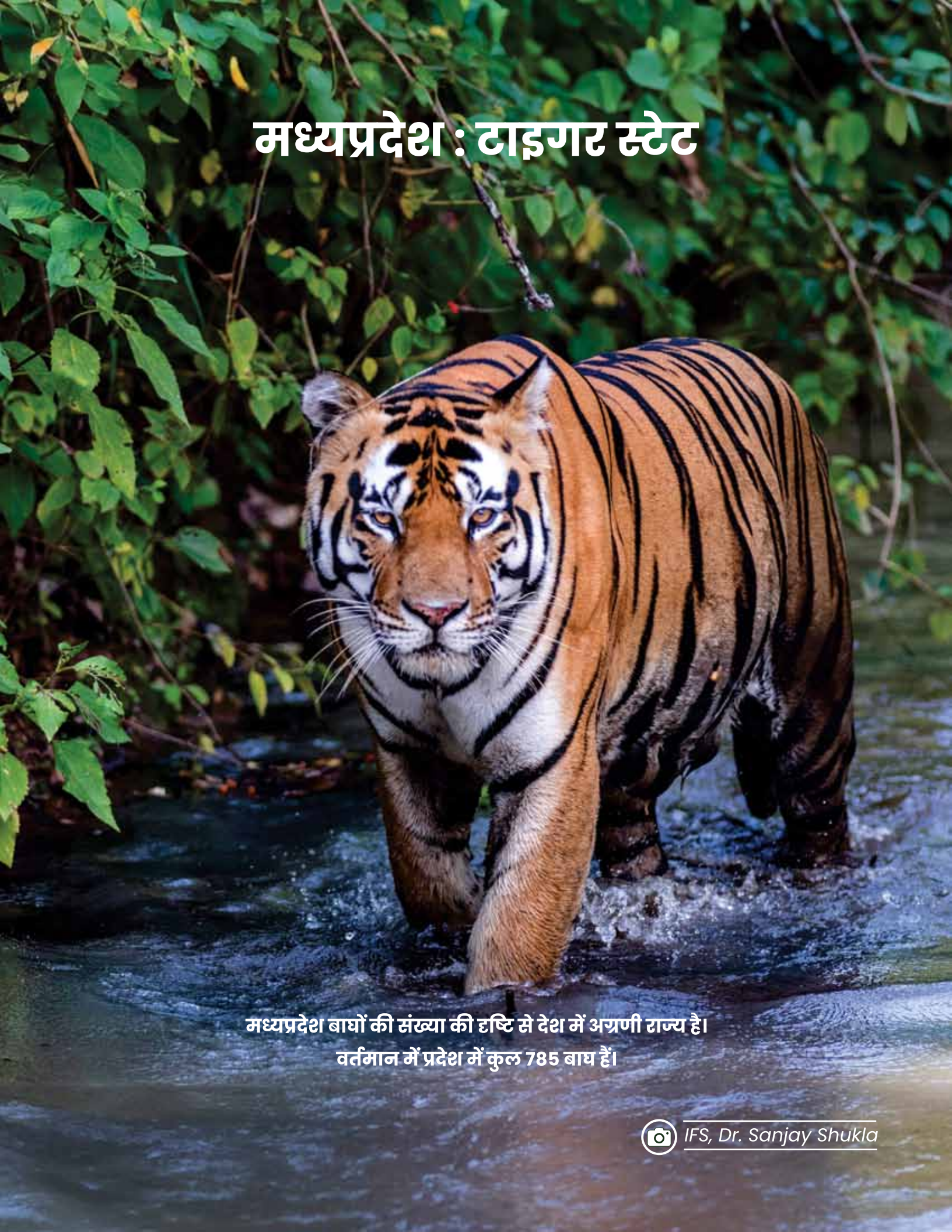

मध्यप्रदेश बाघों की संख्या की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्य है।
वर्तमान में प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं।

IFS, Dr. Sanjay Shukla

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

विशेषांक 2023

Patron :

Ramesh kumar Gupta

Principal Chief Conservator of Forests (HOFF),
Satpura Bhawan, Bhopal

Editorial Board :

P.K. Singh
Principal Chief Conservator of Forests (Research, Extension and Lok Vaniki)

Atul Kumar Shrivastav
Principal Chief Conservator of Forests (Biodiversity Board) Bhopal

Mahendra Singh Dhakad
Additional Principal Chief Conservator of Forests & CEO (CAMPA)

Dilip Kumar
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(M.P. State Minor Forest Produce Trading & Development Co-operative Federation)

Vivek Jain
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Madhya Pradesh Rajya Van Vikas Nigam Limited)

S.P. Sharma
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Green India Mission)

Satyanand
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)

Sameeta Rajora
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Eco Tourism Board)

B.S. Annigeri
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research, Extension and Lokvaniki) Bhopal

Jitendra Gupta
DCF (Research, Extension and Lok Vaniki)

B.K. Dhar
Prachar Adhikari(Samanvay)

Editor :

Dr. U. K. Subuddhi
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Development)Bhopal

Prachar Prasar Prakosth Team :

Deepak Meshram
Gaurav Rajput
Pratyush Dixit

Owner & Publisher :

Prachar Prasar Prakosth (M.P.F.D.)
Printed by Madhya Pradesh Madhyam
Bhopal

Contact :

Prachar Prasar Prakosth, Room no. A-30,
3rd Floor, Van Bhawan, Bhopal
Email : defpracharprasar@mp.gov.in
Contact : 07552524293

शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश

संदेश

"माता भूमि पुत्रोंहं पृथिव्या"- अर्थात पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इसकी संतान हूँ, ये भारतीय संस्कृति भी है और संस्कार भी। प्रगति के मार्ग पर प्रकृति को पीछे छोड़ने के गम्भीर परिणाम विश्व भुगत रहा है । यदि अब हमने अपनी भूल का सुधार करना प्रारम्भ नहीं किया, तो धरती हमारी आने वाली पीढ़ी के लायक नहीं बचेगी। ये हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम धरती के श्रृंगार वनों का संरक्षण करें, पौधारोपण करें और अपनी वसुधा को रहने के लायक बचाए रखें।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मध्यप्रदेश, देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्यप्रदेश की धरा वन सम्पदा एवं जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी के मार्ग दर्शन में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार विशेषतः वन विभाग ने सम्पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है । वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं विकास के प्रति जन चेतना को पल्लवित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 'वन महोत्सव, वन्यप्राणी सप्ताह तथा विश्व पर्यावरण दिवस' इत्यादि का आयोजन किया जाता रहा है।

वन विभाग की पत्रिका "वनांचल संदेश" में मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनोन्मुखी योजनाओं तथा गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण सराहनीय है। प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा मूल मंत्र है। आइए, हम सभी पर्यावरण को समृद्ध करने के इस पुनीत पर्व का हिस्सा बनें और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ वातावरण देने में अपना अधिकतम योगदान दें।

वन विभाग के सफल प्रयासों एवं इस विशेषांक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)

मुख्यमंत्री

डॉ. कुँवर विजय शाह
वन मंत्री
मध्यप्रदेश

संदेश

मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र देश के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। वन सम्पदा तथा जैवविविधता की दृष्टि से मध्यप्रदेश सम्पन्न राज्य है। वर्तमान में मध्यप्रदेश को पुनः **"टाइगर स्टेट"** का दर्जा प्राप्त हुआ, जो प्रदेश के लिए बड़े गर्व का विषय है। वन विभाग वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता है।

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का आयोजन सच्ची निष्ठा और तत्परता के साथ किया जा रहा है। जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष वनांचल वासियों एवं युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोज़गार के नए अवसर प्रदान करने में विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय है।

विभागीय पत्रिका **"वनांचल संदेश"** के इस विशेषांक में वन विभाग के अथक प्रयासों को बड़े ही रोचकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदेश वासियों के मन में वन एवं वन्यजीव के प्रति संरक्षण एवं संवर्धन के दिशा में सकारात्मक भाव जागृत करने में सफल होगी।

वन विभाग के सफल प्रयासों एवं विशेष संस्करण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ. कुँवर विजय शाह)
वन मंत्री

राहुल सिंह लोधी
राज्यमंत्री वन

संदेश

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। वानिकी विकास एवं विस्तार से वनवासी कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में जन-भागीदारी के द्वारा वानिकी गतिविधियों के क्रियान्वयन से वानिकी विकास एवं संवर्धन के बेहतर परिणाम मिले हैं, इस दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को वनांचल संदेश के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश पत्रिका, शासन की नीतियों के अनुरूप प्रदेश में संचालित विभिन्न वानिकी गतिविधियों के साथ ही कार्यों के आत्म विश्लेषण का मंच उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही वन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सुझावों के माध्यम से वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त होता है। विभाग के इस प्रकाशन ने विभाग के कार्यों को अभिलेखित करने के साथ ही वानिकी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बीच बेहतर संवाद बनाने का अवसर प्रदान किया है।

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश के प्रकाशन की यह श्रृंखला विभाग की विभिन्न गतिविधियों को एक मंच उपलब्ध करा पाई है जिसका सीधा लाभ वानिकी के विभिन्न आयामों में जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थानों को हुआ है।

वनांचल संदेश के इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं।

राहुल सिंह लोधी
राज्यमंत्री वन
मध्यप्रदेश शासन

(जे. एन. कांसोटिया)
अपर मुख्य सचिव

संदेश

वृक्ष धरती का अनमोल उपहार है। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण के माध्यम से हम समाज को जागरूक बना सकते हैं। यदि हम सभी मिलकर अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाएं, तो हम समूचे विश्व को एक स्वस्थ और खुशहाल वातावरण दे सकते हैं।

मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जो वन संपदा के मामले में काफी समृद्ध है। वर्तमान में मध्यप्रदेश "वन प्रदेश, चीता स्टेट, टाइगर स्टेट" जैसी अतुल्य उपलब्धियों को धारण किया हुआ है जो प्रदेश के वन एवं वन्यजीवों की समृद्धता एवं सम्पन्नता को प्रदर्शित करती है। प्रदेश के वनावरण की वृद्धि तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन में वन विभाग, जन- सामान्य के साथ मिलकर सम्पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

विभागीय पत्रिका वनांचल संदेश "विशेषांक" में वन विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित जनोन्मुखी योजना एवं जन सामान्य को इससे होने वाले लाभ तथा योजना की अद्यतन उपलब्धियों का अत्यंत रोचकपूर्ण ढंग प्रस्तुतिकरण सराहनीय है ।

वनांचल संदेश "विशेषांक" पत्रिका को तैयार करने वाले संपादक दल को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।

(जे. एन. कांसोटिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

रमेश कुमार गुप्ता
(भा.व.से.)

संदेश

वन संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश में वन एवं वनवासी एक दूसरे के परिपूरक है। वन्यप्राणी प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की अलग पहचान स्थापित हुई है। प्रदेश का वन आवरण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि सम्पूर्ण देश के विकास एवं सम्पन्नता के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्थलों में विकास गतिविधियों के संचालन करने वाले विकास विभागों में वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्री शिवराज सिंह चौहान के कर-कमलों द्वारा विभाग के नवीन एवं विशाल **"वन भवन"** का लोकार्पण किया गया, जो विभाग की आधुनिकता एवं भव्यता की झलक प्रस्तुत कर रहा है।

वनांचल संदेश के इस विशेषांक के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों तथा जन- सामान्य को उनसे होने वाले लाभांश को दर्शाने का प्रयास प्रशंसनीय है। वनों के विकास एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये सफलतम प्रयास तथा विभाग की उपलब्धियों को इस प्रकाशन के माध्यम से जन-साधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

वन विभाग ने विगत वर्षों में संयुक्त वन प्रबंधन, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, जनजातीय कौशल विकास, उत्कृष्ट पौध निर्माण, जैव विविधता संरक्षण, कृषि क्षेत्र बांस रोपण, वन्य प्राणी संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम रचे हैं।

वन विभाग के सफल प्रयासों एवं विशेष संस्करण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

रमेश कुमार गुप्ता
(भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश

प्रमोद कुमार सिंह
भा.व.से.

संदेश

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल हुई है, जिसका लाभ प्रदेश वासियों को मिल रहा है। वन तथा प्रकृति के प्रति जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्य तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा महत्वता को बनाए रखने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

इस विशेषांक में विभाग की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें वानिकी विकास के बढ़ते कदम, वन समितियों का सम्मेलन, वन एवं वन्यजीव संरक्षण जागरूकता अभियान, वन समितियों की सफलता का उल्लेख, विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित विभिन्न गतिविधियां आदि वन एवं वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन तथा विकास में प्रमुख प्रेरणादायक स्त्रोत के रूप में प्रस्तुत हैं।

आशा है कि, प्रदेश को हरा-भरा बनाये रखने में तथा वन्य जीवों के संरक्षण में वन विभाग के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठन, जन सामान्य के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ करते रहेंगे।

इस सराहनीय प्रयास के लिए पत्रिका के सम्पादक मंडल को शुभकामनाएं।

प्रमोद कुमार सिंह
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
म.प्र. भोपाल

डॉ. यू. के. सुबुद्धि
भा.व.से.

सम्पादकीय

वनांचल संदेश के प्रस्तुत विशेषांक कई मायने में एक नयेपन का समावेश है। इस विशेषांक में वन विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित जनोन्मुखी योजना एवं जन सामान्य को इससे होने वाले लाभ तथा योजनाओं की अद्यतन उपलब्धियों का समावेश किया जा रहा है। क्षेत्रीय, वन्यप्राणी, अनुसंधान एवं विस्तार एवं विभाग की अन्य शाखाओं में पदस्थ वन कर्मचारियों एवं वन समितियों के द्वारा किये गये प्रयासों की प्रस्तुति वनांचल संदेश का प्रमुख उद्देश्य भी है।

इस अंक में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भव्य एवं विशाल वन भवन का लोकार्पण प्रमुख आकर्षण का केंद्र है । प्रस्तुत अंक वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन, विभाग द्वारा कौशल विकास की पहल, म.प्र. राज्य जैवविविधता द्वारा संचालित गतिविधियां, पथरीली पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, वृक्षों के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान तथा वन समितियों की सहभागिता, वन विभाग की उत्कृष्ट उपलब्धियों को दर्शाता है।

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश को वन कर्मियों की सकारात्मक भागीदारी से चलने वाला एक जीवंत संदेश वाहक बनाने की हमारी कोशिश है। क्षेत्रीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने में विभागीय सहयोग की जानकारियां साझा करें। आशा है कि आप सभी के सहयोग से वन विभाग की उल्लेखनीय गतिविधियों को जनसाधारण तक पहुंचाने, वनों, वन्यप्राणियों और वनवासी समुदायों के कल्याण की राह आसान होगी।

शुभकामनाओं सहित।

डॉ. यू. के. सुबुद्धि
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
विकास
म. प्र. भोपाल

अनुक्रमणिका

- मध्यप्रदेश में वानिकी विकास के बढ़ते चरण 1
- भव्य एवं विशाल वन भवन का लोकार्पण 6
- राज्य वन शहीद स्मारक (वन भवन भोपाल) का लोकार्पण 11 सितम्बर, 2023 8
- प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण - सह - जागरूकता तथा तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम 10
- लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.-पार्क) द्वारा लघु वनोपजों के क्रय से संग्राहकों का आर्थिक स्वावलंबन 12
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल-2.0) योजना 2022 16
- प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के हितलाभ 17
- 9वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला : क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (20-26 दिसम्बर 2022) 19
- अधोसंरचना विकास : मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ 20
- एकलव्य शिक्षा विकास योजना 22
- महुआ : ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ 23
- वन धन विकास केंद्र : आदिवासी जीवन के लिए वरदान 26
- वनांचल में वन विभाग द्वारा कौशल विकास की पहल 29
- सफलता की कहानी : वनों में आग लगने की घटनाओं पर अंकुश लगाकर दक्षिण बैतूल 36 (सामान्य) वनमंडल बना "अग्निवीर" 41
- सफलता की कहानी : अभिनव पहल - वन समितियों के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं 39 की शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लासेस की स्थापना 44
- "अंतरराज्यीय सागौन तस्करी की जप्ती में की गई सफलतापूर्वक कार्यवाही" 46
- कैम्पा अंतर्गत आस्थामूलक कार्य (EPA) - ग्राम विकास का माध्यम 49
- आदिवासी बच्चों के लिये सुदूर वनग्राम में पुस्तकालय औबेदुल्लागंज वनमंडल की अभिनव पहल 53
- माननीय प्रधानमंत्री के मिशन लाईफ से संबंधित वैश्विक जन आंदोलन में मध्यप्रदेश (वन विभाग) ने हासिल किया दोगुना लक्ष्य 56
- संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की वन सुरक्षा में भागीदारी : ग्राम वन समिति मनेरी, वन परिक्षेत्र निवास (सा.) 57
- संयुक्त वन समिति वन प्रबंधन के अंतर्गत वन समिति नयेगांव द्वारा बांस वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं विदोहित कार्य कक्ष क्रमांक - 236 की सफलता की कहानी - ग्राम वन समिति नयेगांव 61
- उमरिया इसरा ग्राम वन समिति, पूर्व छिंदवाडा वन मण्डल 65

- मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन : प्रदेश में बांस क्षेत्र विकास हेतु संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का विवरण एवं सफलता की कहानियां 67
- स्वैच्छिक पुनर्वास (विस्थापन) सतपुडा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम (म.प्र.) 78
- वन क्षेत्र से लेंटाना उन्मूलन एवं आजीविका विकास 83
- इकोपार्क मुकुन्दपुर की मनोरंजन गतिविधियों का संचालन 85
- आत्मनिर्भरता की उड़ान : ग्राम वन समिति बरौदिया नौनागिर द्वारा उत्कृष्ठ प्रबंधन - आंवला वनक्षेत्र उत्तर वन मंडल सागर 89
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश : सीताफल बना वनवासियों के आजीविका का प्रमुख आधार 91
- भावी पीढ़ी को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का सार्थक एवं सफल प्रयास - अनुभूति 92
- इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रचार प्रसार 100
- "कृषि वानिकी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 102
- सी.एस.आर. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा प्रदाय करने हेतु आयोजित कार्यकम अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी शाखा, मध्यप्रदेश, वन विभाग 105
- ISO प्रमाणित प्रदेश की पहली रोपणी - बांसापुर, इकाई सीहोर, सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल 108
- बीज जीन बैंक स्थापना के माध्यम से मध्य भारत के वन आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण 111
- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के अंतर्गत प्रदत्त जनहानि / जनघायल / पशुहानि/ पुशघायल क्षतिपूर्ति राशि 113
- कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में गौर का सफलतापूर्वक स्थानांतरण 114
- प्रथम पक्षी सर्वेक्षण 2023 - संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी 120
- अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी सम्मेलन 122
- वन विभाग में विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) के अभ्यार्थियों की भर्ती 126
- निस्तारण नीति के तहत प्रदेश में निस्तार सुविधा का प्रदाय 127
- काष्ठ चिरान अधिनियम का सरलीकरण 129
- म.प्र. वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वनोपज के निर्बाध परिवहन हेतु ऑनलाइन एन. टी. पी. एस व्यवस्था 130
- मानव संसाधन विकास शाखा के अंतर्गत किये गये कार्य 131
- सांस्कृतिक वन मध्यप्रदेश वन विभाग 133
- मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आयोजित जैवविविधता कार्यक्रम 136
- भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति 142

मध्यप्रदेश में वानिकी विकास के बढ़ते चरण

वन विभाग की विशेष उपलब्धियां

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश -

प्रदेश में बांस गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन के लिये 20 क्लस्टरों में बांस की विभिन्न प्रजातियों के रोपण पूर्ण हो चुका है। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना 72 प्रतिशत एवं कौशल उन्नयन 54 प्रतिशत हो चुका है। पन्ना आंवला 100 प्रतिशत तथा पातालकोट शहद की जीआई टेगिंग हेतु वैज्ञानिक अध्ययन 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 100 प्रतिशत अध्ययन पूर्ण होने पर टेगिंग हेतु आवेदन दिया जा चुका है। वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास तथा विशिष्ट वनोपज वाले 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर 100 प्रतिशत वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। 86 वन धन विकास केन्द्रों के चयनित हितग्राहियों को प्रसंस्करण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। 43 वनधन केन्द्रों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा कुल 32 लघुवनोपज प्रजातियों को समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत तीन वर्षों में वन समितियों के लक्ष्य के अनुरूप पांच हजार माइक्रो प्लान तैयार किये जा चुके हैं।

एक जिला एक उत्पाद -

एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के 06 जिले चयनित किये गये है, जिसमें बैतूल जिले में सागौन, देवास, हरदा एवं रीवा में बांस तथा अलीराजपुर एवं उमरिया जिले में महुआ उत्पाद को विकसित किया जायेगा। महुआ उत्पादन के लिए चयनित अलीराजपुर तथा उमरिया जिलों में हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया जारी है। इन जिलों में वनोपज के उत्पादन हेतु बाह्य स्थलीय वृक्षारोपण किया जाएगा।

बांस हेतु चयनित तीन जिलों के लिये पांच वर्षीय रोड मेप तैयार कर उपलब्ध बांस संसाधनों के अनुसार लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23 में तीनों जिलों में 1100 हेक्टेयर रोपण लक्ष्य के विरूद्ध 1530 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में वन क्षेत्रों में मनरेगा योजना में 250 हेक्टेयर रोपण लक्ष्य के विरूद्ध 650 हेक्टेयर तथा वन विभाग की योजनाओं में 750 हेक्टेयर रोपण लक्ष्य के विरूद्ध 1220 हेक्टेयर में बांस रोपण करा लिया गया है।

जागरूकता अभियान -

वन तथा वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। हरियाली महोत्सव, वन्यप्राणी सप्ताह, अनुभूति जैसे अनेक आयोजन किये जा रहे हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मिशन लाइफ के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वन विभाग को सम्मानित किया गया है। विभाग द्वारा 38 हजार 428 गतिविधियां पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की गई है। इस आयोजन में 15 हजार 628 वन समितियों, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यक्रम कर एक लाख 22 हजार 736 एक्शन इवेंट्स में छः लाख 27 हजार 974 लोगों द्वारा भागीदारी की गई।

म.प्र. इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा संपादित अनुभूति कार्यक्रम पूरे देश में एक मात्र कार्यक्रम है, जिसके द्वारा शाला विद्यार्थियों को जंगल में भ्रमण करवा कर प्रकृति से जोड़ते हुए संवहनीय जीवन की प्रेरणा दी जाती है। इस वर्ष 472 परिक्षेत्र में 944 कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें एक लाख 18 हजार से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागिता की गई है।

वानिकी एवं रोजगार -

आजीविका एवं आमदनी के लिए स्वयं के उपयोग हेतु प्राप्त होने वाली वनोपजों के अलावा विभिन्न वानिकी गतिविधियों जैसे- वन सुधार, विदोहन, लघुवनोपज का संग्रहण एवं इकोपर्यटन से स्थानीय समुदायों हेतु प्रतिवर्ष चार करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होता है।

वानिकी गतिविधियों के अलावा वन आश्रित समुदायों की युवा पीढ़ी को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल उन्नयन एवं उद्यमशीलता हेतु प्रशिक्षण कराए जाते हैं। विगत दो वर्षों में इन गतिविधियों से लगभग पांच हजार युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने एवं नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

उद्यमशीलता एवं रोजगार के अवसरों को विस्तारित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों के लिए काष्ठ चिरान अधिनियम के अंतर्गत सर्कुलर आरा (12 इंच तक) इस्तेमाल करने की छूट प्रदान की गयी है, इससे काष्ठ आधारित उद्यमों में स्वरोजगार पाने वाले लोगों को लाभ होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बैतूल जिले में काष्ठ आधारित औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

प्रशिक्षण सह क्षमता विकास -

इकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य इकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है। इकोपर्यटन स्थलों पर नवीन / कार्यरत स्थानीय समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं जैसे - गाइड, ड्राइवर, प्रकृतिविद् कुकिंग हाउसकीपिंग आदि में युवक/ युवतियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में तीन वनमंडलों रायसेन, सेंधवा, एवं श्योपुर में चार कौशल उन्नयन कार्यक्रम (असिस्टेंट / हेल्पर इलेक्ट्रीशियन और मोटर विंडिंग, सिलाई, टू व्हीलर मैकेनिक एवं पारम्परिक चित्र कला) में 138 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

वन विकास -

प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। वर्षा ऋतु 2023 में वन विकास निगम सहित चार करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किये जाने का लक्ष्य है।

वन विभाग द्वारा प्रदेश में उज्जैन, सतना, छतरपुर तथा भोपाल जिले में "सांस्कृतिक वन" क्रमशः महाकाल वन (उज्जैन), विरासत वन (खजूराहों, पण्डित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांकृतिक वन (भोपाल) एवं श्री राम वन (चित्रकूट) में बनायें जा रहे है। इन सांस्कृतिक वनों में स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार आरोग्य वन, नक्षत्र वन, राशि वन, सप्तऋषि वन, रामवन आदि थीम आधारित पार्क बनाए जाएंगे। ये सांस्कृतिक वन लगभग पांच हेक्टेयर क्षेत्र में होगें और पर्यटकों के लिये पर्यावरण एवं संस्कृति के केन्द्र बिन्दु होंगे।

वन रोपणियों में पौध तैयारी -

प्रदेश में स्थापित 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की 171 रोपणियों है। वर्ष 2023 के रोपण हेतु विभागीय योजना अंतर्गत 1.61 करोड़ तथा कैम्पा योजना अंतर्गत 2.75 करोड़ विभिन्न प्रजातियों के पौधों की तैयारी तथा 30 हजार 800 सागौन बेड्स एवं सात हजार 800 बांस बेड्स की तैयारी प्रचलित है।

निजी क्षेत्र में वानिकी प्रोत्साहन -

विस्तार वानिकी योजना के अंतर्गत वर्षाऋतु वर्ष 2022 में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के नौ लाख 16 हजार पौधों का रोपण किया गया। विभिन्न सुरक्षा बलों के माध्यम से भी तीन लाख छः हजार पौधों का रोपण किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन -

प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन के तहत ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति तथा इको विकास समितियां गठित हैं। वन समितियों की कुल संख्या 15608 है। महिला सशक्तिकरण के तहत वन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत

महिलाओं की सदस्यता आरक्षित है तथा समितियों के अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति भी अनिवार्य है। **वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रू. 55 करोड लाभांश की राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदान की गयी है। इससे स्थानीय समुदायों की संवहनीय वन प्रबंध सुनिश्चित होगा। वर्ष 2023-24 में 160 करोड़ लाभांश शीघ्र ही वितरण किया जाएगा।**

सूचना प्रौद्योगिकी -

ई-गवर्नेस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व सर्वविदित है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है। विभाग के कार्यों को सुचारू बनाने के लिए कई एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है।

वन संरक्षण -

वन विभाग वन सुरक्षा और अवैध कटाई को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है। वन अपराधों की गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिये मुखबिर तंत्र को प्रभावी बनाया गया है। वन अपराधों की समय सीमा में विवेचना के अनुश्रवण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

वन अपराधों की रोकथाम हेतु वृत्त मुख्यालय पर उड़नदस्ता कार्यरत है। वन सुरक्षा में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सहायता भी ली जाती है। नवीन अतिक्रमण होने की सूचना प्राप्त होने पर अतिक्रमण को बेदखल करते हुये नियमानुसार वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

संवेदनशील क्षेत्रों में 329 वन चौकियां, चार जल चौकियां, 387 बैरियर तथा 53 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित हैं। वन सुरक्षा हेतु मैदानी अमले को 12 बोर की 3157 बंदूकें, 900 बायनाकुलर, 4500 मोबाइल सिम दी गई हैं। वन क्षेत्रपालों को 286 रिवाल्वर उपलब्ध कराये गये हैं। विभाग में विशेष सशस्त्र बल की तीन कंपनियां कार्यरत हैं।

निस्तार व्यवस्था -

प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों को बांस, बल्ली तथा जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2022 में निस्तार के तहत 17 लाख सात हजार नग बांस, सात हजार नग बल्ली तथ 50 हजार जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये हैं । **निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/ बसोड़ों को छ: करोड़ 72 लाख रूपये की रियायत दी गई।**

वन उत्पादन -

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से राजस्व अर्जन में उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। विदोहन वर्ष 2022-23 में अभी तक एक लाख 99 हजार घनमीटर ईमारती काष्ठ, एक लाख 25 हजार नग जलाऊ चट्टे का उत्पादन हुआ है तथा वर्ष 2022-23 में 1397 करोड़ रूपये (जीएसटी अतिरिक्त) का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023-24 के लिए 1650 करोड़ रूपये लक्ष्य निर्धारित है।

वन्यप्राणी प्रबंधन -

प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य स्थित है। प्रदेश में नये क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ वन्यजीव पर्यटन द्वारा ग्रामीणों को उनकी आजीविका के साधन भी उपलब्ध हो रहे है। मध्यप्रदेश के वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र में भ्रमण के लिए बेहतर सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में वन्यप्राणी प्रबंधन के कई पहलुओं पर किये जा रहे कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 785 बाघ है, जिससे प्रदेश को बाघ राज्य का गौरव प्राप्त है। मध्यप्रदेश को बाघ प्रदेश की पहचान मिलने के बाद देश के 26 प्रतिशत तंदूओं की संख्या 3421 के साथ मध्य प्रदेश तेंदुआ प्रदेश भी बना है। इसके अलावा 2000 घड़ियाल, 9446 गिद्ध तथा 772 भेड़िए पाये जाने का गौरव और मध्य प्रदेश को प्राप्त है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को छोड़ा गया था। दिनांक 18.02.2023 को 12 चीते दक्षिण अफ्रिका से लाकर कूनों राष्ट्रीय उद्यान में लाये गये है। **परियोजना प्रबंधन संस्थान ने वर्ष 2022 की सबसे प्रभावशाली 20 परियोजनाओं की सूची में चीता परियोजना**

को स्थान दिया है। संस्थान के अनुसार चीता परियोजना के लिए वन विभाग द्वारा किया गया कार्य प्रमुख वैश्विक पहल के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया है।

वन्यप्राणियों द्वारा पहुंचाई जा रही जनहानि एवं पशुहानि हेतु विभाग त्वरित क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा रहा है। राज्य शासन द्वारा वन्यजीवों के हमले में जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी) के प्रकरणों में आठ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल के पश्चात ईलाज के दौरान हुई हो, उस स्थिति में ईलाज पर हुआ वास्तविक व्यय प्रदान किया जाएगा। पूर्व में इन प्रकरणों में चार लाख रुपये देने का प्रावधान था।

केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन में देश के टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। दो नए टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मे टाइगर और संजय टाइगर रिजर्व में बाइसन का पुनर्स्थापन किया जा रहा है । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारासिंघा का पुनर्स्थापन किया जा रहा है।

वन भूमि व्यपवर्तन -

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वर्ष 2022-23 में 35 प्रकरणों में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 24 प्रकरणों में 86747 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है ।

कैम्पा योजना -

वर्ष 2022-23 में कैम्पा अंतर्गत 729.37 करोड़ रूपये की राशि उपयोग की गई है, जो कि विगत वर्षों में सर्वाधिक है। उक्त राशि से क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत 16 हजार 365 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है तथा एन.पी.व्ही. अंतर्गत 31 हजार 058 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ विगत वर्षो के वानिकी कार्यों के रखरखाव, अन्य अधोसंरचना विकास के कार्य, वन्यप्राणियों के रहवास विकास, रोपणी में पौधा तैयारी एवं उन्नयन कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में कैम्पा अंतर्गत 860.97 करोड़ रूपये की कार्य आयोजना स्वीकृत की गई हैं।

ग्रीन इंडिया मिशन -

4700 हेक्टेयर क्षेत्र तैयारी 16,759 हेक्टेयर वन क्षेत्र रख रखाव कार्य किये गए। वानिकी कार्यों से तीन लाख 50 हजार मानव दिवस रोज़गार सृजित किये गए।

इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट -

3624 हेक्टेयर (600 हे. क्षेत्र रोपण, 3024 हे क्षेत्र मेंटेनेंस) वन क्षेत्र उपचारित किया गया। इसी प्रकार 2,30,500 पौधों का रोपण किया गया। विभिन्न रोज़गार मूलक प्रशिक्षण जैसे लाइट मोटर वेहिकल ड्राइविंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर (टू व्हिलर) 60 युवाओं को प्रदान किये गए।

नगर वन योजना के तहत प्रदेश के नगर ग्वालियर तथा भोपाल के लिए योजना स्वीकृत की गई है। इन जबलपुर, दोनों नगर वन योजना के अंतर्गत 15 नगर वन ग्वालियर, भोपाल, राजधानी परियोजना भोपाल, दक्षिण सागर, देवास, सतना, सिगरौली, कटनी एवं उज्जैन में नगर वन कार्य प्रगति पर है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 -

वन विभाग के पाच योजनाओं को लोक सेवाओं के अंतर्गत लिया गया है। इनके तहत वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान, वन प्राणियों से जनघायल हेतु राहत राशि का भुगतान, वन्यप्रणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि का भुगतान, मालिक मकबूजा प्रकरण (पृथक लाट) में भुगतान तथा मालिक मकबूजा प्रकरण (डिपो के काष्ठ के साथ) में भुगतान सम्मिलित है।

लघु वनोपज संघ -

वर्ष 2022 से राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी दर 2500/- रूपये प्रति मानक बोरा से बढाकर रूपये 3000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 11.93 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित कराया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित की गई मात्रा हेतु राशि रूपये 357.90 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में उनके

खाते में ई-पैमेंट के माध्यम से भुगतान की गई।

राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत् जूता, चप्पल, पानी की बॉटल, साड़ी एवं छाता वितरण की स्वीकृती दी गई है। म.प्र. राज्य लघु वनोपज) व्यापार एवं विकास (सहकारी संघ मर्यादित द्वारा इस कार्य के लिये वन विकास एवं अधोसंरचना मद में उद्भूत ब्याज की राशि का उपयोग किया जायेगा।

तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन वर्ष 2021 हेतु 825 समितियों में कुल प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि की गणना 234 करोड़ की गयी। इसमें 197.84 करोड़ की राशि तत्काल वितरण योग्य थी जो कि विमुक्त की जा चुकी है।

प्रदेश से 200 टन महुआ 110 रूपये प्रति किलो की दर से लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। अनुबंधित महुआ की आपूर्ति वर्ष 2023 में की जानी है, जिसके लिए उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी और खंडवा जिला यूनियन के साथ अनुबंध किया जा चुका है।

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्राहक समुदायों में संचार, पेयजल एवं सामाजिक अधोसंरचना विकसित करने के अलावा एकलव्य शिक्षा विकास योजना के तहत 2207 विद्यार्थियों को राशि 2.46 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला -

9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन “लघु वनोपजों से आत्मनिर्भरता" थीम पर दिनांक 20 से 26 दिसम्बर, 2022 तक भोपाल में किया गया। वन मेले के दौरान 12 राज्यों के अतिरिक्त नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व रहा। लगभग 2.5 लाख लोगों ने मेले का अवलोकन किया। इस अवधि में तीन करोड़ 16 लाख रूपये की वनौषधि का विक्रय हुआ। लगभग 10 हजार लोगों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लिया।

वन विकास निगम -

निगम द्वारा वर्ष 2022 में 1.39 करोड़ पौधों का रापेण किया गया है।

इको पर्यटन विकास बोर्ड -

इको पर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव नियम, 2015 लागू होने के उपरांत 148 क्षेत्र स्थल अधिसूचित किये गये हैं। इन स्थलों पर ईकोपर्यटन गतिविधियों के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों जैसे कि घी, दूध, सब्जी, फल इत्यादि के लिये भी बाजार उपलब्ध होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन -

वर्ष 24-2023 हेतु राज्य शासन द्वारा बांस मिशन के लिए 1860.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 23-2022 में कुल 7909 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण कराया गया है तथा 3957 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। बांस कृषकों को कुल 1441.90 लाख का अनुदान वितरण किया गया है। मनरेगा योजना के तहत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इस वर्ष कुल 4511 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। मिशन द्वारा कुल 123 बांस शिल्पियों को तथा 749 बांस कृषकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलाया गया है। बांस प्रसंस्करण हेतु 02 निजी बांस इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं।

जैव विविधता बोर्ड -

भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देरादून के सहयोग से भोपाल एवं इन्दौर का City Biodiversity Index तैयार किया गया। दिनांक 22 मई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) के अवसर पर क्षेत्रीय वन इकाईयों तथा ऑनलाईन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का अयोजन किया गया। मिशन लाईफ अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा 1048 ग्राम पंचायतों में लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कर मेरी लाईफ पोर्टल पर अपलोड किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में आयोजित 110 कार्यक्रमों को भी मेरी लाईफ पोर्टल पर अपलोड किया गया।

डॉ कुंवर विजय शाह
वन मंत्री, म.प्र. शासन

भव्य एवं विशाल वन भवन का लोकार्पण

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2013 को तुलसीनगर लिंक रोड क्रमांक 2 पर स्थित बहुप्रतीक्षित "वन भवन" का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण उपरांत भोपाल स्थित वन विभाग के समस्त राज्य स्तरीय कार्यालय वन भवन से संचालित होंगे। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, म०प्र० शासन, माननीय डॉ० कुंवर विजय शाह, वनमंत्री म०प्र० शासन, श्री माधौसिंह डाबर अध्यक्ष म०प्र० राज्य वन विकास निगम भोपाल, श्री सत्येंद्र भूषण सिंह उपाध्यक्ष म०प्र० राज्य वन विकास निगम भोपाल श्री घनश्याम पिरोनिया, माननीय अध्यक्ष बांस एवं बांस शिल्पी विकास बोर्ड मध्यप्रदेश श्री जे.एन. कांसोटिया अपर मुख्य सचिव, वन विभाग श्री अशोक वर्णवाल अपर मुख्य सचिव तत्कालीन प्रमुख सचिव वन विभाग तथा वन विभाग के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लोकार्पण के साथ-साथ वन समितियों के सदस्यों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। म०प्र० राज्य वन विकास निगम के द्वारा 5 वन समितियों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यो को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समिति को एक बोलेरो वाहन एवं वर्तनों का भंडार एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। यह प्रदेश का अत्यंत सुंदर एवं विशाल भवन है।

लोर्कापण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश वन विभाग के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षकों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।

मध्यप्रदेश गठन दिनांक 1.11.1956 से वन विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय (मुख्यालय) भवनों के विभिन्न स्थलों पर संचालन एवं कालक्रम अनुसार सुविधा अनुसार वन मुख्यालय भवन के स्थानांतरण प्रारंभ से लेकर इस नवीन वन भवन निर्माण तक की लघु फिल्म "मैं वन भवन" भी प्रदर्शित की गई। जिससे आम जन को भी वन विभाग के वन मुख्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश वन विभाग हेतु नवीन वन भवन का भूमि पूजन माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 27.07.2008 को किया गया। इस भवन का कुल क्षेत्रफल 2.91 लाख वर्गफुट है। इस भवन में कुल 03 ब्लॉक हैं।

"ए" ब्लॉक में 04 तल, "सी" ब्लॉक में 03 तल तथा "ई" ब्लॉक में कुल 04 तल है। वन भवन के परिसर का कुल रकबा 18.26 एकड़ है। इन तीनों ब्लॉकों का कारपेट एरिया लगभग 2 लाख वर्गफुट है। शेष क्षेत्रफल कॉरीडोर, कैंटीन, स्टोर रूम में है।

यह भवन ग्रीन बिल्डिंग के मापदण्डों के अनुसार तैयार किया गया है। इस भवन की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक कमरे में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। इस भवन का निर्माण मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तथा डिजाइन एप्को द्वारा तैयार करवाई गई है।

इस भवन में अधिकारियों के लिये 58 कक्ष, कर्मचारियों के लिये 114 कक्ष / वर्कस्टेशन निर्मित हैं। इस भवन में लगभग 700 अधिकारी / कर्मचारी बैठ सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस वन भवन में एक 100 सीटर, एक 50 सीटर तथा तीन 30 सीटर मीटिंग हॉल हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अत्यंत विशाल एवं महत्वपूर्ण वन भवन विभाग के लोकार्पण के दौरान घोषणा की गई कि इस वन भवन में वन विभाग के बहुमुखी कार्यों का संचालन होगा।

राज्य वन शहीद स्मारक (वन भवन भोपाल) का लोकार्पण 11 सितम्बर, 2023

वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा में शहीद वन कर्मचारियों के प्रति श्रद्धांजलि देने एवं उनके कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने एवं उनकी स्मृति को चिरस्थाई स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य वन शहीद स्मारक की स्थापना वन भवन भोपाल में की गई है । वर्ष 2013 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष 11 सितम्बर को राष्ट्रीय वन शहीद के रूप में मनाया जाता है।

लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं में होने वाली सतत वृद्धि के कारण वन भूमि एवं वन्यजीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध उत्खनन एवं अवैध कटाई एक गम्भीर समस्या है। वर्तमान में वन विभाग के अंतर्गत वनों की सुरक्षा हेतु लगभग 600 वन क्षेत्रपाल, 1250 उपवन क्षेत्रपाल, 4100 वनपाल एवं 13000 वन रक्षक कार्यरत है। इतने बड़े वन क्षेत्र की सुरक्षा करने का दायित्व वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मूल कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को निभाते हुए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कर्मचारियों ने प्राणों की आहूति दी है।

विगत वर्षों में 61 वन कर्मचारियों द्वारा वन तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहूति दी गयी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के दौरान शहीद होने वाले कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग को प्रदेश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवनिर्मित वन भवन में आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने 44 शहीद वन कर्मियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा शॉल-श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने अश्वगंधा का पौधा भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने नगर वन चंदनपुरा, वन शहीद स्मारिका 2023, मध्यप्रदेश के समस्त नगर वन की स्मारिका और मध्यप्रदेश ईको टूरिज्म बोर्ड की गतिविधियों पर केंद्रित पुस्तिका "अनुभूति" का विमोचन किया। चंदनपुरा नगर वन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को परिवार मानकर चला रहे हैं, उनकी संवेदनशील कार्य-प्रणाली से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। प्रदेश में वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई तथा सम्पूर्ण वन भवन, वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह लोधी, अपर मुख्य सचिव वन श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता और वन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण - सह - जागरूकता तथा तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में वनों के आसपास रहने वाली आदिवासियों एवं ग्रामीणों की आजीविका का एक मुख्य साधन लघु वनोपजों का संग्रहण है। प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों के 37 लाख सदस्य, लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य आदिवासी समुदाय से हैं। वनोपज संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वनोपज का उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से, प्रदेश में लघु वनोपज सहकारी सोसायटियों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है।

ग्रामीणजनों के लघु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन में कोई प्रतिबंध नहीं हैं। मात्र तेन्दूपत्ता के संग्रहण एवं विपणन का कार्य लघु वनोपज सहकारी सोसायटियों के द्वारा किया जा रहा है। तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर में सतत् वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2007 में संग्रहण दर रुपये 450 प्रति मानक बोरा थी, वर्ष 2022 में संग्रहण दर रुपये 3000 प्रति मानक बोरा तक बढ़ाई गई है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक के साथ-साथ तेन्दूपत्ता व्यापार से अधिक शुद्ध लाभ का वितरण भी किया जाता है। वर्ष 1998 में जहां शुद्ध लाभ का 50 प्रतिशत बोनस के रूप में वितरित किया जाता था, वहीं वर्ष 2022 से शुद्ध लाभ 75 प्रतिशत भाग संग्राहकों को बोनस के रूप में वितरित किया जा रहा है।

विगत पाँच वर्षों में निम्नानुसार तेन्दूपत्ता बोनस वितरण किया गया है :-

वर्ष	बोनस की राशि (रुपये करोड़ में)
2017	561.15
2018	246.56
2019	123.01
2020	68.58
2021	202.71
	1202.01

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण - सह - जागरूकता एवं तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन समारोहपूर्वक, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किया जाता रहा है । तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रमों का निम्नानुसार आयोजन माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया है :-

1. दिनांक 03 नवम्बर 2022 को खालवा, जिला खण्डवा में 16 वन मण्डलों के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 42 करोड़ रूपये की बोनस राशि का वितरण किया गया है ।
2. दिनांक 22 फरवरी 2023 को लखनादौन, जिला सिवनी में 13 वन मण्डलों के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रूपये की बोनस राशि का वितरण किया गया है।
3. दिनांक 12 मार्च 2023 को श्योपुर, जिला मुख्यालय में 06 वन मण्डलों के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 10 करोड़ रूपये की बोनस राशि का वितरण किया गया है ।

दिनांक 05 अप्रैल 2023 को ब्यौहारी, जिला शहडोल में 08 वन मण्डलों के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 52 करोड़ रूपये की बोनस राशि का वितरण किया गया है ।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी. - पार्क) द्वारा लघु वनोपजों के क्रय से संग्राहकों का आर्थिक स्वाबलंबन

मध्यप्रदेश वनों का प्रबंधन करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, यह इमारती वनोपज की दृष्टि से सम्पन्न तो है ही साथ-साथ लघु वनोपजों की विपुल उपलब्धता के लिए भी जाना जाता हैं। प्रदेश में लगभग 200 लघु वनोपज प्रजातियाँ औषधीय एवं व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वनों में पाई जाने वाली विभिन्न लघु वनोपजों पर प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण आबादी एवं वनांचल निवासी अपनी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आजीविका प्राप्ति के लिए निर्भर हैं।

प्रदेश में लघु वनोपजों के बेहतर प्रबंधन हेतु वर्ष 1984 से सहकारी क्षेत्र में कार्यरत मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कार्यरत है। लघु वनोपज संघ, प्रदेश के वनांचलों में गठित 1071 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों तथा 60 जिला सहकारी वनोपज यूनियनों की शीर्षस्थ संस्था है तथा इनके माध्यम से लघु वनोपजों के व्यापार प्रसंस्करण एवं विपणन इत्यादि का कार्य करता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक उपलब्ध लघु वनोपजों के संग्रहण एवं व्यापार का कार्य करता है।

प्रदेश शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार से अर्जित समस्त शुद्ध आय वाणिज्यिक परिपेक्ष्य में प्रदेश के वास्तविक वनोपज संग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाती है।

प्रदेश के वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रुप से उत्पादित वनौषधियों एवं सुगंधित पौधों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर वनों पर निर्भर रहने वाले वनवासियों एवं लघु वनोपज संग्रहण से जुड़े प्राथमिक लघु वनोपज समिति के सदस्यों को विपणन मंच उपलब्ध कराने, उनकी आमदनी में वृद्धि करने हेतु लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.-पार्क) की स्थापना वर्ष 2005 में की गई है। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी. - पार्क), म.प्र राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित की एक अधीनस्थ औषधि निर्माण इकाई है तथा इसके निर्देशन में कार्यरत है इसका स्वामित्व पूर्ण रुपेण राज्य लघु वनोपज संघ के पास है। एम.एफ.पी.-पार्क द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त वनौषधियों से उत्पादित आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों को उचित मूल्य पर आम जनता को भी उपलब्ध कराया जाता है।

शासन का यह उपक्रम उच्च गुणवत्ता के लगभग 350 हर्बल उत्पादों का निर्माण कर रहा है तथा भोपाल स्थित प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र के द्वारा निर्मित कुछ हर्बल उत्पादों को मध्यप्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी आमजन को आयुष विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

पूर्व वर्षो से '"विन्ध्य हर्बल्स" ब्रांड के अंतर्गत निर्मित हर्बल उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के विनाश विहीन दोहन के लिये प्रदेश के सुदूर अंचलों के आदिवासी संग्राहकों की क्षमताओं को बढ़ाने एवं विकास हेतु उनके लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता रहा है।

पिछले एक दशक से मध्यप्रदेश राज्य शासन के प्रयास इस विषय की ओर अधिक रहे हैं कि वनोपज आधारित क्षेत्र के वनवासियों को अधिक से अधिक लाभ किस तरह दिलाया जा सके ताकि प्रदेश का साधारण वनवासी ग्रामीण जन आर्थिक रूप से बेहतर जीवनयापन कर सकें।

लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज संग्रहण, हर्बल उत्पादों के निर्माण तथा विपणन तक प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे आदिवासी ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर, प्रसंस्करण, मूल्यसंवर्धन एवं विपणन मंच हेतु सुविधायुक्त अधोसंरचनाओं/ प्रसंस्करण केन्द्रों/ वन धन केन्द्रों के निमार्ण में सहायता प्रदान की जा रही है।

एम.एफ.पी.-पार्क द्वारा औषधियों के निर्माण के लिए प्रदेश के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वनौषधियों/लघु वनोपजों का क्रय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों एवं वन धन केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता से किया जाता है। लघु वनोपजों के क्रय के माध्यम से वनवासी संग्राहकों तक उचित मूल्य पहुंचाने का कार्य भी एम. एफ. पी. पार्क द्वारा प्रमुखता से किया जाता है। शासन द्वारा प्रदेश में 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संग्राहकों को अधिक अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हो रहें हैं।

प्राथमिक वनोपज समितियों एवं वनधन केन्द्रों से क्रय की गई सामग्री की जानकारी
दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023

क्र.	लघु वनोपज का नाम	मात्रा	दर	राशि	आपूर्तिकर्ता
1.	अर्जुन छाल	350	25.00	8750	ग्राम वन समिति मुक्तापुर, रायसेन
2.	महुआ	128.400	55.00	7062	ग्राम वन समिति, मुक्तापुर, रायसेन
3.	शहद	402.650	280.00	112742	जिला वनोपज सहकारी यूनियन नरसिंहपुर
4.	शहद	687.000	280.00	192360	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, अतरिया
5.	अर्जुन छाल	3500.700	40.00	140028	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, हैदरगढ़ (विदिशा)
6.	चिरबिल्वा/चिरोल	661.300	38.00	25129.40	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, हैदरगढ़ (विदिशा)
7.	महुआ	1225	55.00	67375.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, हैदरगढ़ (विदिशा)
8.	नीम छाल	321	30.00	9630.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, हैदरगढ़ (विदिशा)
9.	अमलतास फल	808.500	50.00	40425.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
10.	अर्जुन छाल	2330.00	45.00	104850.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
11.	भुई आंवला	45.00	45.00	2025.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
12.	गुड़मार	42.00	60.00	2520.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
13.	खरेती	805.00	40.00	32200.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
14.	महुआ	716.90	55.00	39429.50	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
15.	नागर मोथा	15.800	100.00	1580.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
16.	नीम पत्ती	62.500	24.99	1562.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
17.	परिभद्र कच्चा	116.000	140.00	16240.00	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, पौआनाला, विदिशा
18.	कच्चा शहद	1719.160	280.00	481364.80	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति, चरेगांव
19.	कच्चा शहद	700.00	280.00	196000.00	प्राथमिक लघु वनोपज सह.समिति, श्योपुर
20.	अपामार्ग कच्चा	81.00	48.00	3888.00	प्राथमिक लघु वनोपज सह.समिति, बरगवा, सिंगरोली
21.	गिलोय कच्ची	8954.00	40.00	358160	प्राथमिक लघु वनोपज सह.समिति, बरगवा, सिंगरोली
22.	आंवला कच्चा	658.800	133.94	88237.50	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
23.	अनंतमूल कच्चा	330.650	188.41	62299.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
24.	अर्जुन छाल कच्ची	1491.400	40.00	59656.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
25.	बच कच्चा	86.400	140.00	12096.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
26.	बरगद जड़	157.300	40.00	6292.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
27.	बहेड़ा कच्चा	5388.200	39.54	213049.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
28.	बाल हरण कच्चा	1967.800	200.00	393560.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
29.	भिलावा कच्चा	46.00	35.00	1610.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
30.	धवई फूल	813.700	60.00	48822.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
31.	गुड़मार	124.00	100.00	12400.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
32.	गूलर	86.000	45.00	3870.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
33.	हरड़	5171.500	45.70	236312.70	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
34.	हरसिंगार पत्ती	98.200	80.00	7856.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
35.	शहद	2401.00	280.00	672280.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
36.	जामुन छाल	134.800	45.00	6066.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
37.	कालमेघ	507.100	40.00	20284.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
38.	कपूर कचरी	159.800	221.61	35413.50	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)

क्र.	लघु वनोपज का नाम	मात्रा	दर	राशि	आपूर्तिकर्ता
39.	कौआटोडी	28.500	105.00	2992.50	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
40.	लाख दाना कच्चा	70.200	1000.00	70200.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
41.	लाख दाना	586.800	1050.00	616140.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
42.	नागर मोथा	88.900	62.80	5583.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
43.	नीम छाल	185.400	45.00	8343.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
44.	नीम पत्ती	24.200	45.00	1089.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
45.	पीपल छाल	167.800	45.00	7551.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
46.	रोहनी छाल	279.700	50.00	13985.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
47.	सफेद मूसली	108.300	1100.00	119130.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
48.	उन्नाव/बेर	325.500	60.00	19530.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
49.	वायविडंग	1259.800	800.00	1007840.00	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरघाट (दक्षिण सिवनी)
50.	शहद	6424.980	280.00	1798994.40	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति नांदा (पश्चिम बैतूल)
कुल योग राशि :				**73,94,802.30**	

क्र.	लघु वनोपज का नाम	मात्रा	दर	राशि	आपूर्तिकर्ता
1.	शहद	900.00	280.00	252000.00	वनधन केन्द्र, जगतपुर, डिंडोरी
2.	गिलोय	10424.950	40.00	416998.00	वन धन केंद्र, ओडगढ़ी, वनमंडल, सिंगरोली
3.	महुआ	20.00	60.00	1200.00	वन धन विकास केंद्र, बरघाट, दक्षिण सिवनी
4.	वायविडंग	591.150	800.00	472920.00	वन धन विकास केंद्र, बरघाट, दक्षिण सिवनी
5.	अर्जुन छाल	1000.00	25.00	25000.00	वन धन विकास केन्द्र, चिलक, छिंदवाड़ा
6.	बाल हरण	500.00	140.00	70000.00	वन धन विकास केन्द्र, चिलक, छिंदवाड़ा
7.	शहद	1113.000	280.00	311640.00	वन धन विकास केन्द्र, चिलक, छिंदवाड़ा
8.	शहद	278.000	280.00	77840.00	वन धन विकास केंद्र, देलाखारी
9.	शहद	1061.520	280.00	297225.00	वन धन विकास केन्द्र, डिंडोरी
10.	अर्जुन छाल	388.000	28.60	11096.80	वन धन विकास केन्द्र, गांधी ग्राम, सीधी
11.	बहेड़ा	792.000	34.00	26928.00	वन धन विकास केन्द्र, गांधी ग्राम, सीधी
12.	बहेड़ा	290.000	34.00	9860.00	वन धन विकास केन्द्र, कुबरी, सीधी
13.	अर्जुन छाल	420.000	28.60	12012.00	वन धन विकास केन्द्र, माता, सीधी
14.	बहेड़ा	430.000	34.00	14620.00	वन धन विकास केन्द्र, माता, सीधी
15.	अर्जुन छाल	200.000	28.60	5720.00	वन धन विकास केन्द्र, नौधिया, मझौली, सीधी
16.	शहद	736.000	280.00	206080.00	वन धन विकास केन्द्र, सलवाह
17.	शहद	585.760	280.00	164013.00	वन धन विकास केन्द्र, शाहपुर, डिंडोरी
18.	शहद	1392.500	280.00	389900.00	वन धन विकास केन्द्र, श्योपुर
19.	अर्जुन छाल	258.000	28.60	7378.80	वन धन विकास केन्द्र, ठाढ़ीपाथर, सीधी
20.	बहेड़ा	1643.000	34.00	55862.00	वन धन विकास केन्द्र, ठाढ़ीपाथर, सीधी
21.	शहद	1581.000	280.00	442680.00	वनधन विकास समिति चांदा, डिंडोरी
कुल योग राशि :				**32,70,0973.60**	

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल - 2.0) योजना 2022

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों की सामुदयिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके हित संरक्षण के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना 2022 दिनांक 06 मई 2022 से लागू की गई है ।

योजना के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न श्रमिक सम्मिलित है। संबल योजना में पूर्व से 1946238 तेन्दूपत्ता संग्राहक पंजीकृत है। संबल 2.0 के तहत 757713 तेन्दूपत्ता संग्राहक नवीन पंजीकृत हुए हैं।

संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के परिवार को निम्नानुसार सहायता प्राप्त होती है।

1. **अंत्येष्टि सहायता :-** पंजीकृत श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर पंजीकृत श्रमिक को उनकी अंत्येष्टि के लिए रूपये 5000 / - की सहायता प्रदान की जाती है।
2. **अनुग्रह सहायता :-** योजना के तहत पंजीबद्ध श्रमिक के स्थायी अपंग / आंशिक स्थायी अपंग होने की दशा में उसको और मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को निम्नानुसार अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है :-

1	दुर्घटना में मृत्यु पर	-	रु 4.00 लाख
2	सामान्य मृत्यु पर	-	रु 2.00 लाख
3	स्थायी अपंगता पर	-	रु 2.00 लाख
4	आंशिक स्थायी अपंगता पर	-	रु 1.00 लाख

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समतियों के समिति प्रबंधकों एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितलाभ

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समतियों के समिति प्रबंधकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से माह मई 2023 से समिति प्रबंधकों का मानदेय रूपये 10000 /- प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 13000 /- प्रतिमाह किया गया है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समतियों के समिति प्रबंधकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना, राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के स्तर पर लागू की गई है। वर्ष 2023-2024 से सामूहिक बीमा योजना की प्रति प्रबंधक, बीमा राशि 4 लाख रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये की गई है।

कोविड-19 के अंतर्गत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों की मृत्यु होने पर राज्य शासन के नियमानुसार, उनके आश्रितों को निम्नानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है :-

1. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, गोभा, जिला यूनियन सिंगरौली के समिति प्रबंधक स्व. श्री कृष्णानंद जायसवाल की मृत्यु होने पर उनकी पुत्री श्रीमती निधि जायसवाल को।
2. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, रतनगढ़, जिला यूनियन नीमच के समिति प्रबंधक स्व. श्री कचरूमल सोलंकी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री मोहित कुमार सोलंकी को।
3. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, खुरमुंडी, जिला यूनियन उत्तर बालाघाट के समिति प्रबंधक स्व. श्री कमल सिंह तेकाम की मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री नितेश कुमार पंद्रे को।

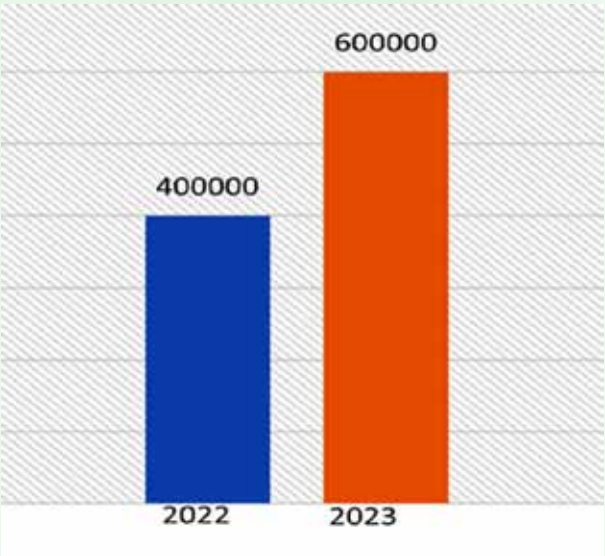

तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न वन विभाग के मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक मुश्त मानदेय राशि प्रदाय की जाती है। म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के संचालक मण्डल की 143वीं बैठक दिनांक 19.06.2023 के विषय क्रमांक 143:03 में लिये गये निर्णय अनुसार, उपरोक्त मानदेय राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न वन विभाग के मैदानी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों को सहयोगः

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नानुसार है :-

- कमीशन की राशि में रूपये 153000 से रूपये 185000 की वृद्धि।
- प्रत्येक समिति के कार्यालय भवन हेतु राशि रूपये 5.00 लाख का प्रावधान अभी तक 11 समितियों के भवन स्वीकृत।
- समिति भवन किराया रूपये 300 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 1000 प्रतिमाह किया गया।
- समिति प्रबंधकों का मानदेय रूपये 10000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 13000 प्रतिमाह किया गया।
- समिति प्रबंधकों की बीमा राशि रूपये 4.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख की गई।
- संग्रहण वर्ष 2024 से समिति प्रबंधकों को मोबाईल भत्ता रूपये 250 एवं पेट्रोल भत्ता रूपये 1200 प्रति माह प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
- समिति प्रबंधकों को प्रशिक्षण हेतु उमरिया एवं खालवा, जिला खण्डवा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माननीय वन मंत्री जी भी उपस्थित रहे।
- कोविड-19 के कारण 03 समिति प्रबंधकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

9वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला

(20-26 दिसम्बर 2022)

क्रेता-विक्रेता सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के दौरान लघु वनोपज संग्राहकों, उत्पादकों एवं वनोपज समितियों को जड़ी बूटियों, हर्बल उत्पाद तथा आयुर्वेदिक के व्यवसाय से जुड़े विभिन्न निर्माता, विभिन्न मंडियों के लघु वनोपज के व्यापारियों, उत्पादक, प्रसंस्करणकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ एक मंच पर सीधे वार्तालाप एवं बाजार के अवसरों को खोजने के उद्देश्य से लघु वनोपज संघ के द्वारा दिनांक 24/12/2022 को क्रेता-विक्रेता सम्मलेन का आयोजन किया गया।

इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश एवं प्रदेश के लगभग 140 से भी ज्यादा सहभागी प्रत्यक्ष रूप से एवं 300 से भी अधिक प्रतिभागीयों ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में भाग लिया।

छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ (CGMFP) और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ (MPMFP) विंध्य हर्बल्स के मध्य 6 करोड़ रुपया का व्यावसायिक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के माध्यम से छत्तीसगढ़ हर्बल एवं विंध्य हर्बल्स एक दूसरे के उत्पादों को बेचने में बढ़ावा देंगे।

बस्तर फूड, छत्तीसगढ़ से महुआ के एक्सपोर्ट का MOU हस्ताक्षर किया गया जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश का फ़ूड ग्रेड 200 मीट्रिक टन महुआ लंदन एक्सपोर्ट किया जायेगा।

सम्मेलन में लगभग 28.50 करोड़ रूपए के व्यापारिक अनुबंध किये गए जो की भविष्य में जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में शामिल प्राथमिक संग्राहक एवं उत्पादकों का आर्थिक सुदृढीकरण करने में मददगार साबित होंगे।

अधोसंरचना विकास
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज
(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

प्रदेश में तेंदूपत्ता के व्यापार एवं प्रबंधन तथा लघु वनोपजों के बेहतर प्रबंधन हेतु वर्ष 1984 से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कार्यरत है। लघु वनोपज संघ, प्रदेश के वनांचलों में गठित 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 60 जिला सहकारी वनोपज यूनियनों की शीर्षस्थ संस्था है। इन संस्थाओं के माध्यम से लघु वनोपजों के व्यापार, प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य करता है। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य वास्तविक संग्राहकों के माध्यम से प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न 15,000 संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से कराया जाता है।

आरसीसी रोड निर्माण

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक उपलब्ध लघु वनोपजों के संग्रहण एवं व्यापार का कार्य करती है। इसके वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार से अर्जित समस्त शुद्ध आय भी प्रदेश के वास्तविक वनोपज संग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाती है।

वर्तमान व्यवस्था अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा विनिर्दिष्ट लघु वनोपज के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ को 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है जोकि निम्नानुसार है:-

- अर्जित शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के रुप में प्रदाय की जाती है।
- 10 प्रतिशत राशि वनीय संसाधनों के विकास, पुररुत्पादन, अन्तः-स्थलीय एवं बाह्य-स्थलीय संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, लघु वनोपजों के संरक्षण एवं संवर्धन, जागरुकता हेतु प्रशिक्षण तथा लघु वनोपजों का वन क्षेत्रों में रोपण कार्य किया जाता है।
- 5 प्रतिशत भाग ग्राम सभा के नियंत्रणाधीन सामुदायिक वन प्रबंधन समिति को अंतरित किया जाता है।

  अर्जित शुद्ध लाभ के शेष 10 प्रतिशत भाग से लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन, प्रचार- प्रसार, प्रोत्साहन आदि से संबंधित अधोसंरचनाएं, वन ग्रामों की अधोसंरचना एवं मूलभत सुविधाओं का विकास किया जाता है।

लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021 में प्रदेश के 52 जिला यूनियन अंर्गत 699 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों में ग्राम वन विकास / अधोसंरचना विकास मद से 26.40 करोड़ प्रदान की गई।

वन विकास मद/वन संसाधनों का विकास

विनिर्दिष्ट लघु वनोपज के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत राशि वनीय संसाधनों के विकास, पुनरुत्पादन, अन्तः-स्थलीय एवं बाह्य-स्थलीय संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, लघु वनोपजों के संरक्षण एवं संवर्धन, जागरुकता हेतु प्रशिक्षण तथा लघु वनोपजों का वन क्षेत्रों में रोपण कार्य किया जाता है।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2021 में 1889 हेक्टेयर में 14.17 लाख, वर्ष 2022 में 6087 हेक्टेयर में 45.65 लाख एवं वर्ष 2023 में 3844 हेक्टेयर 28.83 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया इसमे मुख्यतः लघु वनोपज प्रजातियों महुआ, अचार, हर्रा, बहेड़ा, करंज, कुसुम, नीम, कैथा, रीठा, भिलवा, बेल एवं आंवला इत्यादि का रोपण किया गया।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके इस हेतु छात्रवृत्ति की राशि प्रदाय की जाती है। इस योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने-जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है।

योजना की पात्रता - छात्र / छात्रा ने पिछले शिक्षण सत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो और विगत पांच वर्षो में कम से कम तीन वर्षों में उनके परिवार द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण किया गया हो ।

उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 1014 छात्र / छात्राओं को राशि रुपये 125.69 लाख, 2021-22 में 2739 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 299.71 लाख एवं 2022-23 में 1838 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये 209.81 लाख की राशि प्रदाय की गई है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि का विवरण

क्र.	पाठ्यक्रम	राशि का विवरण
1.	9वीं एवं 10वीं	रू. 12,000/-
2.	11वीं एवं 12वीं	रू. 15,000/-
3.	गैर तकनीकी स्नातक	रू. 20,000/-
4.	व्यावसायिक कोर्स	रू. 50,000/-

श्री पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सीहोर जिला यूनियन अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र का प्रदाय

योजना की राशि मे इस वर्ष ईलाज का ब्यय भी जोडा गया तथा निम्नानुसार वृद्धि की गई।

क्र.	पाठ्यक्रम	पूर्व मे अधिकतम निर्धारित क्षात्रवृत्ति की राशि	शिक्षण सत्र 2022-23 से अधिकतम निर्धारित क्षात्रवृत्ति की राशि
1.	9वीं एवं 10वीं	रू. 12,000/-	रू. 15,000/-
2.	11वीं एवं 12वीं	रू. 15,000/-	रू. 18,000/-
3.	गैर तकनीकी स्नातक	रू. 20,000/-	रू. 25,000/-
4.	व्यावसायिक कोर्स	रू. 50,000/-	रू. 60,000/-

महुआ "ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ"

महुआ भारत के जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है। महुआ के फूल एवं फल ग्रीष्म ऋतु में उस समय प्रकृति में उपजते हैं जबकि जनजातीय समुदाय के पास चांवल व अन्य भोज्य पदार्थो की कमी रहती है। मध्य भारत एवं पश्चिमी भारत के दूरदराज वन अंचलों में बसे ग्रामीण आदिवासी जनों के लिए रोजगार के साधन एवं खाद्य रूप में महुआ वृक्ष का महत्व बहुत अधिक है।

महुआ के फूल एवं फल भारत में जनजातीय समुदायों एवं ग्रामीणों के लिए न केवल भोज्य रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं बल्कि गर्मी के मौसम में जब भोजन एवं जीविकोपार्जन के साधन अपनी न्यूनता पर रहते है, तब ये इन वनवासियों की आय के अतिरिक्त साधन भी होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महुआ का अपना विशिष्ट योगदान है, वन वासियों की अर्थव्यवस्था में 30 से 40 प्रतिशत महुआ का योगदान है।

महुआ फूल

इसके फूल वृक्ष की शाखाओं के अंत में गुच्छों के रूप में लगते हैं। ये फूल देखने में सुन्दर, चमकीले एवं स्वाद में मीठे होते हैं। इन फूलों में काफी मात्रा में शर्करा, विटामिन एवं कैल्सियम होती है। शराब बनाने के पश्चात् बचे फूल, जानवरों के लिए एक अच्छा भोजन होते हैं। एक पूर्ण रूप से विकसित पेड़ से औसतन 50 किलो सूखे फूल प्राप्त होते हैं।

महुआ फल (गुल्ली)

इस पेड़ का फल गूदेदार व हरा रंग लिये रहता है। जब यह पकता है तब इसका रंग पीला अथवा नारंगी - बादामी हो जाता है। इसके एक फल में 1-4 बीज होते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है।

महुआ बीज

महुआ के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग सीधे खाना पकाने, घी में मिलाने, प्रकाश करने, साबुन एवं मोमबत्ती बनाने में होता है। इस दृष्टि से ग्रामीणों के जीवन में महुआ बीज का भी बहुत महत्व है। एक बीज में दो मींगियां होती हैं। गिरे हुए एवं हिलाकर गिराये गये फलों को हाथों से बीना जाता है। यह संग्रहण कार्य दो से तीन हफ्तों में पूर्ण करना होता है। गूदे को हाथों से हटाया जाता है तथा उसे 5-6 घण्टों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। इस प्रकार भीगे हुए बीजों को पत्थरों से पीटकर अलग किया जाता है। एक वृक्ष से 20-40 किलोग्राम बीज मींगी प्राप्त होती है।

महुआ फूल का पारम्परिक संग्रहण

सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर दिन के 12 बजे तक चलता है। फूलों के गिरने की तीव्रता गर्मी के ऊपर निर्भर करती है। यदि धूप तेज है, तो फूल जल्दी गिर जाते है। वहीं बादलों में धीमी गति से गिरते है, तथा मात्रा भी घट जाती है। महुए के संग्रहण अवधि को 3 भागों में बांटा जा सकता है -

शुरु

यह प्रथम सप्ताह का संग्रहण है इसमें फूल छोटे तथा कम रसीले होते है 25 प्रतिशत सूखत आती है।

भरवारी

प्रथम सप्ताह के बाद दूसरे-तीसरे सप्ताह का महुआ रसीला होता है। यह पीला तथा गूदेदार होता है। इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत महुआ इसी अवधि में प्राप्त होता है। इसमें सूखत भी 50 प्रतिशत आती है।

कनुआ

यह अन्तिम अवधि है जो चौथे सप्ताह से अन्तिम तक चलती है। इसकी फसल भी शुरू के समान ही रहती है। कुल 25 प्रतिशत तक महुआ प्राप्त होता है।

परिवार के छोटे बड़े सदस्य मिलकर, महुआ वृक्षों के नीचे के पत्तों को साफ कर देते है, तथा महुआ फूलों को चुन-चुनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। पर जिसके पास अधिक झाड़ है वे अधिया में अन्य लोगों से महुआ बिनवाते है, या पूरा फूल झाड़ के नीचे ही पड़ा रहने देते है, तथा बाद मे झाड़ू से बटोर लिया जाता है।

महुआ फूल को सुखाने का तरीका

महुआ फूल का उत्पादन साल के सिर्फ 15-20 दिन तक ही होता है (मार्च-अप्रैल महीने में) जबकि इसकी खपत वर्षभर होती है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि महुआ फूल को किसी तरह से संभालकर रखा जाय ताकि इनका वर्षभर उपयोग हो सके। चूँकि महुआ फूल में औसत 70 प्रतिशत शक्कर, 18 प्रतिशत नमी होती है जिससे इसके भण्डारण के दौरान खराब होने के आशंका रहती है। अतः इसको सुखाकर नमी के प्रतिशत को कम करना बहुत आवश्यक हो जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

मध्यप्रदेश शासन द्वारा महुआ के सूखे हुए फूल एवं गुल्ली के लिए 35/- पैतींस रुपए प्रति किलो का क्रय मूल्य निर्धारित किया गया है।

पोषक तत्व

महुआ फूल में शर्करा, वसा, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाड्रेट्स एवं मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।

महुआ व्यंजन

ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ फूल का अधिकांशतः उपयोग खाद्य पदार्थ के रुप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन इससे बनाए जाते हैं जैसे-रसकुटका, लाटा, डोभरी, महुआ खोल्ली, घोईटा, महुआ बिस्कुट, महुआ सलोनी, महुआ मखानी, फरा, कतरा या काची, भुकनी / भुरकुड एवं महुआ नमकीन इत्यादि।

महुआ प्राश (अवलेह)

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की औषधि प्रसंस्करण इकाई एम. एफ. पी. पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा हाल

ही में महुआ प्राश (अवलेह) का निर्माण आरंभ किया गया है। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। अभी तक इस प्रकार के उत्पाद बाजार में उपलब्ध नही थे। समाज में महुआ की छबि को देशी शराब बनाने तक सीमित रखा गया जिससे इसके औषधीय उपयोग आम जनों तक नही पंहुच पाए। महुआ प्राश मानव स्वास्थ्य को उत्तम पोषण प्रदान करता है। यह एक उत्तम एंटी आक्सिडेंट है जिसके दैनिक उपयोग से शरीर को बीमारियों से बचाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में भी यह अत्यंत कारगर है। महुआ प्राश (अवलेह) में महुआ के साथ-साथ मिश्री, घृत, शहद, पीपली, दालचीनी, इलायची एवं तेजपत्र जैसे महत्वपूर्ण घटक है। इस उत्पाद के बाजार में आने से निश्चित तौर पर आम लोगों की धारणा बदलेगी और इसका अधिक से अधिक लाभ महुआ संग्राहकों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 22 फरवरी 2023 को सिवनी जिला अंतर्गत लखनादौन में लघु वनोपज सहकारी समिति की क्षमता वृद्धि के लिए हुए प्रशिक्षण - सह - जागरूकता कार्यक्रम में एम.एफ.पी.-पार्क द्वारा निर्मित महुआ प्राश की लॉचिंग की।

क्या आप जानते हैं?

मध्यप्रदेश को देश में 'चीता प्रदेश' का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में चीतों की संख्या लगभग 15 है।

वन धन विकास केंद्र
आदिवासी जीवन के लिए वरदान

Figure 1 - वन धन केंद्र बिछिया में कोदो कुटकी मशीन का संचालन करते हुए वन धन हितग्राही

मध्यप्रदेश भारत की वन्यभूमि है। लगभग 3.08 वर्ग किलो मीटर में फैले ये वन विभिन्न प्रकार की जनजाति समुदाय के लिए रोज़गार एवं जीवन व्यापन का स्रोत है । वनों में सन्निहित कई लघु वन उपज इन जनजाति समुदाय के लिए संपदा के समान है। इन्ही वन संपदा के माध्यम से जनजाति समुदाय की आय वृद्धि के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का आरंभ किया। ट्राइफेड (ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) इस योजना की नोडल एजेंसी है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा किया जा रहा है। वन धन विकास योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से प्रदेश में वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ। इस योजना के द्वारा सूचना-प्रौद्योगिकी और तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय ज्ञान को विक्रय योग्य उत्पादों में परिवर्तित किया गया है। अब तक प्रदेश के 13 जिलों में कुल 86 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गये हैं और 25,800 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जनजातीय आजीविका-वृद्धि हेतु, मध्यप्रदेश सरकार ने लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है।

योजना शुरू होने से पहले आदिवासी मुख्य रूप से हर्रा, बहेड़ा, तेंदूपत्ता और महुआ जैसे चुनिंदा लघु वनोपजों का व्यापार करते थे। योजना के क्रियान्वयन के उपरांत लाभार्थियों ने 32 लघु वनोपज प्रजातियों का प्राथमिक प्रसंस्करण शुरू कर

Figure 2-वन धन केंद्र अंजनिया

दिया है। इन जनजातीय समुदाय के कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया जिनमें प्राथमिक प्रसंस्करण पर दो दिवसीय कार्यशाला, उद्यमिता और कौशल विकास पर प्रशिक्षण और मशीन संचालन पर प्रशिक्षण भी शामिल हैं। लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन के लिए लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जाता है।

महुआ के लड्डू, चिरौंजी बर्फी, आंवला कैंडी, आंवला का अचार, शहद, अर्जुन चाय जैसे उत्पाद स्थानीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लघु वनोपज संघ अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेले में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से लघु वनोपज से निर्मित उत्पाद के विक्रय में सहायता करता है। प्रदेश में समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम जैसे जनजातीय गौरव दिवस, तेंदूपत्ता/वन समिति सम्मेलन, आदि उत्सव एवं वन भोज रसोई के माध्यम से लघु वनोपज सामग्री एवं उत्पाद का विक्रय एवं प्रचार प्रसार होता है।

आजीविका के प्रयास :

- शिकारा और बंजारी वन धन केन्द्रों से 20टन अर्जुन की छाल बैद्यनाथ को भेजी गई एवं भविष्य के लिए संभावित मांग पत्र पर चर्चा की जा रही है ।
- निवास, समनापुर एवं शहडोल जिला यूनियन के वनधन केन्द्रों से हर्रा साबुत एवं हर्रा छिलका बेचा गया एवं निरंतर आपूर्ति के लिए अग्रिम अनुबंध पर चर्चा हो रही है।
- TRIFED दिल्ली द्वारा महुआ से बनने वाले उत्पादों के प्रशिक्षण मे वन धन केन्द्रों के 8 प्रतिभागियों को शम्मिलित किया गया।
- बिछिया और बंजारी द्वारा वन धन के उत्पादों की प्रदर्शनी TRIFED के मालवा महोत्सव मे लगाई गई।

Figure3 - वन धन विकास केंद्र बिछिया एवं मेढ़ा के हितग्राहियों का पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के महतव पर उन्मुखीकरण करते हुए

- बिछिया वनधन केंद्र मे मोटे अनाजों के प्रसंस्करण का शुभारंभ। एवं भविष्य में बिछिया को केंद्रीय पैकेजिंग एवं मार्केटिंग इकाई के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस सन्दर्भ में पूर्व मंडला जिला यूनियन से बिछिया, अंजनिया, मेढ़ा के वन धन हितग्राहियों का उन्मुखीकरण भी किया गया।
- Tribes India के Outlets मे वनधन केन्द्रों के उत्पादों को विक्रय के लिए रखा गया।
- वन धन केन्द्रों के उत्पादों की उत्तम पैकेजिंग निर्मित की गई।

वन धन विकास केंद्र ने न केवल जन जातीय समुदाय की आय में उल्लेखनीय सुधार कर उन्हें सशक्त बनाया है अपितु वन संसाधनों के सतत प्रबंधन एवं पारंपरिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टिकोण से वन धन विकास केंद्र वास्तव में जनजातीय जीवन के लिए वरदान बन गये हैं।

वनांचल में वन विभाग द्वारा कौशल विकास की पहल

वन्य प्राणी शाखा द्वारा विगत 03 वर्षों (जनवरी - 2020 से जून-2023 तक की स्थिति में) संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत बफर जोन में दिये गए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की जानकारी -

वन विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के 1600 युवक/युवतियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलाया गया है। इससे वनों पर उनके परिवारों की निर्भरता कम हुई हैं एवं वह अन्य स्थानों पर रोजगार प्राप्त कर सके हैं। कई प्रशिक्षित युवक/युवती अपने गांव में ही स्वरोजगार प्रांरभ कर रहे हैं। विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	प्रशिक्षण का प्रकार	संख्या
1	वाहन चालन प्रशिक्षण	253
2	जेसीबी	3
3	सिलाई कढाई प्रशिक्षण	218
4	नेचुरलिस्ट	422
5	कंस्ट्रक्शन, बेल्डिंग, मेसन, इलेक्ट्रिशयन	110
6	गाइडो का प्रशिक्षण	430
7	कुकिंग प्रशिक्षण	20
8	टू-व्हीलर्स रिपयेरिंग	30
9	हेयर सेलून, ब्यूटीशियन	30
10	एल एंड टी प्रशिक्षण	13
11	हॉस्पिलिटी प्रशिक्षण	11
12	प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी	60
	कुल	**1600**

पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौशल उन्नयन गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत है -

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत 06 बफर परिक्षेत्रों में स्थित ग्रामों के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो ताकि वह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबतू कर सकें तथा वनों में पड़ने वाले जैविक दबाव को कम किया जा सके। इस हेतु पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन अपने संसाधनों तथा विभिन्न एन.जी.ओ. और समिति के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण जैसे एल.एण्ड टी., सिलाई कढ़ाई, वेंडिंग, हॉस्पिटैलिटी, पेपर बैग निर्माण, ड्रायविंग, ब्यूटीशियन, सैलनू, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी आदि प्रशिक्षण प्रदान किये गये ताकि युवाओं को रोजगार / स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

सिलाई प्रशिक्षण

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत बफर परिक्षत्रे से लगे ग्रामों की महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये गये। जिसमें विभिन्न स्थलों में महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ।

हेयर सैलून प्रशिक्षण

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत बफर परिक्षेत्र से लगे ग्रामों के युवाओं को हेयर सैलून प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ।

ब्यूटीशियन प्रशिक्षण

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत बफर परिक्षेत्र से लगे ग्रामों की महिलाओं को ब्यूटीशियन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ।

पेपर बैग निर्माण प्रशिक्षण

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत बफर परिक्षेत्र से लगे ग्रामों की महिलाओं को पेपर बैग निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ।

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत बफर परिक्षेत्र से लगे ग्रामों के युवक/युवतियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये गये। प्रशिक्षण प्राप्त कर युवक/युवतियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया जा रहा है।

एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा वनांचाल वासियों को प्रशिक्षण

एल. एन. टी. कंपनी एवं उत्तर वन मण्डल के बीच हुए अनुबंध के फल स्वरूप कौशल प्रशिक्षण केंद्र वन विद्यालय लखनादौन का शुभारंभ हुआ। अब तक वर्ष 2022 में 266 बेरोजगार युवकों को बारवेडिंग एवं फार्म वर्क ट्रेड पर प्रशिक्षण दिया चुका है जिनमे से 147 युवकों को एल. एन. टी. कम्पनी द्वारा नौकरी प्रदान की गई। नौकरी पाए हुए युवकों को वर्तमान में राशि 16500 से लेकर 24000 तक प्रतिमाह वेतन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एल. एन. टी. कम्पनी द्वारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र लखनादौन में प्रति माह 60 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा है। लखनादौन वन विद्यालय में एक माह का प्रशिक्षण एवं दो माह का प्रशिक्षण हैदराबाद में कुल तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। बेरोजगार युवकों की प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता पाँचवी से लेकर स्नातक तक है, आयु सीमा 18 से 34 वर्ष है एवं प्रशिक्षण अवधि में आवास एवं भोजन की सुविधा कम्पनी द्वारा निशुल्क दी जाती है।

अभी तक चयनित बेरोजगार युवकों में से 80 प्रतिशत युवक अनुसूचित जनजाति से है। प्रशिक्षण प्राप्त युवा अधिकांशतः सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मण्डला, छिंदवाड़ा एवं रीवा जिले से है। बेरोजगार युवा (वन समिति सदस्य) वन अपराध में लिप्त न हो इस हेतु वन विभाग द्वारा यह अनूठी पहल की गई है।

"महुआ निर्यात से मिला आदिवासियों की आजीविका को सहारा

भारतीय वन अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान अकाष्ठ वन उत्पादों का है उनमें से महुआ एक महत्वपूर्ण वनोपज है जो जनजातीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता आया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्यों में महुआ बहुतायत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश महुआ उत्पादन के मामले में अग्रिणी राज्यों में आता है यहाँ प्राय: 300000 टन महुआ का उत्पादन होता है। प्रदेश के जनजातीय समूह अपने जीवन में बड़े पैमाने पर महुआ उपयोग करते हैं परन्तु पारंपरिक तौर पर खाने के अलावा मुख्यतः महुआ फूल का उपयोग शराब बनाने में ही किया जाता रहा है जिसके लिए कोई विशेष संग्रहण के तौर तरीकों का आवश्यकता नहीं होती । खाने में भी महुआ का उपयोग धीरे धीरे चलन से जाता रहा इसलिए फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण बहुत सीमित हो गया एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महुआ को नहीं देखा गया।

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने महुआ फूल के व्यवसायिक उपयोग में शराब से भिन्न उपयोग में संभावनाएं तलाशते हुए फूड ग्रेड महुआ संग्रहण का निर्णय लिया और राज्य के 9 जिलों को जहां महुआ बहुतायत में होता उनको इसकी ज़िम्मेदारी दी। साथ ही फूड ग्रेड महुआ के संभावित ख़रीदारों की खोज शुरू की और फलस्वरूप दिसम्बर 2022 में आयोजित 9 वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लंदन की कंपनी O' Forest की भारतीय इकाई के साथ 200 टन महुआ का 110/- प्रति किलो की दर से निर्यात का अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार O' Forest फूड ग्रेड महुआ Organic Certification के साथ खरीदेगा।

इस अनुबंध से संग्रहण की गतिविधि की प्रतिबद्धता को बल मिला और अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संग्रहण, नामित 9 जिला यूनियनों; उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी, दक्षिण बैतूल, मंडला और खंडवा को निर्देशित किया गया। इसके साथ इन सभी जिला यूनियनों के Organic Certification की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई जिससे अनुबंधानुसार महुआ निर्यात के लिए पात्र हो सके।

फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी होती है कि महुआ फूल को किसी भी स्थिति में सीधे जमीन में गिरने से रोका जाए, यदि महुआ फूल सीधे जमीन में गिरता है तो रेत, मिट्टी और अन्य खरपतवार चिपक जाते हैं जो किसी भी तरह महुआ से निकल नहीं पाते और वो महुआ खाने योग्य नहीं रह जाता। संग्रहीत महुआ खाने योग्य हो ये सुनिश्चित करने के लिए नेट के माध्यम से महुआ संग्रहण करने का फैसला लिया गया।सभी जिला यूनियन एक जैसी प्रक्रिया का पालन करें जिससे सभी जगहों में संग्रहीत महुआ की गुणवत्ता एक जैसी रहे, इस बात पर ज़ोर देते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जिसमें संग्रहण, सुखाने, बोरा भर्ती इत्यादि की मानक प्रक्रिया तैयार करके सभी लक्षित जिला यूनियनों से साझा किया गया और इस बात के निर्देश दिये गए की इस प्रक्रिया से इतर संग्रहीत महुआ को अलग रखा जाए।

ग्रीन नेट वितरण :

फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण में ग्रीन नेट का उपयोग करने से संग्रहण की लागत में कमी आएगी। इस उद्देश्य से संघ द्वारा चयनित जिला यूनियनों को ग्रीन नेट खरीदने और संग्राहकों को वितरण निर्देश दिया गया। विभिन्न मदों से जिला यूनियनों को राशि संघ द्वारा भेजी गई जिससे ग्रीन नेट खरीदा गया। खंडवा, उमरिया, अलीराजपुर, दक्षिण बैतूल और पश्चिम मंडला जिला यूनियनों को कुल 60 लाख रुपये ग्रीन नेट, फूड ग्रेड बोरे एवं अन्य वस्तुओं के क्रय एवं वितरण के लिए संघ द्वारा दिये गए।

महुआ फूल गिरने का समय बहुत कम दिनों का होता है जो मौसम की गर्मी पर निर्भर करता है ये प्राय: 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में होता है। संग्रहण के इस छोटे समयावधि को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने युद्ध स्तर में काम करते हुए लक्षित जिला यूनियनों में एक-एक संग्राहक तक पहुँच बनाकर इस कार्य को सम्पन्न किया। इस वर्ष (2023) मौसम की अनिश्चितताओं जैसे महुआ गिरने के समय बारिश और जरूरी गर्मी का न होने के कारण महुआ उत्पादन बहुत कम हुआ है और इसका असर फूड ग्रेड महुआ संग्रहण पर भी पड़ा जिससे कुल 69.6 टन महुआ संग्रहीत हुआ।

संग्रहित महुआ का गुणवत्ता परीक्षण O'Forest की टीम द्वारा किया गया और 68 टन महुआ उनके द्वारा खरीद लिया गया जो अब निर्यात के लिए भेजा जा चुका है।

यह ऐसा पहला मौका था जिसमें इतने बड़े स्तर पर फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण का कार्य किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में संग्राहकों के चिंहांकन से लेकर महुआ निर्यात तक संघ ने अथक प्रयास करके इस निर्यात को सफल बनाया।

इस पूरे महुआ निर्यात की गतविधि से महुआ संग्राहकों को व्यापारियों के दुष्चक्र से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रुपये प्रति किलो है। परंतु लघु वनोपज संघ के इस अद्भुत पहल से 35 रुपये प्रति किलो का महुआ 110 रुपये प्रति किलो के दर से लंदन में निर्यात किया जा रहा है एवं 2024 में होने वाले उत्पादन के लिए संघ तत्परता से प्रयास कर रहा है जिससे महुआ की और अच्छी कीमत मिल सके एवं महुआ को सतत आजीविका के साधन के रूप में विकसित किया जा सके।

जनजातिय कौशल विकास क्षेत्र में कान्हा प्रबंधन की नई पहल

मध्य भारत के उच्च पठारों के जंगलों में रहने वाले "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" - बैगा अपने समुदाय में कौशल के अनेक नायाब खजाने को छुपाये हुये है। इसी में से एक है अपने लिये बनाये जाने वाले अत्यंत सुंदर आभूषण जो कि महिलायें त्योहारों एवं विवाह समारोह में धारण करती हैं। इन्हें स्थानीय रूप से “मुंगादाना” एवं “मोतीदाना” कहते है। कान्हा टाइगर रिजर्व के आस-पास रहने वाले बैगा जनजातीय की इसी कौशल को बढ़ा कर उन्हें आमदनी का एक नया स्त्रोत देने हेतु कान्हा प्रबंधन ने "दी लास्ट विल्डरनेश फांऊडेशन” की सहायता से एक पहल की हैं।

इसके लिये ग्राम बांधाटोला की 12, झगड़ाटोला की 10, चिचरिंगपुर की 5 एवं खुरसीपार की 1 महिलाओं को प्रेरित कर दी लास्ट विल्डरनेश फांऊडेशन की सहायता से आभूषण बनाने के कौशल को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें आभूषण बनाने हेतु विभिन्न सामग्री जैसे मूंगा, मोती, तांत आदि बुनियादी सामग्री प्रदाय की गयी तथा तैयार किये गये आभूषण प्राप्त कर उसे विक्रय की सुविधा प्रदाय की गयी है।

बनाये गये आभूषणों को कान्हा वकर्स सोसायटी के शोविनियर शॉप्स में रखकर विक्रय किया जा रहा है इसके अतिरिक्त दी लास्ट विल्डरनेश फांऊडेशन की सहायता से इसे पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर आदि के मेले में रखकर तथा ऑनलाईन शापिंग साइट्स अमेजान में विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में इस तरह विक्रय पद्धति अपनाकर इन ग्राम की महिलाओं को अंशकालिक कार्य करने पर औसतन प्रतिदिन रू. 350-500 तक आय हो रही है। इस गतिविधि के प्रारंभ हो जाने से इस समुदाय का आस-पास के जंगलों पर निर्भरता में कमी आयी है।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के परम्परागत बांस शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बांस हस्तशिल्प, बास्केटरी, बांस आभूषण, बांस फर्नीचर, एवं यूटीलिटी हस्तशिल्प आइटम इत्यादि विधाओं में प्रशिक्षित कराया जाता है। बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल विकास हेतु बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI) अगरतला, त्रिपुरा के अतिरिक्त म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST), राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (NID) आदि संस्थानों से समन्वय किया गया है। वर्ष 2022-23 तक राज्य बांस मिशन द्वारा कुल 2209 बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

विगत वर्षों में बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI) अगरतला में प्रदेश के बांस शिल्पकारों को 30 दिन का कौशल

उन्नयन प्रशिक्षण दिलाया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) एवं राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (NID) के सहयोग से प्रदेश में ही ओरिएंटेशन फेज (स्थानीय स्तर पर), डिज़ाइन फेज (ओरिएंटेशन फेजके दोरान चयनित शिल्पकारों को) एवं प्रोडक्शन फेज के अंतर्गत त्रि-स्तरीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किये गए हैं।

इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा क्षमता विकास कार्यक्रम

डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन एवं सभापति आम सभा, म.प्र. इकोपर्यटन विकास बोर्ड के मार्गदर्शन मे स्थानीय समुदायों के क्षमता विकास हेतु समय समय पर बहुमूल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम इकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर कार्यरत इकोपर्यटन विकास समिति के सदस्यों की क्षमता विकास एवं उनके लिए रोजगार के नए अवसर स्थापित करने मे सहायक सिद्ध हुये है।

1. वरिष्ठ अधिकारियों का ईकोपर्यटन पर प्रशिक्षण -

मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा सतत वन प्रबंधन में इकोटूरिज्म को मुख्यधारा मे लाने हेतु **ग्लोबल सस्टेनेबल टुरिज़म काउन्सिल (GSTC)** के साथ MoU हस्ताक्षरित कर **दिनांक 23 – 24 जनवरी 2023** को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमे विभाग के वरिष्ठ

अधिकारियों सहित वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्र स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को इकोपर्यटन के मापदंडों को समझाने एवं उनमे प्राकृतिक और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा कर वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका विकास के लिए संवेदनशील किया गया।

2. समस्त टाइगर रिजर्व / अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान मे कार्यरत गाइडों की क्षमता विकास प्रशिक्षण -

इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष समस्त टाइगर रिजर्व / अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान मे कार्यरत गाइडों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमे अनुभवी शिक्षकों द्वारा उन्हें वन्यप्राणी एवं वनस्पतियों के बारे मे विस्तृत जानकारियाँ प्रदान की जाती है। इससे वे उक्त स्थलों पर आगंतुक पर्यटकों को बेहतर अनुभव एवं

उनकी पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि में सहायक बनते है। इस वर्ष इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व / अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानों मे कार्यरत कुल 888 गाइडों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम मे प्रशिक्षित किया गया।

3. खानसामा प्रशिक्षण -

मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा चयनित गंतव्य स्थलों के स्थानीय इको पर्यटन विकास समिति के सदस्यों की क्षमता विकास के उद्देश्य से 07 दिवसीय खानसामा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 23.02.2023 से 28.02.2023 को आयोजित किया गया । यह प्रशिक्षण मध्यप्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रैवल एण्ड टूरिज़म स्टडीज, भोपाल मे सम्पन्न हुआ और उसके उपरांत 2 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कठौतिया इको कैम्प सिहोर मे सम्पन्न हुआ। गंतव्य स्थल पर आये पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना एवं उनका रोचक प्रस्तुतीकरण करना, स्वच्छता एवं सत्कार के तरीके, जल एवं ऊर्जा के संवर्धन का महत्व, स्थानीय समुदाय द्वारा बनाए गए व्यंजनों की जानकारी, लघु वनोपज से निर्मित विभिन्न व्यंजन, इत्यादि के बारे मे प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। प्रदेश के विभिन्न इकोपर्यटन गंतव्य स्थलों जैसे खिवनी अभयारण्य देवास, कुकरु बैतूल, सापना बैतूल, कठौतिया सिहोर, समर्धा भोपाल से उपस्थित कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों ने उक्त विधाओ मे जानकारी प्राप्त की।

ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत कौशल विकास द्वारा वन क्षेत्रों में रोज़गार के साधन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "नेशनल एक्शन प्लान फार क्लाइमेट चेंज" के 8 मिशनों में से एक नेशनल मिशन फार ए ग्रीन इंडिया' के तहत देश में 50 लाख हे. क्षेत्र में वनावरण तैयार किया जाना, 50 लाख हे. क्षेत्र वनों को सुधारना एवं वनों पर आधारित 30 लाख परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष में ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा इको सिस्टम सेवाओं के विकास को स्थानीय समुदायों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से उपचार प्रस्तावित है, जिसके तहत वनों का सुधार एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ वन आश्रित स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक एवं वन आधारित आजीविका के साधन उपलब्ध कराना एवं उनकी क्षमता विकास किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत भू-परिदृश्य के ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाने लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। विगत पाँच वर्षों (2018-2019 से 2022-23) में ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत 20 वनमंडलों में ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण (वन आधारित + गैर वन आधारित) कार्यक्रम आयोजित किए गए है। कुल 12,830 ग्रामीण हितग्राहियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण द्वारा आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए गए, जिनमे से 10,204 ग्रामीण हितग्राही अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे है।

तालिका 1 - वन आधारित आजीविका सुधार गतिविधियां

क्र.	कौशल विकास/प्रशिक्षण	प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	रोजगार प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	वनमंडल
1	जाल का उपयोग कर महुआ संग्रह	4012	4012	होशंगाबाद, सतना, सीहोर, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल
2	मधुमक्खी पालन और शहद संग्रह	265	265	होशंगाबाद, उमरिया, दक्षिण पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी
3	केचुआ खाद निर्माण	435	435	उत्तर बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, दक्षिण बालाघाट, सतना, उमरिया, दक्षिण पन्ना, शिवपुरी, सीहोर, श्योपुर
4	वर्मीबायोडायजेस्टर	36	36	दक्षिण सागर
5	अगरबत्ती बनाना	65	65	सतना, श्योपुर
6	बांस शिल्प	60	60	सतना
7	मशरूम की खेती	252	108	होशंगाबाद,उत्तर बैतूल, ओबेदुल्लागंज
8	हर्बल रंग बनाना	30	30	धार
9	लाख लेख बनाना	20	20	दक्षिण बालाघाट
10	महुआ वृक्षों का ट्रीटमेंट	125	80	सतना
11	लघुवनोपज बेकरी यूनिट	11	11	उत्तर बैतूल
कुल		**5,311**	**5,122**	

वानिकी आधारित गतिविधियों में महुआ फूलों के एकत्रीकरण हेतु जालियों का वितरण, अगरबत्ती निर्माण,मधुमक्खी पालन और शहद संग्रहण, केंचुआ खाद निर्माण, मशरूम उत्पादन एवं महिला समूह द्वारा लघु वनोपज बेकरी यूनिट का संचालन इत्यादि मुख्य आजीविका गतिविधियाँ हैं। जिनसे 5,311 हितग्राही लाभान्वित हुए एवं 5,122 हितग्राही अतरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं की आवश्यकता के अनुसार विविध गैर वानिकी आधारित आजीविका गतिविधियों की भी योजना बनाई गई थी। गैर वानिकी आधारित आजीविका गतिविधियों हेतु युवा हितग्राहियों की आवश्यकताओ का आकलन कर कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन किया गया और ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। गैर वानिकी आधारित कौशल विकास/प्रशिक्षण मिशन अंतर्गत प्रदान किये जा रहे सभी प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड (MPSSDEGB) के समन्वय में विभिन्न NSDC (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपोरेशन) से सम्बद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (गैर सरकारी संगठनों) द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो की राष्ट्रीय मानकों के अनुसार NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) अंतर्गत प्रमाणीकरण, एकरूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोज़गार के अवसर में वृद्धि कर रहे है। ग्रामीण युवाओं को अपनी आजीविका के लिए आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुल 7,519 व्यक्तियों को गैर वन आधारित विभिन्न विधाओं / व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया। जिनमे से 5,082 युवा कार्यरत हैं।

तालिका 2 - गैर वन आधारित आजीविका सुधार गतिविधियां

क्र.	कौशल विकास/प्रशिक्षण	प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	रोजगार प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	वनमंडल
1	सिलाई	2415	1718	उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ, ओबैदुल्लागंज, रायसेन, सेंधवा, दक्षिण बालाघाट, उमरिया, दक्षिण पन्ना, दक्षिण सागर, सीहोर, दक्षिण सिवनी, सतना, धार, खंडवा
2	बेकार कपड़ा से रस्सी बनाना	78	78	दक्षिण बालाघाट
3	कंप्यूटर प्रशिक्षण (डाटा एंट्री ऑपरेटर)	465	186	उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ, रायसेन, सेंधवा
4	डोना पत्तल मेकिंग	78	78	दक्षिण सागर, सीहोर, पश्चिम बैतूल
5	सेनेटरी नैपकिन बनाना	12	12	उत्तर बैतूल
6	मछली पालन	148	148	सतना, सीहोर, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, धार
7	मुर्गी पालन	247	168	होशंगाबाद, दक्षिण सिवनी, उमरिया, सीहोर, धार, सतना
8	छोटा वाहन ड्राइविंग (LVM)	504	454	झाबुआ, सीहोर, उत्तर बैतूल, बड़वानी, पश्चिम बैतूल, दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट
9	सुरक्षा गार्ड (unarmed)	429	302	उत्तर बैतूल, सीहोर, बड़वानी, सेंधवा, श्योपुर

क्र.	कौशल विकास/प्रशिक्षण	प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	रोजगार प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	वनमंडल
10	सहायक इलेक्ट्रीशियन	944	586	उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, होशंगाबाद, बड़वानी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, धार, ओबेदुल्लागंज, दक्षिण पन्ना
11	जेसीबी ऑपरेटर	39	22	उत्तर बैतूल
12	टू व्हीलर रिपेयर (ऑटोमोबाइल टेक्निशियन)	582	434	उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, दक्षिण सागर
13	बेसक वेल्डिंग वर्क	11	11	दक्षिण बालाघाट
14	ब्यूटी पार्लर एवं मेकअप आर्टिस्ट	352	137	होशंगाबाद, धार, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण पन्ना
15	फ़ूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट	105	61	सतना, दक्षिण सागर
16	प्लंबिंग वर्क	30	30	उत्तर बैतूल
17	मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर रिपेयर तकनीशियन	30	30	सतना
18	टेलीविज़न रिपेयर तकनीशियन	20	20	सतना
19	जनजातीय पारम्परिक चित्रकला	69	69	सेंधवा
20	ट्रेनिंग ऑन एंटरप्राइज डेवलपमेंट	60	60	होशंगाबाद
21	अन्य कौशल विकास गतिविधियां (सॉफ्ट टॉय मेकिंग/एम्ब्रॉयडरी/साबुन मेकिंग/मेसन ट्रेनिंग, मैक्रम वर्क)	891	155	धार, दक्षिण पन्ना, दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, सतना, दक्षिण सागर
कुल		**7,519**	**5082**	
कुल योग (वन आधारित+गैर वन आधारित)		**12,830**	**10,204**	

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में "भारत (आज़ादी) का अमृत महोत्सव" अंतर्गत आयोजित विभिन्न कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने में ग्रीन इंडिया मिशन वन विभाग, मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हैं।

सफलता की कहानी

वनों में आग लगने की घटनाओं पर अंकुश लगाकर दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल बना "अग्निवीर"

आग वनों को अत्यधिक हानि पहुंचाती है, यह पेड़-पौधों, वन्यप्राणियों, वायु प्रदूषण के साथ भूमि की उर्वराशक्ति पर भी विपरीत प्रभाव डालती है एवं बड़ी मात्रा में वनक्षेत्र प्रभावित होता है। वन अग्नि के दुष्प्रभाव से बैतूल जिला भी अछूता नहीं है। चूंकि बैतूल जिले का अधिकांश भाग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अंतर्गत आता है एवं वनक्षेत्र अत्यन्त दुरह, पहाड़, खाईयों, घाटियों से घिरा है जिस कारण आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर अग्नि प्रभावित स्थल तक पहुंचकर भीषण गर्मी में कम से कम समय में आग बुझाना अत्यन्त दुरह कार्य है। इसी पर्वत श्रंखला में सतपुड़ा मेलघाट टाईगर कॉरिडोर का संवेदनषील क्षेत्र भी सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के फारेस्ट फायर काम्पेंडियम रिपोर्ट के अनुसार फायर सीजन 2022 में दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल मध्यप्रदेश में 17 वें स्थान पर था। इस वर्ष फायर सीजन 2023 में मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त बैतूल श्री पी. जी. फुलझेले (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल श्री विजयानन्थम टी. आर. (भा.व.से.) द्वारा अन्य विभागों, वन समिति सदस्यों एवं आम नागरिकों से समन्वय स्थापित कर फायर अलर्ट कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप फायर अलर्ट में विगत वर्ष 2022 की तुलना में इस वर्ष 2023 में 69 प्रतिशत की कमी आई। फायर सीजन 2022 में दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल अन्तर्गत 1081 फायर अलर्ट प्राप्त हुए थे। वन अग्नि सुरक्षा हेतु किये गये विशेष प्रयासों से इस वर्ष 2023 में मात्र 344 फायर अलर्ट प्राप्त हुए।

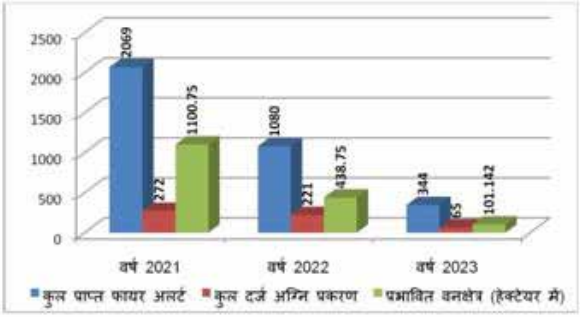

इस वर्ष "वनों को आग से बचाने हेतु फायर सीजन 2023 आरंभ होने के पूर्व ही वनमंडलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) वनमडल बैतूल श्री विजयानन्थम टी. आर. (भा.व.से.) द्वारा माह दिसम्बर में फायर लाईन साफ-सफाई एवं जलाने का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देश जारी किये। मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत बैतूल श्री पी. जी. फुलझेले (भा.व.से.) एवं वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) द्वारा वनमंडल अंतर्गत समस्त वनसुरक्षा एवं ग्राम वन समितियों की विशेष अग्नि सुरक्षा बैठकें आयोजित की गई जिसमें ग्रामवासियों को वनों को आग से बचाने हेतु प्रेरित किया

गया। फायर सीजन 2023 में कुल 205 वन समितियों की विशेष अग्नि सुरक्षा बैठकें आयोजित की गई । स्वयं मुख्य वनसंरक्षक महोदय एवं वनमंडलाधिकारी भी इन बैठकों में सम्मिलित हुये।

वनों को आग से बचाने हेतु "SOP", "वन अग्नि दिशा निर्देश" जारी किये गये। जिसमें फायर अलर्ट प्राप्त होने के पूर्व एवं बाद में चरणबद्ध तरीके से आग बुझाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल अंतर्गत 4 वनपरिक्षेत्रों की वन सीमा महाराष्ट्र राज्य की वन सीमा से लगी हुई है अतः वन अग्नि सुरक्षा हेतु महाराष्ट्र राज्य के वन अधिकारियों के साथ कुकरू में अग्नि सुरक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वनों को अग्नि से बचाने हेतु चर्चा की गई। बैठक में दोनों राज्यों के वन अधिकारी सम्मिलित हुये। बैठक में वन अधिकारियों के अग्नि सुरक्षा हेतु समन्वय, सूचना के आदान-प्रदान, संयुक्त वनगश्ती आदि पर जोर दिया गया तथा वन सीमा अग्नि दुर्घटना होने पर क्षेत्र के संबंधित फील्ड अधिकारियों को संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर अग्नि सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया।

दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल द्वारा प्रत्येक ग्राम जागरूकता शिविरों का आयोजन कर वन अग्नि सुरक्षा हेतु पोस्टर पेम्पलेट प्रत्येक ग्राम में उचित स्थानों पर चस्पा किये गये। चूकिं आग स्वयं नहीं लगती अतः ऐसे कृषि भूमि क्षेत्र जो कि वन सीमा के नजदीक है कृषि भूमि धारकों को विशेष रूप से आग न लगाने हेतु प्रेरित किया गया। वर्ष 2023 में महुआ फूल संग्रहण हेतु महुआ संग्राहकों को लघु वनोपज संघ के माध्यम से नेट प्रदाय किये गये जिससे फूडग्रेड महुआ का संग्रहण हुआ जिसकी मांग येलो टी हेतु विदेशों में भी है। उच्च गुणवत्ता फूडग्रेड महुआ को विदेश एक्सपोर्ट करने हेतु कार्य किया जा रहा है। नेट के माध्यम से महुआ संग्रहण कार्य से वनों में आग लगने की घटनाओं में भी कमी आई है।

फायर सीजन 2023 में वनमंडल अंतर्गत समस्त समितियों / ग्राम के सभी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के 2981 मोबाईल नम्बर वन अग्नि 3.0 पोर्टल पर पंजीकृत कराये गये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आग लगने की सूचना एस. एम. एस. के माध्यम से प्राप्त हो सके। इन पंजीकरणों से एस.एम.एस. के माध्यम से आग की

सूचना समय प्राप्त हुई जिससे अग्नि प्रभावित स्थल पर शीघ्रता से पहुंच कर आग बुझाने में सफलता प्राप्त हुई। विगत वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में मोबाईल पंजीकरण में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वन अग्नि 3.0 पोर्टल पर फायर सीजन 2022 में वनमंडल अंतर्गत मात्र 725 मोबाईल नम्बर पंजीकृत किए गए थे।

फायर सीजन वर्ष 2023 में वन अग्नि की त्वरित सूचना के आदान प्रदान एवं दूरदराज के वनक्षेत्रों में आग की सूचना प्रेषित करने हेतु वनमंडल स्तर पर फायर कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया गया जो कि 24 घंटे कार्यरत रहा जिस कारण वन अग्नि की सूचना तत्काल संबंधित बीट में पदस्थ वन कर्मचारियों को प्राप्त हो जाती थी जिससे कम से कम समय में आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र को ब्लोअर भी प्रदाय किये गये जिससे आग पर काबू पाने में आसानी हुई। वन कर्मचारियों को इस हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया।

वनों को आग से बचाने हेतु अलग-अलग टीम बनाकर वनक्षेत्र में निरंतर गश्ती की गई एवं आग पर सतत् नजर बनाए रखी गई। वनमंडल अंतर्गत वन अग्नि सुरक्षा प्रोत्साहन राशि उन वन समितियों को प्रदाय की गई जिन वन समितियों ने वनों को आग से बचाने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। वन समिति सदस्यों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रोत्साहन स्वरूप टी शर्ट, पानी की बॉटल, गमछा प्रदाय किये गये। इस समस्त प्रयासों से फायर सीजन वर्ष 2023 में वनमंडल अंतर्गत मात्र 344 फायर अलर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण से प्राप्त हुये जो विगत वर्ष 2022 की तुलना में 69 प्रतिशत कम है। विगत वर्ष 2022 में 438.75 हेक्टेयर वनक्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ था, फायर सीजन 2023 में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मात्र 101.142 हेक्टेयर वनक्षेत्र ही अग्नि से प्रभावित हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत कम है।

वनों को आग से बचाने का श्रेय वनमंडल के समस्त वन कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों को जाता है, जिनके उत्कृष्ट प्रयासों से फायर सीजन वर्ष 2023 में वनमडल अंतर्गत कम अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई है एवं वन अग्नि घटनाओं में अंकुश लगाने के प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई।

सफलता की कहानी

अभिनव पहल - वन समितियों के माध्यम स्कूली छात्र - छात्राओं की शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लासेस की स्थापना

सफलता की कहानी के इस अंक में बात होगी हमारे भविष्य अर्थात हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त करने हेतु आधुनिक तकनीक के प्रयोग से शिक्षा प्रदाय करने के बारे में। सर्व विदित है कि वन विभाग द्वारा ग्राम विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। वनों के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम में वन समितियों का गठन किया गया है जिनके माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं ग्राम विकास हेतु कार्य किये जाते है। अभी तक वन समितियों के माध्यम ग्राम विकास हेतु सामुदायिक भवन, सी.सी. रोड, सोलर लाईट, तालाब, स्टापडेम निर्माण आदि कार्य कराये जाते रहे है ।

पिछले कुछ वर्षों से स्मार्ट क्लास, स्कूलों और कक्षाओं का एक अभिन्न अंग बन गये है। यह कक्षाओं में शिक्षा के लिए आवश्यक रूप से डिजिटाइज्ड करता है साथ ही, यह शिक्षकों को अपने कक्षा शिक्षण को पूरक बनाने का अधिकार देता भी है। स्मार्ट क्लास सभी विषयों और अध्यायों पर समृद्ध डिजिटाइज्ड और एनिमेटेड शिक्षण सामग्री के साथ स्कूली छात्र- छात्राओं को मनोरंजक रूप से शिक्षा प्रदान करता है ।

दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल बैतूल द्वारा स्कूली छात्र - छात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से डिजिटाइज्ड शिक्षा प्रदाय करने हेतु एक अभिनव पहल की गई जिसके तहत वन समितियों के माध्यम से ग्राम के शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हेतु Education Content of Smart TV. सभी 6 वन परिक्षेत्रों में स्थापित किये गये। विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	परिक्षेत्र	शासकीय विद्यालय के नाम	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी
1	आमला (सामान्य)	शा.मा.शा.वि. खाण्डेपिपरिया	श्री आर. एस. उइके, प.अ. आमला
2	ताप्ती (सामान्य)	शा.वि. चिखली	सुश्री पूजा नागले, प. अ. ताप्ती
3	मुलताई (सामान्य)	शा.उ.मा.वि. मासोद	श्री नितिन पंवार, प.अ. मुलताई
4	आठनेर (सामान्य)	शा.ई.पी.एस. हाई स्कूल रजापुर	श्री नितिन पंवार, प.अ. आठनेर
5	भैसदेही (सामान्य)	शा.प्रा./ मा.शा. भादूगांव	श्री अमित चौहान, प.अ. भैसदेही
6	सांवलमेंढा (सामान्य)	शा.मा.शा. डेडवाकुण्ड	श्री आर. एस. परते, प.अ. सांवलमेंढा

वनमंडल द्वारा स्थापित किये गये यह स्मार्ट टी. व्ही. टच पैनल के साथ 1st से 12th कक्षा तक के समस्त विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आडियो, वीडियो फार्मेट सुविधायुक्त हैं। इनके संचालन हेतु इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है समस्त विषय ऑफलाईन पढ़े एवं पढ़ाए जा सकते है। इन स्मार्ट टी. व्ही. में साथ पावर बैकअप यू.पी.एस. भी है जिसका बैकअप समय लगभग 30 मिनट का है। वेब कैमरा और माईक की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध होने पर ऑनलाईन सेमीनार, मीटिंग्स, ट्रेनिंग आदि का आयोजन किया जा सकता है।

आज इन स्मार्ट क्लासेस से स्कूली छात्र-छात्राएं आधुनिक तकनीक से स्मार्ट टी. व्ही. के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करता है और कठिन से कठिन विषयों को समझने में उनकी रुचि बढ़ाता है एवं एनिमेशन के माध्यम से छात्र - छात्राओं को किसी भी विषय में को रोचक बनाकर स्पष्ट तरीके से सीखने में मदद करता है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण, व्यावहारिक ज्ञान और अनुप्रयोग उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।

वनमंडल द्वारा की गई इस अभिनव पहल से न केवल भावी पीढ़ी आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्राप्त कर रहीं है अपितु ग्रामवासियों / छात्र-छात्राओं के माता-पिता के हृदय में वनविभाग की छवि भी सुदृढ़ हो रही है। ग्रामवासी जागरूक हो रहे हैं। वनविभाग ने ग्रामवासियों का विश्वास भी जीता है बल्कि भविष्य की भावी पीढ़ी के हृदय में वन विभाग के प्रति एक अच्छी छवि बन रही है। स्वयं बच्चों द्वारा भी इन स्मार्ट टी. व्ही. का संचालन किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने हेतु इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं वनविभाग के अधिकारी कर्मचारी भी नियमित रूप से इन स्मार्ट क्लासेस में उपस्थित होते है एवं स्कूली छात्र - छात्राओं को पर्यावरण, प्रकृति, वन, वनों का विकास एवं सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताते है, इससे वह आधुनिक तकनीक के माध्यम से पर्यावरण एवं वनों का महत्व समझ रहे है।

इन स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण / उद्घाटन ग्राम के ही सरपंच / समिति अध्यक्षों द्वारा कराया गया है । वनविभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वन विभाग / शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। इससे एक समन्वय भी स्थापित हुआ। स्मार्ट क्लासेस के संचालन हेतु वनकर्मियों द्वारा स्कूली छात्र - छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। इन स्मार्ट क्लीसेस के माध्यम से ग्राम के बच्चे शिक्षा की ओर प्रेरित हुये एवं शासकीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गई।

"अंतरराज्यीय सागौन तस्करी की जप्ती में की गई सफलतापूर्वक कार्यवाही"

(मध्य प्रदेश के बैतूल से राजस्थान के भीलवाड़ा तक अंतरराज्यीय सागौन तस्करी में सुश्री पूजा नागले (भा.व.से.), प्रशिक्षु द्वारा स्वयं आगे रहकर, छापामार कार्यवाही कर, अवैध रूप से काटी गई लाखों रूपयों की वन सम्पदा को जप्त कर वापस बैतूल लाने में प्राप्त की गई सफलता की कहानी)

सुश्री पूजा नागले (भा.व.से.), प्रशिक्षु, परिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती (सामान्य) द्वारा मध्यप्रदेश के बैतूल से राजस्थान के भीलवाड़ा तक अंतरराज्यीय सागौन तस्करी केस में स्वयं आगे रहकर राजस्थान राज्य में जाकर छापामार कार्यवाही कर सागौन तस्करी की बैतूल जिले से अवैध रूप से काटी गई लाखों रूपयों की वन सम्पदा को जप्त कर वापस बैतूल लाने में सफलता प्राप्त की है।

घटना दक्षिण बैतूल डिवीजन के ताप्ती रेंज के महुपानी सर्कल की है। मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत बैतूल श्री प्रफुल्ल फुलझेले (भा.व.से.) की फ्लाइंग स्क्वाड टीम की सक्रिय भागीदारी से यह मामला जानकारी में आया। 8 मार्च 2023 को सागौन के परिपक्व वृक्ष अवैध रूप से काटे जाने एवं सागौन के लट्ठों को एक ट्रक द्वारा ले जाये जाने की घटना प्रकाश में आई। संदिग्धों के बारे में किसी भी तरह की खुफिया जानकारी नहीं मिल सकी। घटना स्थल के आसपास कोई सी. सी. टी. व्ही. कैमरे भी नहीं थे और सागौन लकड़ी गंतव्य पर पहले ही पहुंच गई थी।

सागौन तस्करी के जिस मामले की चर्चा की जा रही है, उसमें सागौन वृक्षों कटाई में शामिल मुख्य आरोपी हरदा गैंग ही निकला। यह गैंग हरदा, खंडवा, सिवनी, देवास, नर्मदापुरम और बैतूल जिले के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी सक्रिय हैं। यह संगठित तरीके से काम करते हैं और लगभग पिछले एक दशक से सक्रिय हैं। बड़े पैमाने पर काटा गया सागौन अधिकतर राजस्थान में ले जाया जाता है।

श्री पूजा नागले (भा.व.से.) प्रशिक्षु द्वारा सागौन तस्कतरों के विरूद्ध की गई कार्यवाही में

प्रौद्योगिकी का अनोखा उपयोग किया गया। टावर डंप, कॉल डेटा रिकॉर्ड, लाइव स्थान पूरी जांच में यह अनोखा और केंद्रीय हिस्सा था, जो जंगल से जुड़े मामलों में दुर्लभ है । घटना प्रकाश में आते ही जिला पुलिस साइबर सेल से कॉल डेटा रिकॉर्ड (सी.डी.आर.) मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत बैतूल के माध्यम से प्राप्त किया गया तथा 24 घंटों से भी कम समय में काल डेटा रिकार्ड से उन मोबाईल नम्बरों को ढूंढ निकाला जो तत्कालीन समय में घटना स्थल के निकट स्थापित मोबाईल टॉवर से कनेक्ट थे। दो मोबाईल नंबरों की सी. डी. आर. से घटना दिनांक को महुपानी (बैतूल) से भीलवाड़ा, राजस्थान तक की उनकी तत्काल यात्रा का पता चला। पुलिस विभाग के साथ यह सारा समन्वय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल श्री विजयानन्थम टी. आर. (भा.व.से.) के सक्रिय अनुसरण से संभव हुआ।

सफल छापेमारी के लिए उनके निवास स्थान को जानने के लिए सी. डी. आर. आदि का विश्लेषण किया गया। दोनों संदिग्धों के आवास पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाकर एक साथ छापेमारी की गई, अन्यथा गिरोह एक-दूसरे को सचेत कर देता । एक संदिग्ध आवास पर छापेमारी के दौरान भाग निकला लेकिन उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। दूसरा संदिग्ध जो कि वाहन चालक था के गांव में छापेमारी सफल रही और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्यवाही में सरप्राइज़ ऑपरेशन सबसे बड़ी ताकत थी क्योंकि योजना के बारे में सीमित लोग ही जानते थे। गिरफ्तार संदिग्ध दूसरा आरोपी जो वाहन चालक था ने अपराध स्वीकार कर लिया और पूछताछ के दौरान इसने हरदा के कुख्यात लकड़ी तस्कर गिरोह का काम बताया। संदिग्ध आरोपी वाहन चालक सागौन की लकड़ियों को भीलवाड़ा (राजस्थान) ले जाता था और उसे उतारने की जगह का ठीक-ठीक पता था।

चूंकि सागौन को राज्य से बाहर ले जाया गया था, इसलिए अंतरराज्यीय छापेमारी की जानी थी और 650+ किमी आने-जाने, तलाशी और जब्ती करने, मालिक का पता लगाने, उसे गिरफ्तार करने और करने के लिए सीमित समय था। वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल (प्रभारी) श्री वरुण यादव (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में पूरी टीम के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां 3 घंटे के भीतर तेजी से प्राप्त कर ली गईं।

सभी आवश्यक अनुमतियां मिलते ही 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, ताकि भीलवाड़ा (राजस्थान) जाकर संदिग्ध आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें. इस हेतु 3 गाड़ियाँ, 14 लोग (एक ड्राइवर और संदिग्ध आरोपी वाहन चालक सहित) ने भीलवाड़ा जाकर कार्यवाही करने हेतु कम समय में योजना बनाई गई। टीम का गठन सदस्यों की आवश्यक बहुमुखी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था जैसे- गिरफ्तारी, कागजी कार्रवाई, लॉग मापना, ड्राइविंग कौशल, शारीरिक रूप से मजबूत, छापे में उनका अनुभव आदि। इस छापामार टीम में सुश्री पूजा नागले (भा.व.से.), प्रशिक्षु, परिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती (सामान्य), नितिन पंवार, परिक्षेत्र, अधिकारी मुलताई, परिक्षेत्र ताप्ती / मुलताई / भैसदेही के अन्य वन कर्मचारी सम्मिलित थे।

12 मई 2023 को दोपहर करीब 01:00 बजे भीलवाड़ा पहुंचकर आरोपी वाहन चालक और एक छोटी टीम के साथ आरोपी की निशानदेही पर पूरी टीम एवं भीलवाड़ा के दो पुलिस कांस्टेबल के साथ एक घंटे के भीतर आरा मिल पर छापा मारा। आरा मशीन मालिक रामेश्वर को आरा मिल में ही पाये गये एवं अवैध सागौन की चिरान चालू थी। छापेमार टीम की कार्यवाही के दौरान कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर तुरंत पुलिस भेजने हेतु एस.पी. भीलवाड़ा श्री आदर्श सिंधु से निरंतर सम्पर्क रखा गया। स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए करीब 81 सागौन के अवैध लट्ठों की जब्ती की कार्यवाही की गयी। श्री रितेश सरोठिया (आई.एफ.एस., एम.पी. कैडर, डब्ल्यू. सी. सी.बी.) के निरंतर टेलीफोनिक मार्गदर्शन के तहत, चीरघर छोड़ने से पहले आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं।

माह जून 2023 तक हरदा वन वनमंडल के सहयोग से लगातार छापेमारी के बाद दो अन्य आरोपियों ने वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्यं) वनमंडल कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।

सागौन तस्करी के इस मामले का मुख्य आरोपी गोकुल विश्नोई, जीतू पंडित की हत्या में शामिल है और उस पर आई. पी.सी. की धारा 302 के तहत आरोप है जिसे आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत हरदा जेल भेजा गया है। एक अन्य आरोपी नंदू पर भी शामिल होने का संदेह था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एक मामले में आईपीसी की धारा 353 के तहत भी आरोप लगाया गया है, जिसमें उसने फरवरी 2023 में वन अधिकारियों पर हिंसा की थी उसे भी हरदा जेल भेज दिया गया था। अन्य आरोपी गोकुल के लिए हरदा जेल को प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए बैतूल अदालत में एक औपचारिक अनुरोध किया गया है।

अंतरराज्यीय सागौन तस्कर विश्नोई हरदा गैंग के विरूद्ध की गई कार्यवाही एवं आरोपियों के अन्य से गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश में लाने के कारण यह छापा बैतूल क्षेत्र में अवैध कटाई को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। कर्मचारी जांच के प्रति अधिक आश्वस्त हो गए हैं और अपनी बीट में नियमित गश्त करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इससे लकड़ी तस्करी माफिया को भी कड़ा संदेश गया। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सागौन तस्करी का यह मामला उच्च स्तर पर सक्रियता से उठाया गया है। उज्जैन में एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई थी जिसे पी.सी.सी.एफ. और वन बल प्रमुख (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान के दौरे से सफल बनाया गया था। सी.सी.एफ. बैतूल एवं डी.एफ.ओ. दक्षिण बैतूल द्वारा इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और तदनुसार पूरे राज्य में क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत बैतूल श्री प्रफुल्ल फुलझेले (भा.व.से.), वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल श्री विजयानन्थम टी. आर. (भा.व.से.) एवं वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल (प्रभारी) श्री वरुण यादव (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में सुश्री पूजा नागले (भा.व.से.), प्रशिक्षु द्वारा अन्य राज्य में जाकर सागौन तस्करों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से न केवल वन कर्मचारियों को हौसला बढ़ा है बल्कि उनके द्वारा की गई इस कार्यवाही से मध्यप्रदेश के साथ बैतूल जिले के दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल का भी नाम रोशन हुआ है।

कैम्पा अंतर्गत आस्थामूलक कार्य (EPA) - ग्राम विकास का माध्यम

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस शर्त में एक महत्वपूर्ण शर्त आवेदक संस्थान या उपयोगकर्त्ता संस्था से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के साथ आस्थामूलक कार्यों हेतु राशि प्राप्त की होती है।

मध्यप्रदेश वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक / एफ- 03 /11 / 2018 / 10-2 दिनांक 14.05. 2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य शासन के प्रस्तावों को छोड़कर शेष प्रस्तावों से क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि आस्थामूलक कार्यों (Entry Point Activity) हेतु प्राप्त की जाती है । उक्त राशि से संबंधित ग्राम समिति के माध्यम से ग्राम सभा / ग्राम समिति द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास के कार्यों को संपादित किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न वन मण्डलों में तालाब निर्माण, रपटा निर्माण, सी.सी. रोड, सामुदायिक भवन, चौपाल निर्माण आदि कार्य किये गये हैं।

विगत तीन वर्षों में कैम्पा मद से आस्थामूलक कार्यों के अंतर्गत कुछ उल्लेखनीय कार्य निम्न हैं :-

(1) स्मार्ट क्लास की स्थापना -

भोपाल वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बैरसिया में DRDO को प्रदत्त वन भूमि के विरूद्ध बीट गुनगा में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है। इस योजना की आस्थामूलक राशि से वन समिति गुनगा एवं ग्रामीणों की मांग के आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनगा में स्मार्ट क्लास की स्थापना वर्ष 2022 में की गई है। ऑडियो / वीडियो की सुविधा से विज्ञान एवं अन्य विषयों को ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र आसानी से समझ पा रहे हैं। अन्य कार्य पर राशि रूपये 1.60 लाख उपयोग की गई है।

(2) पुस्तकालय निर्माण -

औबेदुल्लागंज वन मण्डल के सुदूर वन ग्राम सालेगढ़ में वन विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। उक्त ग्राम में कैम्पा क्षतिपूर्ति वनीकरण में आस्थामूलक कार्य अंतर्गत राशि रूपये 6.00 लाख से पुस्तकालय का निर्माण वर्ष 2022 में किया गया है। पुस्तकालय भवन तथा पुस्तकालय का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 11 नवम्बर 2022 को किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की लगभग 300 पुस्तकों का संग्रह है एवं 147 बच्चे इसके सदस्य हैं।

(3) विद्यालय में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी / टेबल प्रदाय -

वन मण्डल धार अंतर्गत, परिक्षेत्र कुक्षी में डही माइक्रोलिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के विरूद्ध क्षतिपूर्ति रोपण, आस्थामूलक कार्य की राशि रूपये 0.98 लाख से आदिवासी अंचल के ग्राम वायल के शासकीय माध्यमिक विद्यालय, वायल में वर्ष 2022 में टेबल - कुर्सियां विद्यार्थियों के बैठने हेतु प्रदाय की गई। जिससे वहां के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति नवीन उत्साह का संचार हुआ है।

(4) आर.सी.सी. रोड एंव सामुदायिक भवन निर्माण-

दक्षिण सागर वन मण्डल में आस्थामूलक मद की राशि से मैनाई एंव महेन्द्रा वन समिति के अंतर्गत ग्राम मैनाई में आवागमन में सुविधा हेतु वर्ष 2020-21 में 160 र.मी. लंबाई में सीमेंट कांक्रीट रोड लागत राशि रूपये 7.92 लाख तथा ग्राम मैनाई में ही सामुदायिक भवन निर्माण राशि रूपये 7.67 लाख से किया गया है। उक्त निर्माण से ग्राम मैनाई, धौबाई एवं महेन्द्रा के सैकड़ों ग्रामीण लाभान्वित हुये हैं।

(5) सौर ऊर्जा संचालित पम्पिंग सिस्टम की स्थापना - वन मण्डल श्योपुर के वन परिक्षेत्र

कराहल में 132 के.व्ही. शिवपुरी - कराहल विद्युत लाईन निर्माण कार्य से प्रभावित वन क्षेत्र के विरूद्ध किये गये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में आस्थामूलक

कार्य की राशि से ग्राम वन समिति रोड़ी के प्रस्ताव के आधार पर आदिवासी ग्राम पारोंद के प्राथमिक विद्यालय में राशि रूपये 3.87 लाख से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला 3 एच.पी. सोलर पम्पिंग सिस्टम वर्ष 2021-22 में स्थापित किया गया है । जिसमें विद्यालय के 61 विद्यार्थी एवं आंगनबाड़ी के 30 बच्चे तथा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है साथ ही विद्यालय पर सोलर लाईट से रोशनी की व्यवस्था भी हुई है।

(6) तालाब एवं यज्ञशाला निर्माण -

रायसेन सामान्य वन मण्डल अंतर्गत बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के विरूद्ध किये गये क्षतिपूर्ति रोपण के आस्थामूलक कार्य मद से वर्ष 2021-22 में ग्राम वन समिति ऐरन में राशि रूपये 6.60 लाख से तालाब निर्माण एवं ग्राम वन समिति मवई में राशि रूपये 7.99 लाख से यज्ञशाला का निर्माण ग्रामीणें की मांग के आधार पर समितियों के माध्यम से कराया गया है। तालाब से ग्रामीणों के दैनिक निस्तार के साथ-साथ सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

(7) नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प निर्माण -

वन परिक्षेत्र चिचौली, पश्चिम बैतूल सामान्य वन मण्डल अंतर्गत वर्ष 2020-21 में नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प लगवाई कार्य बैतूल हरदा मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण कैम्पा, अंतर्गत आस्था मूलक राशि द्वारा किया गया। हैण्डपम्प निर्माण से ग्राम के लगभग 350 व्यक्ति लांभावित हुए है। इस कार्य पर कुल राशि रूपये 1.25 लाख उपयोग की गयी है।

(8) सिलाई मशीन एवं स्पोर्टस सामग्री वितरण -

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 220 के. व्ही. नीमच-रतनगढ़ लाईन निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले नीमच वनमंडल अंतर्गत आस्थामूलक कार्य की राशि से ग्राम अमरपुरा की 20 महिलाओं को सिलाई मशीन एवं शासकीय विद्यालय अमरपुरा के 200 विद्यार्थीयों को खेलकूद हेतु खेल सामग्री वर्ष 2020-21 में प्रदाय की गयी। इस कार्य से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। इस कार्य पर कुल राशि रूपये 1.70 लाख उपयोग की गई है।

आदिवासी बच्चों के लिये सुदूर वनग्राम में पुस्तकालय औबेदुल्लागंज वनमंडल की अभिनव पहल

कहते है "बच्चे देश का भविष्य होते है और शिक्षा समाज की शिल्पकार"

सुदूर वनग्राम सालेगढ़ में इसी सोच के साथ आदिवासी बच्चों के लिये पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। औबेदुल्लागंज वनमंडल द्वारा यह अभिनव पहल बच्चों को उनके क्षेत्र में पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुस्तकों और वन के प्रति प्रेम जगाने में कारगर सवित हुई है।

पुस्तकालय का निर्माण कैम्पा अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण में आस्था मूलक कार्य अन्तर्गत किया गया है, जिसमें पुस्तकालय भवन लगभल 5 लाख तथा पुस्तके 1 लाख रूपये की लागत की है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 11 नबम्बर 2022 को किया गया है । पुस्तकालय में 02 कमरे है, जिसमें एक हाल बच्चों की पढ़ाई के लिये तथा दूसरा किताबों और स्टाफ के लिये है। पुस्तकालय में लगभग 147 बच्चों को निःशुल्क सदस्यता दी गई है, जिससे पुस्तके घर पर भी ले जाने को दी जाती है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 300 पुस्तकों का संग्रह है। साथ ही भविष्य में बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में कारिगर गाइडेंस देने की भी योजना है।

वनसमिति सालेगढ़ के ग्रामीणों से बैठक

जैसा कहा जाता है कि किसी नये कार्य की शुरूआत एक विचार से होती है बस इसी आस्था मूलक कार्यो के आपसंस पर विचार करते - करते इस क्षेत्र के आदिवासी बच्चों के लिये पुस्तकालय निर्माण का विचार आया। क्योंकि उस स्कूल के शिक्षक बच्चों के लिये समर्पित थे और हमारा भी बच्चों शिक्षकों ओर वनग्राम के लोगों से पहले से ही विचारों का आदान प्रदान होता रहता था, तो हमने इस विचार को साकार रूप देने का निर्णय लिया। ग्राम वन समिति के सदस्यों ने भी विकास कार्यो की जगह अपने बच्चों के लिये पुस्तकालय निर्माण को प्राथमिकता दी। इस वनग्राम की महिलायें ज्यादा जागरूक तथा प्रगति के लिये इच्छुक लगी। समिति से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात पुस्ताकलय भवन का निर्माण किया गया तथा पुस्तकों का चयन किया गया। पुस्तकों के चयन में भी हमारे द्वारा विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा गया, जैसे प्राथमिक शाला के बच्चे नवोदय की परीक्षा देते है, उनके लिये नवोदय परीक्षा संबंधित किताबें छोटे बच्चों के लिये सरल भाषा सचित्र किताबें। गांव तथा आस-पास के गांवों के बच्चों के भविष्य के हिसाब से मेडिकल, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा, रेल्वे, एस. एस.बी. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों का भण्डार एकत्रित किया गया। अब चूकि नन्हें-मुन्ने का स्कूल है तो कहांनियों की पुस्तक तो होनी ही चाहियें और कहांनियों के साथ हमारे महा पुरूषों की जीवनियों, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करेगी। अब चूकि वन विभाग है तो प्रकृति से प्रेम और संबंधित ज्ञान बच्चों में जगाना जरूरी था, पर जब हम पुस्तके ढूंढने गये तो लगभग सभी अच्छे प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में पुस्तके प्रकाशित करती है परंतु कुछ पुराने बुक डिपों का धन्यवाद, जिन्हौने काफी पुराने, कुछ हिन्दी के भी पुस्तकों का संग्रह कर रखा है, तो फिर हमने अग्रेंजी - हिन्दी दोनो की सचित्र तथा आसान भाषा की पुस्तकों को चयनित किया, जिसमें चित्रों के सहारे भी बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है।

पुस्तकालय निर्माण का कार्य प्रगति पर ही था इसी बीच प्राथमिक शाला, सालेगढ़, श्री नीरज सक्सेना जी को 05 सितम्बर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरूस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे हमें सतुष्टि हुई कि जो हमारी सोच थी कि पुस्तकालय का संचालन तथा 100 प्रतिशत सद्पयोग में विद्यालय के शिक्षकों की महती भूमिका होती है। यह भविष्य में निरंतर जारी रहेगा। किताबों का उपयोग करते हुये इस **वर्ष कु. लक्ष्मी भल्लावी** का वर्ष 2022-23 में कक्षा 6 वी हेतु **जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी में चयन** हुआ है जबकि पुस्तकालय का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा दिनांक 11 नबम्बर 2022 में किया गया था। मात्र 07 महीने में इस नवाचार का उपयोग कर यदि आदिवासी अंचल के 102 आदिवासी छात्र - छात्राओं से 01 बच्चा भी आगे बढ़ता है तो भविष्य और भी उजागर होगा।

सोच जब तक साकार नहीं होती तब तक उसकी महत्ता उजागर नहीं होती। औबेदुल्लागंज वनमंडल की टीम ने इस सोच को साकार किया है। वनमंडलाधिकारी महोदय विजय कुमार (भा.व.से.) सर, तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी चिलवाहा श्री दशरथ अखण्ड तथा समस्त स्टाफ ने इस सोच को साकार करने में तहे दिल से योगदान दिया है साथ ही वर्तमान वनमंडलाधिकारी महोदय हेमंत रायकवार सर द्वारा पुस्तकालय संर्वधन की पहल की जा रही है। साथ कुछ योगदान मैने भी करने की कोशिश की है।

आदिवासी अंचल में बच्चों को तथा बच्चों के माध्यम से परिवार को शिक्षा से तथा शिक्षा से वन को जोड़कर निश्चित ही हम आने वाले समाज में प्रकृति प्रेम के सघन बीज वो पायेंगें। है तो यह छोटी सी पहल परंतु वन विभाग द्वारा अगर बड़ी पहल बनाई जायेगी तो निश्चिततः यह पुस्तकालय निर्माण वन - शिक्षा - समाज में महत्तपूर्ण कड़ी साबित होगी।

इसी आशा के साथ आप सभी के अमूल्य समय हेतु साधुवाद।

क्या आप जानते हैं?

मध्यप्रदेश को देश में 'गिद्ध प्रदेश' का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में गिद्धों की संख्या लगभग 9446 है।

माननीय प्रधानमंत्री के मिशन लाईफ से संबंधित वैश्विक जन आंदोलन में मध्यप्रदेश (वन विभाग) ने हासिल किया दोगुना लक्ष्य

लाईफ मिशन के अंतर्गत पूरे देश में उर्जा बचत, पानी की बचत,, सतत् खाद्य प्रणालियों को अपनाना, ठोस अपशिष्ट को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना आदि विषय को लेकर जन अभियान चलाया गया। इस मुद्दे पर वन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश, वन विभाग हेतु 20,000 गतिविधियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस बाबत मध्यप्रदेश वन विभाग नें लक्ष्य से लगभग दोगुना गतिविधियां पूर्ण कीं।

विभाग द्वारा 15,628 वन समितियो में वृहद संख्या में कार्यक्रम आयोजित कर 1,22,736 Actioin Events में लोगों की भागीदारी करवाते हुए 6,05,128 लोगों को शपथ दिलवाये जाने का कार्यक्रम आयोजित कर मध्यप्रदेश वन विभाग देश में अग्रणी रहा। इसी उपलब्धि के लिए 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार के मान. मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने श्री रमेश कुमार गुप्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग को पुरस्कृत किया।

इस कार्यक्रम में मान. वनमंत्री महोदय डॉ० कुँवर विजय शाह जी, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, श्री जे.एन. कांसोटिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता एवं नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) डॉ० अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा सतत् क्षेत्रीय स्तर पर स्वंय उपस्थित होकर समस्त वन अमले को प्रोत्साहित किया गया जिसके फलस्वरुप राज्य के दूरस्थ इलाकों में जन समुदाय द्वारा भाग लिया गया जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को विशेष रुप से पर्यावरण संबंधी जागरुकता लाई गई एवं निर्धारित शपथ दिलाई जाकर भविष्य के लिये प्रेरित किया गया।

संयुक्त वनप्रबंधन समितियों की वन सुरक्षा में भागीदारी

ग्राम वन समिति मनेरी, वन परिक्षेत्र निवास (सा0)

- वन समिति - ग्राम वन समिति मनेरी
- आवंटित कक्ष - RF 642, 0-813, 814
- कुल रकबा - 196.26 हैक्ट.
- कार्य वृत - सुधार कार्य वृत भदारी (IWC)
- समिति अध्यक्ष - श्रीमती कल्लू बाई मरकाम
- सक्रिय सदस्य - श्रीमती शालनी झारिया एवं अन्य ग्रामीण

(गौराम पहाड़ी आर. एफ. 642) वन परिक्षेत्र निवास (सा.) पश्चिम मण्डला (सा.) वनमण्डल

पश्चिम मण्डला वनमण्डल के निवास परिक्षेत्र अंतर्गत जबलपुर से निवास रोड पर मनेरी औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित ग्राम मनेरी में ग्राम वन समिति का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। समिति को वनकक्ष क्रमाक आर.एफ. 642 रकबा 196.26 हैक्ट०, ऑ 813 रकबा 6.07 एवं ऑ 814 रकबा 1.23 हैक्ट० आंवटित किया गया है। समिति का आवंटित संपूर्ण वनक्षेत्र पूर्णतः वृक्ष विहीन था। क्षेत्र में स्थित गौराम बाबा मठ के पुजारी बताते है कि उन्होने बचपन से देखा था कि यह पहाड़ी पूरी तरह से वृक्ष विहीन थी। जलाउ लकड़ी संग्रहण के दबाव के कारण प्रारंभिक वर्षो में वनों की सुरक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

विगत कार्यायोजना के अनुसार क्षेत्र का उपचार वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में बिगड़े वनों के सुधार के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2009 में श्रीमती कल्लू बाई मार्को को ग्राम वन समिति मनेरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कल्लू बाई के नेतृत्व में गांव में सभी परिवारों को शामिल करके गस्ती दलों का गठन किया गया। प्रतिदिन दो गस्ती दल क्षेत्रों में घूमने के लिये जाने लगे।

प्रारंभिक दो वर्ष तक समिति को काफी संघर्ष करना पड़ा। कड़ी मेहनत करने के पश्चात् आस-पास के क्षेत्रों मे सभी को यह मालुम चल गया कि इस क्षेत्र में वृक्ष काटना सभंव नहीं है। इस दौरान अध्यक्ष कल्लू बाई एवं साथियों द्वारा सागौन की लकड़ी को जप्त कराने पर उनके विरूद्ध रूपये तथा जेबर आदि चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। उपवनमण्डल अधिकारी निवास एवं परिक्षेत्र अधिकारी निवास द्वारा पुलिस थाने में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने पर प्रकरण समाप्त हुआ। इसी तरह अनेको बार निहित स्वार्थ वाले लोगों ने समिति के लोगों को आतंकित करने के लिये पुलिस को शिकायत की गई। किंतु धीरे-धीरे पुलिस विभाग ने भी यह समझ लिया कि चोरी रोकने के कारण स्वार्थी लोग समिति के सदस्यों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश करते है।

अब पिछले कई वर्षो से पुलिस का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिसकी बजह से समिति का वनक्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। वनक्षेत्र की रक्षा करने, जनभागीदारी एवं समिति अध्यक्ष श्रीमती कल्लू बाई मरकाम तथा समिति सदस्य श्रीमती शालनी झारिया के अथक प्रयासों से अन्य समिति सदस्यों का वनक्षेत्र के प्रति एक विषेष लगाव पैदा हो रहा है। इससे प्रबंधन को अधिक स्थायित्व मिलता है।

कार्य आयोजना बनाने के दौरान किया जाना वाला संनिधि मानचित्र वनक्षेत्र में आये परिवर्तन का एक बहुत अच्छा साक्ष्य है जो प्रत्येक 10 वर्ष में स्वतंत्र इकाई द्वारा

किया जाता है। मनेरी समिति को आंवटित वनक्षेत्र का विगत एवं वर्तमान कार्य योजना में किये गये वन सनिधि मानचित्र का तुलनात्तमक अध्ययन करने वन संनिधि में बहुत अच्छा सुधार परिलक्षित हुआ है।

वनों के सुधार कार्यवृत के अंतर्गत लगभग 15 वर्ष पूर्व किये गये कार्यो एवं ग्राम वन समिति द्वारा उपलब्ध करायी गई सुरक्षा के कारण तरासे गये ठूंठों पर एक से अधिक कॉपिस बड़े होकर 20 से०मी०से अधिक गोलाई की बल्ली तैयार हो गयी है। वैधानिक रूप से विदोहन की व्यवस्था ना होने के कारण बड़ी तादात में युवों वृक्षों का विदोहन करके निस्तार की पूर्ति की जाती थी। जिससे वनों पर अत्याधिक विपरीत प्रभाव पड़ता था। अनियमित विदोहन को रोककर ग्राम वन समिति मनेरी में पूर्णतया वन विहीन क्षेत्रों को सघन वन में स्थापित कर दिया है। इसके अलावा सामाजिक संगठन का गांव के अन्य संसाधनों के प्रबंधन पर भी सकरात्मक प्रभाव पड़ा है। अच्छे वन आवरण से सिंचाई से तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र का आदर्श उपचार हो गया है, तथा कृषि में भी सुधार हुआ है।

ग्राम वन समिति को आंवटित कक्ष क्रमाक 642 जो कि पूर्व में बिगड़े वनों के सुधार कार्य वृत में था। वर्तमान कार्य आयोजना में सुधार कार्य वृत में आ गया है एवं वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 4 कूपों को चिन्हाकिंत किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

मार्किंग वर्ष	कूप क्रमांक	रकबा हैक्ट.	अपसेट प्राइज के अनुसार वनोपज उत्पादन			उत्पादन वनमण्डल द्वारा कटाई से प्राप्त वनोपज		
			प्रजाति	मात्रा	घ०मी०	प्रजाति	मात्रा	घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	I भदारी	49.89 हैक्ट.	सागौन	2874 नग	46.9003	उत्पादन वनमण्डल द्वारा कूप क्रमांक I एवं II का पातन नहीं किया गया।		
			सागौन जलाउ		4.9092			
2018-19	II भदारी	39.17 हैक्ट.	सागौन	2212 नग	34.7962			
			सागौन जलाउ		4.3536			
2019-20	III भदारी	58.65 हैक्ट.	सागौन	1371 नग	19.044	सागौन बल्ली	1228 नग	12.325
						सागौन डेंगरी	1083 नग	4.031
			सागौन जलाउ चट्टा		1.449 घ०मी०	सागौन जलाउ चट्टा		22 चट्टा
2021-21	IV भदारी	48.55 हैक्ट.	सागौन	1842 नग	32.2151	सागौन बल्ली	1158 नग	11.537
			सागौन जलाउ चट्टा		निरक	सागौन डेंगरी	57 नग	0.247
						सागौन जलाउ चट्टा		09 चट्टा
योग		**196.26 हैक्ट.**		**8299 नग**	**142.2184 घ०मी०**		**3526 नग**	**28.140 घ.मी. + 31 चट्टा**

वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु विगत वर्ष मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 5/6/2020 को पर्यावरण दिवस पर ग्राम वन समिति मनेरी की अध्यक्ष श्रीमती कल्लू बाई एवं सदस्य श्रीमती शालनी बाई को 25000/- रू० प्रत्येक को पुरस्कृत किया गया एवं उनसे चर्चा भी गई।

पश्चिम मण्डला वनमण्डल की विगत कार्य आयोजना वर्ष (2017-18 से 2026-27) श्रीमती कमलिका मोहंता द्वारा तैयार की गयी है। नक्शे मे कक्ष क्रमाक आर.एफ. 642 के संपूर्ण क्षेत्र को पूरी तरह वन आवरण से अच्छादित दर्शाया गया है तथा सुधार कार्यवृत में शामिल किया गया है।

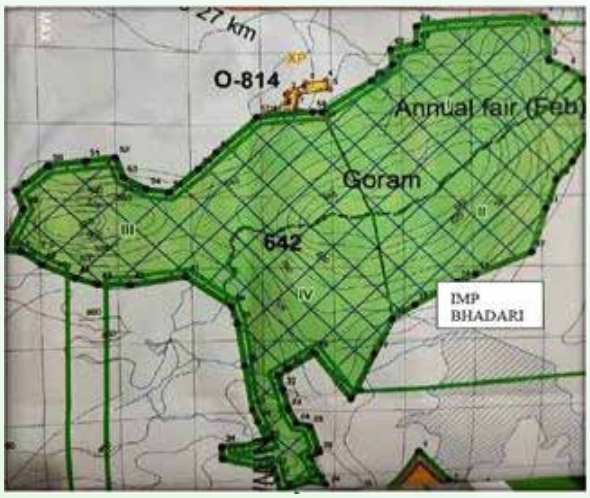

कक्ष क्रमाक आर.एफ. 642 की 1-4-2005 में वन क्षेत्र की स्थिति

पश्चिम मण्डला वनमण्डल की विगत कार्य आयोजना (वर्ष 2006-07 से 2015-16) श्री अजीत श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गई थी। कक्ष क्रमाक आर.एफ. 642 को बिगड़े वनों के सुधार कार्यवृत में शामिल था। तैयार किये गये नक्शे से स्पष्ट है कि क्षेत्र पूरी तरह से आवरण विहीन था।

कक्ष क्रंमाक आर.एफ. 642 की 1-4-2023 में वन क्षेत्र की स्थिति

संयुक्त वन समिति वन प्रबंध के अंतर्गत वन समिति नयेगांव द्वारा बांस वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं विदोहित कार्य

कक्ष क्रमांक - 236 की सफलता की कहानी ग्राम वन समिति - नये गांव

स्थल विवरण

1.	कक्ष क्रमांक	-	236
2.	क्षेत्रफल	-	50.00 हे.
3.	कार्यवृत्त	-	सुधार प्रबंध
4.	वन परिक्षेत्र	-	डिण्डौरी (सामान्य)
5.	वन मण्डल	-	डिण्डौरी (सामान्य)
6.	वन समिति का नाम	-	नये गांव
7.	परिवार संख्या	-	195

कार्य का संक्षिप्त विवरण

कक्ष क्रमांक - 236 में वर्ष 2009-10 में 50.00 हे. क्षेत्रफल में बांस एवं मिश्रित वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। ग्रामीणों द्वारा रोपण क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा करने के फलस्वरूप यह क्षेत्र विदोहन हेतु तैयार हुआ। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समिति की बैठकें लेकर विदोहन कार्य हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार कर स्वीकृति ली गई एवं समिति सदस्यों को विदोहन कार्य हेतु बालाघाट से प्रशिक्षक बुलाया जाकर प्रशिक्षण दिलाया गया। तदोपरान्त विदोहन कार्य प्रारम्भ कराया गया। समूचे क्षेत्र (50.00 हे.) को चार भागों में विभाजित कर वर्तमान एवं आगामी वर्षों में पातन कार्य कराया जाना है, जिसमें प्रतिवर्ष 12.5 हे. क्षेत्र का पातन किया जायेगा।

शासन के संकल्प अनुसार बांस विदोहन से प्राप्त शत्-प्रतिशत राशि समिति को प्रदाय किया जाना है। वन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में समय - समय पर नियुक्त हुए समिति अध्यक्षों द्वारा अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई गई है। बांसों के विदोहन कार्य हेतु समिति के अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों के द्वारा बांस विदोहन का कार्य सफल बनाने में वनरक्षक श्रीमति विमला मरावी के साथ वर्ष 2022 में बांस विदाहन कार्य को सफल बनाया गया है ।

क्र०	ग्राम वन समिति अध्यक्ष का नाम	कार्य अवधि
1.	श्री लाल सिंह मरावी	2018 से 2022
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार नागेश	2022 से अब तक

बांस विदोहन से वनक्षेत्र एवं ग्राम वन समिति को प्राप्त हुए लाभ

स्थानीय रोजगार का सृजन

बांस विदोहन कार्य से समीप स्थित ग्राम पौडी, गोयरा, नयेगांव, नेवसा, के ग्रामीण हेतु रोजगार का सृजन हुआ। जिससे ग्रामीणों के रोजगार के पलायन में कमी आई है। वर्तमान में भी उक्त क्षेत्र में विभिन कार्य संचालित है। जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया गया है।

जैवविविधता में वृद्धि

परिसर गोयरा के कक्ष क्रमांक 236 रकवा 50.00 हे0 में स्थित बांस वृक्षारोपण का घनत्व अच्छा होने के कारण उक्त क्षेत्र में जैव विविधता की वृद्धि हुई है। जिसमें वन्यप्राणी मोर, जंगली सुअर, चीतल, घुटरी प्रायः विचरण करते देखे गये है।

विदोहन कार्य प्रथम वर्ष 2022

बांस वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक - 236 रकवा 50.00 हे. के विदोहन कार्य अंतर्गत प्रथम खण्ड 12.5 हे. में से 5.00 हे. में विदोहन का कार्य कराया गया। जिसके परिणाम निम्नानुसार रहे है :

1- कुल उपचारित भिर्रो की संख्या - 843

2- कुल प्राप्त विदोहन हेतु उपयुक्त बांस - 3572

3- कुल प्राप्त पोल्स (साईज - 2.10 मी. X 0.17 मी.) - 8096

बांस विदोहन कार्य प्रथम वर्ष 2022 में व्यय राशि

यह राशि समिति में उपलब्ध सुरक्षा राशि से व्यय की गई है।

1-	मजदूरी पर व्यय	-	मा०दि० 1297.36@335
		=	434615.60 OR 434317/-
2-	समिति सदस्यों द्वारा किया गया श्रमदान	-	850 मा०दि०
3-	एक समय का व्यय (उपकरण एवं अन्य)	-	138894/-
	कुल योग	**-**	**573211/-**
4-	विक्रय से प्राप्त राशि :- पोल्स	-	854643/-
	अमलई पेपर मिल को प्रदाय बांस से प्राप्त राशि	-	38592/-
	कुल योग	**-**	**893235/-**
	वास्तविक प्राप्त लाभांश :- Rs. (893235-573211)	=	Rs. 320024/-

विदोहन कार्य द्वितीय वर्ष 2023

बांस वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक - 236 रकवा 50.00 हे. के विदोहन कार्य अंतर्गत द्वितीय खण्ड 12.5 हे. में विदोहन का कार्य कराया गया। जिसके परिणाम निम्नानुसार रहे है :-

1-	कुल उपचारित भिरों की संख्या	-	410
2-	कुल प्राप्त विदोहन हेतु उपयुक्त बांस	–	3452
3-	पोल्स तैयार करने हेतु काटे गये बांसों की संख्या	-	2306
4-	कुल प्राप्त पोल्स (साईज - 2.10 मी. x 0. 17 मी.)	-	7500

बांस विदोहन कार्य द्वितीय वर्ष 2023 में व्यय राशि

यह राशि समिति में उपलब्ध सुरक्षा राशि से व्यय की गई है।

1- मजदूरी पर व्यय - मा०दि० TOO 815.041@359-292599.71 OR -292600/-

2- विक्रय से प्राप्त राशि -

बांस पोल्स 7500 नग	–	791780/-
बांस 10 से 12 मी०	-	5000/-
बांस टूटन लगभग 2 मी.	-	1000/-
कुल योग	**-**	**797780/-**

अतः वर्तमान में बांस विदोहन एवं पोल्स तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

बांस कटाई कार्य

बांस थप्पी कार्य

बांस से पोल्स बनाना

बांस उपचार

उपसंहार

वन मण्डल डिण्डौरी सामान्य परिक्षेत्र सामान्य के बीट गोयरा कक्ष क्रमांक- 236 आर.एफ. में वर्ष 2009-10 में किया गया बांस वृक्षारोपण रकवा 50.00 हे. ग्राम वन समिति नयेगांव एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ तालमेल एवं वनों के प्रति जिम्मेदारी समझने व उनका निर्वहन करने की प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब है। ग्राम वन समिति नयेगांव द्वारा वन विभाग के मार्गदर्शन में किए प्रयासों का परिणाम है। उक्त बांस वृक्षारोपण क्षेत्र 14 वर्ष पश्चात भी सफल अवस्था में है एवं फलस्वरूप बांस विदोहन का कार्य प्रारम्भ है। इस प्रकार यह उपक्रम पिछले वर्ष से गतिमान है, जिससे ग्रामीणों एवं समिति सदस्यों को आय का स्त्रोत उपलब्ध हो रहा है। उपरोक्त बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में बांस विदोहन एवं पोल्स बनाने का कार्य प्रगति पर है।

उमरिया इसरा ग्राम वन समिति, पूर्व छिंदवाडा वन मण्डल

उमरिया इसरा ग्राम वन समिति का गठन 25.12.1994 को किया गया था। इस ग्राम वन समिति को 282.775 हेक्टेयर आइसोलेटेड फारेस्ट ब्लॉक, कम्पार्टमेंट क्र. 1349 RF आवंटित किया गया था। अत्यधिक जैविक दबाव के कारण इस क्षेत्र में वनस्पति नहीं थी। इस वन क्षेत्र के प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु ग्राम वन समिति ने अपने आपको संगठित किया। बिगड़े वन सुधार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999 में सागौन का पौधारोपण प्रारंभ किया गया। इसके उपरांत आगामी वर्षों में अन्य वन क्षेत्रों का भी इस प्रकार उपचारण किया गया। सभी प्रकार की परिस्थितियों में समिति द्वारा दृढ संकल्प एवं इच्छशक्ति से इस वन क्षेत्र का पुनर्वनीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। इस क्षेत्र का प्रथम माइक्रोप्लान वर्ष 2014-15 में तैयार किया गया। पहले चक्र में वन समिति द्वारा रु.8.50 लाख मूल्य के ईमारती जलाऊ लकड़ी एवं बांस की कटाई की गई। वर्तमान की आवश्यकताओं का आकलन कर समिति के माइक्रोप्लान में वर्ष 2021-22 में संशोधन किया गया है। समिति द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना अनुसार सागोन वृक्ष 2157 का पातन कर लट्ठा एवं बल्ली 3588 नग = 60.507 घन मीटर प्राप्त हुए जिससे राशि 15 लाख रुपये प्राप्त हुए एवं बांस 11650 = 24.63 नों. टन बांस की कटाई कर समिति सदस्यों एवं हितग्राहियों को बिक्री कर रुपये 441050 रु. राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार ग्राम वन समिति उमरिया ईसरा को लगभग 1941050/- रुपये की राशि प्राप्त हुई।

टीक वृक्षारोपण वर्ष 1999 एवं वर्ष 2020

ग्राम के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उमरियाइसरा ग्राम वन समिति का योगदान उल्लेखनीय है। इस समिति द्वारा ग्राम के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु टेंट एवं बर्तन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, एप्रोच रोड एवं सिंचाई हेतु स्टॉप डेम, आदि कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

प्रदेश में बांस क्षेत्र विकास हेतु संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का विवरण एवं सफलता की कहानियां

म.प्र. राज्य बांस मिशन की स्थापना एंव उददेश्य

प्रदेश के बांस वनों की उत्पादकता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2013 को म.प्र. राज्य बांस मिशन (सोसायटी) के गठन किया गया।

राज्य बांस मिशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन के उददेश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना है। राज्य बांस मिशन की मुख्य गतिविधियां व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं उन्नत रोपण सामग्री प्रदाय करना, बांस उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र में बांस रोपण तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार, बांस प्रसंस्करण हेतु इकाईयों की स्थापना, प्रदेश के परम्परागत् बांस शिल्पियों का कौशल उन्नयन करना एवं बांस उत्पादों के विपणन हेतु योजना अंतर्गत सहयोग प्रदान करना है।

कृषकों की आय दोगुनी करने से उद्देश्य से राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कृषक द्वारा बांस पौध रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु रु 120/- प्रति पौधे की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत कृषि भूमि पर बांस रोपण

कृषकों की आय दोगुनी करने से उद्देश्य से राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कृषक द्वारा बांस पौध रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु रु 120/- प्रति पौधे की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना का विस्तृत विवरण

1. अनुदान वितरण :-

योजना अंतर्गत कृषकों को बांस रोपण की कुल लागत एवं पहले तीन वर्षों का रख-रखाव)रु 240 प्रति पौधा (की %50 राशि अनुदान के रूप में निम्नानुसार वितरित की जाती है।

- √ **प्रथम वर्ष - (रु 60 प्रति पौधा) -**

  प्रथम किश्त रु 36 प्रति पौधा रोपित पौधों के सत्यापन के आधार पर रोपण उपरांत प्रदाय की जावेगी)

  द्वितीय किश्त - रु 24 प्रति पौधा रोपण के 4 माह बाद (जीवित पौधों के सत्यापन के आधार पर)

- √ **द्वितीय वर्ष रु 36 प्रति पौधा** की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में कम से कम %80 जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जाता है।

- √ **तृतीय वर्ष - रु 24 प्रति पौधा** की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में % 100 पौधों की जीवितता के आधार पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जाता है।

2. पौधों का क्रय :-

कृषकों को रोपण हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा एक्रीडिटेड बांस रोपणियों अथवा सूचीबद्ध की गई टिशु कल्चर प्रयोगशालाओं से स्वयं पौधा क्रय करना होगा । रोपणियों एवं प्रयोगशालाओं की सूची राष्ट्रीय बांस मिशन एवं राज्य बांस मिशन की वेबसाईट (www.nbm.nic.in) पर प्रदर्शित है।

3. बांस प्रजाति का चयन :-

कृषकों को बांस रोपण हेतु अंतराल एवं वांछित बांस प्रजाति का चयन करने की स्वतंत्रता होती है।

4. योजना अंतर्गत सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

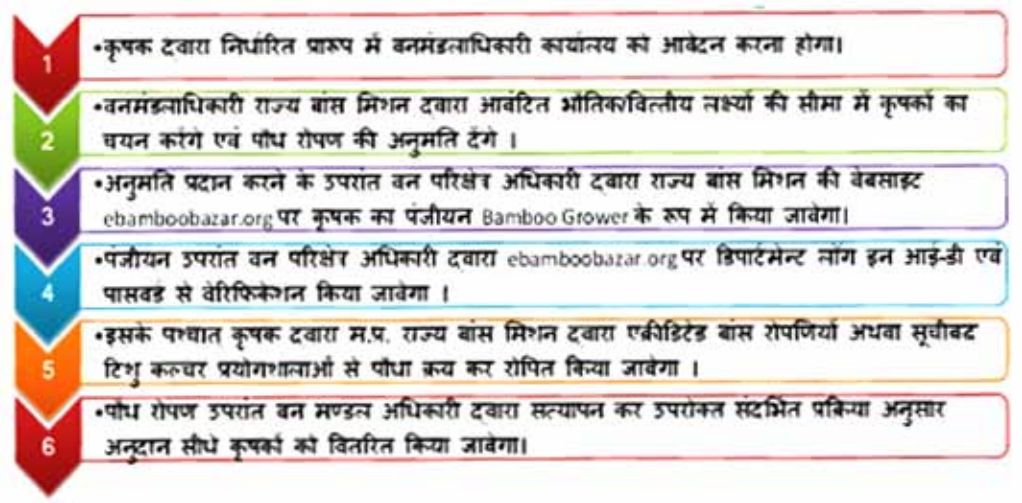

विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय बांस मिशन योजनांतर्गत कृषि भूमि पर कुल 19039 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की विभिन्न प्रजातियों का रोपण कराया गया है। इस हेतु बांस कृषकों को रू. 3737.40 लाख का अनुदान वितरित किया गया है।

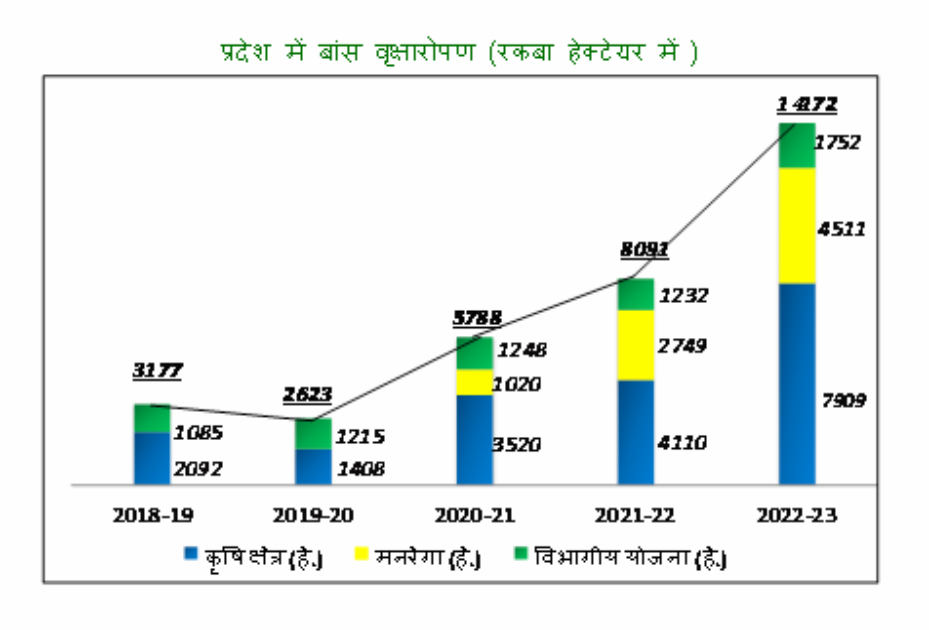

कृषकों को वृहद् स्तर पर बांस रोपण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश के 6 जिलों (धार, बड़वानी, सतना, खंडवा, सीधी एवं अलीराजपुर) में एफ.पी.ओ (Farmer Producer Organizations) का गठन भी कराया गया है। सतना एवं सीधी में स्थित बांस FPOs द्वारा अम्लई पेपर मिल, शहडोल को 300 टन बांस सप्लाई किया गया।

प्रदेश में बांस कृषि की सफलता की कहानियां

1. बांस कृषि के साथ अंतरवर्ती औषधीय फसलें एवं नवीन प्रयोग

नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर मनासा तहसील का गांव भाटखेड़ी निवासी लघु/सीमांत कृषक श्री कमलाशंकर विश्वकर्मा विगत तीन वर्षों से जैव विविधता के क्षेत्र में बांस के साथ औषधीय एवं अन्य फसलों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे है। श्री कमलाशंकर विश्वकर्मा कृषि क्षेत्र में औषधीय फसलों के उत्पादन, वृद्धि एवं प्रजातियों के बीज संकलन पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

श्री कमलाशंकर विश्वकर्मा ने कृषि एवं उद्यानिकी के जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों के साथ साथ आत्मा उपसंचालक डॉ. यतिन जी मेहता के मार्गदर्शन में अपने खेत को फूड फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट पर विकसित किया है।

उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत प्राप्त अनुदान से अपने खेत में 1100 बांस के पौधे रोपित किये हैं। उनके इस खेत से प्रेरित होकर अन्य स्थानीय कृषक भी बांस रोपण से संबंधित कृषि कार्य की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ ले रहे है। बांस कृषि के साथ साथ उनके द्वारा अंतरवर्ती फसलों के रूप में लगभग 30-40 प्रकार की औषधियों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा हैं।

उनके खेत पर बांस की अंतरवर्ती फसलों के रूप में कौंच बीज (केमच), वराहीकंद (जटाशंकरी), गिलोय, नीली एवं सफेद अपराजिता, घृतकुमारी (एलोवेरा), कंटकारी, हड़जोड़, हरसिंगार (परिजात), गुड़हल, नागदौन, अपामार्ग (लटजीरा), धतूरा, कनेर, कडुनाय (नामी), शिवलिंगी (पुत्र जीवक वटी), किंकोडा, विधारा की बेल, छोटी एवं बड़ी दूधी, शतावरी, मूषपर्णी, बहुफली, अतिबला, छोटा गोखरू (शंखेश्वर), घमरा (ट्राइडेक्स), कचनार, पलाश, मेहंदी, बेशर्म बेल / बेहया, खैर, अश्वगंधा, आंवला, बहेड़ा, अरंडी, ईमली, नीम, सीताफल आदि औषधियां वर्तमान में देखी जा सकती है।

2. पारंपरिक कृषि के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस की प्रजातियों की जैविक खेती

श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी हरसिली, वन मंडल ओबैदुल्लागंज, प्रदेश के प्रगतिशील किसान है जो पारंपरिक कृषि के साथ-साथ बांस की व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के साथ अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत कुल 31 एकड़ रकबे में 13950 बांस के पौधों के रोपण किया गया था। उनके द्वारा बेम्बुसा टूल्डा, बेम्बुसा बाल्कूआ, एवं डेंड्रोकेलेमस मेम्बरेंसिस प्रजातियों के बांस रोपित किये गए हैं।

रोपण के तीसरे वर्ष से उनके द्वारा बांस कृषि से प्राप्त पतले बांस का उपयोग स्वयं की एवं अन्य स्थानीय कृषकों की फल एवं सब्जियों की खेती में सपोर्ट हेतु किया जा रहा है जिससे उन्हें परंपरागत खेती के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

उनके द्वारा रोपित बेम्बुसा बाल्कूआ के विदोहन से इस वर्ष रु. 4-5 लाख की आय प्राप्त होना अनुमानित है। उनके द्वारा रोपित अन्य बांस प्रजितियो के बांस का उत्पादन आगामी वर्ष से प्रारंभ होगा।

वे अपने स्तर पर उनके खेत में इन बांस प्रजातियों की कृषि जलवायु उपयुक्तता, विभिन्न अंतराल में रोपण एवं जैविक खाद डालकर बांस में होने वाली वृद्धि का अध्ययन कर उनके यहाँ आने वाले अन्य स्थानीय कृषकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जिससे स्थानीय कृषक मेंढ एवं खेत में तथा अंतरवर्ती फसलों के साथ बांस की खेती करने हेतु प्रेरित हो रहे हैं।

श्री जीतेन्द्र सिंह जैसे उत्सुक एवं प्रयोगात्मक किसान प्रदेश के अन्य कृषकों को बांस कृषि से प्राप्त अतिरिक्त आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित कर राज्य बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ती में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं।

3. बांस कृषि से दुगनी आय

मेनगाँव, तहसील खरगोन निवासी श्री विजय पाटीदार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजनांतर्गत वर्ष 2019 में कटंग बांस के 4000 पौधे रोपित किये गए थे। रोपण के द्वितीय वर्ष से उनके द्वारा सब्जी की खेती में उपयोग करने के लिए प्रति वर्ष रू. 75 हजार के बांस के खम्बों का उत्पादन किया जा रहा है।

श्री विजय पाटीदार को बांस के पौधे लगाने की प्रेरणा परम्परागत फसलों में काफी अधिक मेहनत करने पर भी जलवायु परिवर्तन से हुई क्षति के कारण हुए नुक्सान से मिली। बांस कृषि के अनुभव के आधार पर श्री विजय ने बताया कि बांस की फसल मौसम के सभी उतार-चढ़ावों से अछूती रह जाती है। श्री पाटीदार ने बताया कि क्योंकि बांस के पौधे लगाने पर राज्य बांस मिशन द्वारा 3 वर्षों में प्रति पौधा 120 रूपये का अनुदान दिया जाता है इसलिए किसान के लिए लागत बहुत कम रह जाती है और बांस की फसल पर किसी प्रकार की बीमारी अथवा कीड़ा नहीं लगने के कारण महँगी दवाओं एवं रासायनिक खादों की आवश्यकता भी नहीं रहती है।

श्री पाटीदार द्वारा बांस के पौधों की कतारों के मध्य में इन्टरक्रापिंग के भी प्रयोग किये जा रहे हैं। उनके द्वारा बांस की कतारों के मध्य मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक एवं लहसुन की फसल लगाई गई है एवं इन प्रयोगों के अनुभव से यह बताया गया है कि बांस के पौधों की कतारों में होने से इन फसलों में पानी कम लगता है तथा गर्मी के विपरीत प्रभाव से बच जाने की वजह से उत्पादन अच्छा होता है। श्री पाटीदार की खेत पर बांस की फसल एवं उसके इन्टरकोरेपिंग के प्रयोगों को देखने के लिए 4-5 किसान प्रतिदिन आ रहे हैं एवं बांस रोपण हेतु जानकारी एवं सलाह प्राप्त कर इसका लाभ उठा रहे हैं।

श्री पाटीदार द्वारा बताया गया कि बांस की फसल से चौथे-पांचवे साल में प्रति एकड़ 50 क्विंटल बांस की सूखी पत्ति प्राप्त होती है। जिससे बनाई गई कम्पोस्ट खाद का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं।

बांस की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता

कृषकों द्वारा बांस की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री क्रय करने हेतु कुल 80 शासकीय एवं 22 निजी रोपणियाँ प्रमाणीकृत की गई है। मिशन द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की कैपिटल सब्सिडी योजना के अंतर्गत निजी एवं शासकीय क्षेत्र में कुल 10 बांस रोपणियाँ स्वीकृत की गई हैं।

बांस आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा संचालित कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम

इस योजनांतर्गत निजी क्षेत्र में बांस प्रसंस्करण, उपचारण, मूल्य संवर्धन, बांस उत्पाद निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं विपणन से संबंधित इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को इकाइयों की कुल लागत का 25 - 50 % तक अनुदान प्रदान किया जाता है।

इस क्रेडिट लिंक्ड बेक एंडेड सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुदान वितरण बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कुल 43 बांस आधारित इकाइयाँ निजी क्षेत्र में स्वीकृत की गईं हैं।

इस योजना के मुख्य अवयव निम्नानुसार है :-

1. बांस का उपचारण एवं संरक्षण : निजी क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत तक अनुदान
2. बांस उत्पाद निर्माण एवं प्रसंस्करण : निजी क्षेत्र हेतु 30 से 50 प्रतिशत तक अनुदान
3. बांस बाजार हेतु अधोसंरचना का विकास : निजी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान
4. बांस आधारित औजार, उपकरण तथा मशीनरी का विकास : निजी क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत तक अनुदान
5. बांस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विस्तार : निजी क्षेत्र हेतु रू. 10.00 लाख तक अनुदान

प्रदेश में बांस आधारित उद्योगों की सफलता की कहानी

आत्म निर्भर भारत की अवधारणा को सफल करने में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, एवं कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

- राष्ट्रीय बांस मिशन योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में बांस क्षेत्र विकास हेतु उत्सुक उद्यमियों को बांस आधारित इकाइयों की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है। **श्री महेंद्र कुलकर्णी, निवासी बड़वानी** को इस योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में अगरबत्ती इकाई स्थापित करने के लिए रु. 12.50 लाख का अनुदान प्रदान किया गया था।

  उनके द्वारा संचालित इकाई में वर्तमान में 45 से अधिक मशीनों के माध्यम से 20-25 टन अगरबत्ती का मासिक उत्पादन किया जा रहा है। उनकी इकाई के माध्यम से स्थानीय 30 से अधिक श्रमिकों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही इकाई में उपयोग होने वाला कच्चा माल अधिकांशतः स्थानीय बांस कृषकों एवं व्यापारियों से क्रय किया जा रहा है जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है।

- प्रदेश में बांस उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए काष्ठ के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग करने के लिए प्रदेश में **प्रोसेस्ड इंजीनियर्ड बेम्बू बोर्ड (PEBB) का उत्पादन देवास स्थित इकाई** द्वारा किया जा रहा है इस प्रकार निर्मित बोर्ड का उपयोग भवन एवं फर्नीचर (Pre-fab Housing & Furniture) निर्माण में किया जा रहा है PEBB के निर्माण में विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया गया है।
- इसी प्रकार mianzi.in नामक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सतना स्थित सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) में उच्च गुणवत्ता के बांस उत्पाद का निर्माण कराकर उनका निर्यात भी किया जा रहा है इन उत्पादों की गुणवत्ता एवं डिज़ाइन उच्च संस्थानों में प्रशिक्षित प्रोफेशनल दवारा सुनिश्चित की जाती है तथा स्थानीय शिल्पकारों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार बांस आधारित फर्नीचर निर्माण, अगरबत्ती इकाइयाँ, हस्तशिल्प, भवन निर्माण आदि प्रमुख क्षेत्रों में बांस की मांग बढ़ने से कृषकों को भविष्य में होने वाली उनकी उपज के लिए मार्केट उपलब्ध होगा एवं बांस कृषि से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि होगी।

सामान्य सुविधा केन्द्रों का उन्नयन

म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में 7 सामान्य सुविधा केन्द्र) CFCs) संचालित है, जिनके अंतर्गत बांस कला से जुड़े शिल्पकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सामान्य सुविधा केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए उत्पाद निर्माण एवं विपणन इकाइयाँ, शासकीय बांस प्रसंस्करण 35 स्थापित कराई गई हैं।

इन केन्द्रों के माध्यम से बांस शिल्पियों को बांस उत्पाद निर्माण हेतु आधुनिक मशीनरी एवं उपकरणों से युक्त सामान्य अधोसंरचना प्रदान की जाती है। यहाँ पर स्व-सहयता समूहों के माध्यम से बांस उत्पाद निर्माण के साथसाथ कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी दिया जाता है । यहाँ निर्मित बांस उत्पादों का विपणन बंसी एम्पोरियम तथा देश एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में किया जाता है।

सफलता की कहानी - सामान्य सुविधा केंद्र, बैहर, बालाघाट.

वनमण्डल उत्तर बालाघाट के पश्चिम बैहर परिक्षेत्र अंतर्गत संचालित सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। वर्ष 2016 में राज्य बांस मिशन एवं वन विभाग द्वारा इसे पुन: अपग्रेड करवाया गया। इस केंद्र का संचालन लगभग 30 स्थानीय कारीगरों के एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांस हस्तशिल्प उत्पाद एवं फर्नीचर निर्माण हेतु किया जा रहा है। इन उत्पादों का विपणन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों एवं मेलों के माध्यम से किया जा रहा है। विगत वर्ष में इस सामान्य सुविधा केंद्र द्वारा कुल रु. 22 लाख मूल्य के बांस उत्पादों का विक्रय किया गया।

इन उत्पादों के निर्माण हेतु उपयुक्त बांस वन समितियों से क्रय किया जाता है, जो उनके लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। बांस कृषि से जुड़े स्थानीय कृषकों द्वारा भी केंद्र को बांस प्रदाय किया जाता है।

उदहारण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र द्वारा श्री हृदयसिंह, ग्राम हिर्री से उनके खेत की मेढ़ पर लगे दो भिर्रों से 950 नग बांस का क्रय रु. 95000 में किया गया। इसके साथ ही श्री हृदयसिंह ने अपने खेत में गेहूँ एवं मक्के की खेती से नियमित आय भी प्राप्त की। इस प्रकार राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत बांस कृषि के लिए प्राप्त सब्सिडी से कृषकों को लागत कम हो रही है एवं बांस के साथ अन्य अंतरवर्ती फसलों से अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है।

सी. एफ. सी बैहर द्वारा क्षेत्र के अन्य स्थानीय शिल्पियों एवं आदिवासियों को भी बांस उत्पाद निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनके द्वारा हर वर्ष लगभग 60 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं 100 परिवारों को संबंधित गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। सामान्य सुविधा केंद्र से जुड़े शिल्पियों की मासिक आय रु. 3000-5000 से बढ़कर रु. 8000-15000 हो गई है। इस प्रकार इन सामान्य सुविधा केन्द्रों द्वारा स्थानीय शिल्पी समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जा रहा है।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के परम्परागत बांस शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बांस हस्तशिल्प, बास्केटरी, बांस आभूषण, बांस फर्नीचर, एवं यूटीलिटी हस्तशिल्प आइटम इत्यादि विधाओं में प्रशिक्षित कराया जाता है। बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल विकास हेतु बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI) अगरतला, त्रिपुरा के अतिरिक्त म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST), आदि संस्थानों से समन्वय किया गया है। वर्ष 2022-23 तक राज्य बांस मिशन द्वारा कुल 2209 बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सफलता की कहानी - बसोड़ समुदाय के परम्परागत शिल्पियों के लिए आजीविका सृजन

बसोड़ पारम्परिक बांस शिल्पकार है जो अपनी आजीविका के लिए बांस शिल्प कार्य पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत इन परम्परागत् बांस शिल्पकारों को नवीन बांस उत्पादों का प्रशिक्षण, डिजाईन एवं निर्माण तथा कौशल उन्नयन हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

पंधाना, खंडवा के स्थानीय शिल्पी श्री नितेश सांवले को बांस मिशन द्वारा Bamboo & Cane Development Institute, अगरतला में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के उपरांत वे बांस हस्तशिल्प निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित हुए । उन्हें बांस हस्तशिल्प / कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत रु. 7.50 लाख की सब्सिडी एवं रु. 6.00 लाख का बैंक ऋण प्रदान किया गया।

उनके द्वारा इस हस्तशिल्प इकाई में बांस की टोकरियाँ, ट्री गार्ड्स, आदि का निर्माण किया जा रहा है। उनकी मासिक आय रु.5000 से बढ़कर रु. 60000-70000 प्रति माह हो गई है। आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ उनकी इकाई द्वारा अन्य स्थानीय शिल्पियों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही उनके माध्यम से स्थानीय बांस कृषकों एवं वन समितियों के लिए भी आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उद्यम की स्थापना से अब तक उनके द्वारा तावा ढाना वन समिति, बैतूल से लगभग 2 लाख नग बांस (रु. 42 लाख) क्रय किये गए हैं। उनके द्वारा सी.एफ.सी बालाघाट से भी रु. 22 लाख मूल्य के बांस क्रय किये गए हैं। उनकी सफलता की कहानी प्रदेश के अन्य बांस शिल्पियों के लिए प्रेरणा है।

क्र.	विवरण	पारंपरिक औजारों के माध्यम से	आधुनिक मशीनरी के माध्यम से
1	मासिक आय	रु. 5000	रु. 60000
2	बांस मिशन के सहयोग * से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि	1 (स्व-रोज़गार)	1 (उद्यमी) + 11 कारीगर @ 450 रु. प्रति व्यक्ति प्रति दिन
3	निर्मित बांस उत्पाद निर्मित	टोकरियों जैसे कम मूल्य वाले उत्पाद।	बेहतर गुणवत्ता वाले बांस के उत्पाद जैसे टोकरियां, ट्री गार्ड, आदि। प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख बांस पोल्स की खपत । (कुल बिक्री रु. 1.5 करोड़, लाभ- रु. 30 लाख)
* बांस मिशन योजनान्तर्गत Bamboo & Cane Development Institute, अगरतला में 30 दिन का प्रशिक्षण, हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु रु. 7.50 लाख की सब्सिडी एवं रु. 6.00 लाख का बैंक ऋण			

प्रदेश में बांस मिशन द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रम

1. **मनरेगा योजना में वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण -** इस योजना के अंतर्गत स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वन विभाग के मध्य समझोता पत्रक के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में बांस रोपण कराया जा रहा है। इस में स्वसहायता समूह के सदस्यों को मनरेगा योजनांतर्गत निर्धारित रोज़गार के साथ-साथ बांस विदोहन से प्राप्त आय पर भी अधिकार होगा। वर्ष 2020-21 से अब तक कुल 8280 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण करवाकर 8280 परिवारों को आजीविका का साधन उपलब्ध करवाया गया है।

2. **बांस पोल्स -** प्रदेश में वन विभाग के रोपणों की फेंसिंग हेतु सीमेंट कंक्रीट पोल्स के स्थान पर उपचारित बांस पोल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन बांस पोल्स का निर्माण बांस मिशन द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित उपचरण एवं सीज़निंग इकाइयों में उच्च गुणवत्ता के मापदंडों का पालन कर किया जा रहा है। विगत वर्ष एवं इस वर्ष में इस प्रकार कुल 5,13,637 बांस पोल्स का उपयोग वन विभाग के रोपणों की फेंसिंग हेतु किया गया है ।

म.प्र. राज्य बांस मिशन प्रदेश में बांस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों की आवश्यकतानुसार उपयुक्त वातावरण तैयार कर बांस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कृत संकल्पित है ।

क्या आप जानते हैं?

मध्यप्रदेश को देश में 'लेपर्ड स्टेट' (तेंदुआ प्रदेश) का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में तेंदुओं की संख्या लगभग 3421 है।

स्वैच्छिक पुनर्वास (विस्थापन) सतपुडा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम (म.प्र.)

परिचय

नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुडा पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित सतपुडा टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेष का सबसे बडा सरंक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत में सबसे बडे अखण्डित वन और बाघ रहवास क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह सागौन और साल के वनो के सगं म के साथ राज्य के सबसे विविध आयाम के आवासों में से एक है, जो पारिस्थितिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय, वानिकी और वन्यजीव सरं क्षण के दृष्टिकोण से कई अनूठी विषेषताओं से सम्पन्न है। सतपुडा टाइगर रिजर्व जैव- भौगोलिक क्षेत्र 61. डक्कन प्रायद्वीप सेंट्रल हाईलैंडस में एक बहुत ही महत्वपर्ण बाघ रहवास क्षेत्र है ।

2. **सतपुडा टाइगर रिजर्व में स्वैच्छिक पुनर्वास की स्थिति -** अगस्त 2022 तक सतपुडा टाइगर रिजर्व से अगस्त 2022 तक 49 ग्रामां) को विस्थापित किया है एवं विस्थापित ग्रामों को हरे रंग से दिखाया गया है ।

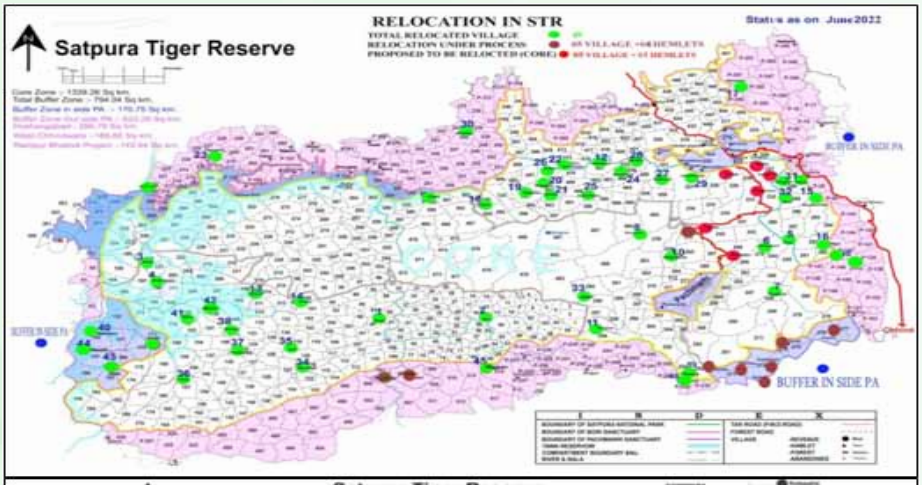

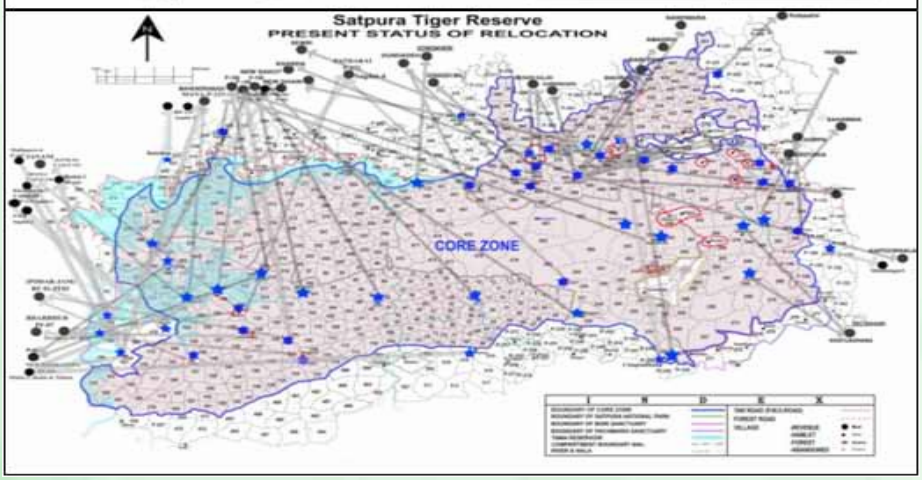

सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापित गांवो का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	ग्रामों की सख्या			टिप्पणी
	पूर्व से बसे हुए ग्राम	विस्थापित ग्राम	शेष / बचे हुए ग्राम	
कोर	43	36	07	PA बफर के 5 ग्राम शामिल है
बफर	55	13	42	
योग	**98**	**49**	**49**	

सतपुडा टाइगर रिजर्व से अभी तक 19 राजस्व और 30 वनग्रामों का विस्थापन किया जा चुका है ।

2.1 विस्थापन विकल्प - विस्थापित ग्रामीणों ने जिन विकल्पों का लाभ उठाया है, उसका विवरण इस प्रकार है :-

विकल्प	प्रकार	परिवार इकाई	प्रतिशत
विकल्प-1	नगद	3505	68%
विकल्प - 2	जमीन से जमीन	1625	32%
	योग	**5130**	**100%**

2.3 एक ग्रामीण स्थल से वन्यजीव आवास तक की यात्रा

सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंदर समस्त विस्थापित ग्रामों की रिक्त भूमि को प्रभावी रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ करके अच्छे घास के मैदानों में बदला गया -

1. घर और इमारत का मलबा हटाना
2. कृषि क्षेत्रों से जीवित बाड़ो और लकड़ी के खंभों को उखाडना
3. झाडियों को उखाडना और घास के मैदानों का सीमांकन करना
4. ग्राम एवं सामुदायिक क्षेत्रों का समतलीकरण कार्य करना
5. कृषि खरपतवारों को उखाडना
6. रोगजनक कीटो और खरपतवारों को खत्म करने के लिए विस्थापित ग्राम के मलवे का नियमित रूप से जलाना
7. जुताई करना
8. ग्राम के तालाबों का गहरीकरण करना
9. खेतो / गांव में स्थित कुंओं को बागुड कर बंद करना और कुछ कुओं को वन्यप्राणियों हेतु पानी तक पहुंच प्रदान करने के लिए रैंप खोदकर वन्यजीवों के लिए जलस्त्रोत के रूप विकसित करना ।
10. कुछ अच्छी इमारतों को वाचर एवं श्रमिकों के केम्प के रूप में बनाए रखना
11. घास मैदान के अभिला तैयार करना और हर्बेरियम को बनाना
12. वार्षिक निदाई-गुडाई, झाडियाँ उखाडना और स्थानीय घास प्रजातियों के बीज बोना, जंगली दलहनी और जंगली अलसी जैसे तिलहनी बीजों का संवर्धन।

उपर्युक्त गतिविधियों को अपनाकर हम वन्यजीवों को समृद्ध आवास प्रदान करने एवं उसको सरंक्षित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे है।

ग्राम सुपलई के विस्थापन की तस्वीरें : विस्थापन के पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात्

2.4 विस्थापित ग्राम स्थल का विकास पार्क प्रबंधन द्वारा विस्थापित ग्रामीणों के घरेलू सामग्री, मवेषी, पुरानी लकडी और घरेलू इमारती लकडी को नवीन बसाहट स्थल पर ग्रामीणों की मांग एवं इच्छा अनुसार पहुंचाया जाता है। नवीन बसाहट स्थल पर पेडों की कटाई, ठूंठ उखाडने और भूमि समतल करने का कार्य पार्क प्रबंधन द्वारा विस्थापित ग्रामीणों से परामर्ष कर किया जाता है। ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है और आवास क्षेत्रों, सडकों, सामुदायिक क्षेत्रों आदि हेतु भूमि आवटं न हेतु सीमांकन किया जाता है । 1 एकड आवासीय प्लाट और 4 एकड कृषि भूमि ग्रामीणों द्वारा चुनी जाती है, जिसे लॉटरी प्रणाली द्वारा ग्रामीणों द्वारा स्वयं की सहमति से आवंटित किया जाता है। सभी कार्यो का क्रियान्वयन ग्राम पुनर्वास समिति के माध्यम से किया जाता है लेकिन विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में विभागीय नियमों का भी पालन किया जाता है। पार्क प्रबंधन पुनर्वास स्थल पर ग्राम की विकास योजना के अनुसार सडक, स्कूल, आंगनवाडी, सामुदायिक सुविधा, खेल के मैदान, कृषि भूमि, पये जल, सिंचाई सुविधाएं आदि जैसी सभी बुनियादी अधोसंरचना सुविधाएँ प्रदान करता है।

संरक्षित क्षेत्र के अंदर विस्थापित ग्राम धांई और पुनर्वासित नई बसाहट स्थल की तस्वीरें

संरक्षित क्षेत्र के अंदर विस्थापन के पूर्व **विस्थापन के पश्चात नए पुनर्वासित ग्राम**

विस्थापित ग्राम की फोटो

3. ग्राम विस्थापन के बाद सरंक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और वन्यप्राणी रहवास प्रबंधन के सार्थक प्रयास देश में टाइगर रिजर्व से सबसे बडे स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन कार्यक्रम ने बाघ और अन्य वन्यजीवों के आवासों में सुधार और संरक्षण के लिए अनन्त अवसर प्रदान किए है। यद्यपि ग्रामों का कोर क्षेत्र के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से पर आधिपत्य था, लेकिन कृषि, मछली पकडने, पषुधन चराने, एनटीएफपी और जलाऊ लकडी का संग्रह और अवैध षिकार जैसी मानवीय गतिविधियों का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक था। ग्रामों के विस्थापन उपरांत रिक्त क्षेत्र लगभग 11,000 हेक्टेयर है। इसके अलावा लगभग 12000 मनुष्यों और 12000 से अधिक मवेशियों को बाघ अभ्यारण्य से बाहर ले जाया गया, जिससे चराई, मछली पकड़ने, ईधन लकडी संग्रह, कभी-कभी अवसरवादी अवैध षिकार और वन्य जीवन में व्यवधान, जैसे जैविक दबावों में भारी कमी आई। इसके अलावा गांवों के विस्थापन ने कोर और बफर जोन के 1400 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र को व्यवधान मुक्त एवं अक्षत बना दिया है। यह किसी बाघ अभ्यारण्य के अक्षत कोर क्षेत्र की परिभाषा के अनुरूप हौ वन्यजीव सरं क्षण अधिनियम की धारा 38V (4) के उपधारा (i) के अनुसार "कोर क्षेत्र या महत्वपपू बाघ आवास क्षेत्रों वैज्ञानिक और विषय परक मानदंडों के आधार पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के एसे क्षेत्र है, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों या एसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, बाघ संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अक्षत बनाए रखना आवश्यक हैं"। इस अक्षत क्षेत्र के निर्माण के साथ, सतपुडा टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी अब 50 (2022) से अधिक है और तेंदुए की आबादी 250 (2018) है।

3.1 बाघ पुनर्प्राप्ति और संरक्षण ग्रामों के विस्थापन और घास मैदान के प्रबंधन की दिशा में प्रयासों के कारण, कोर के साथ-साथ बफर के कुछ हिस्से अब बाघों के प्रमुख आवास बन गए है।

अधिक बाघ घनत्व वाले अन्य क्षेत्रों से सतपुडा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करके बाघों की आबादी को सुदृढ करने की अनुमति प्राप्त हुई है। वर्ष 2013 में पहला बाघ नर बाघ पी - 211 जो पन्ना से निकलकर सागर जिले के मानव आबादी क्षेत्र में आया था, उसे सतपुडा में छोडा गया था। दो मादा और एक नर अनाथ बाघ शावक, जिन्हे बांधवगढ और कान्हा टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र के भीतर बाड़ों में पाला गया था, उन्हें भी सतपुडा टाइगर रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है, वे सभी बाघ जीवित है और प्रजनन कर रहे है। हाल ही में सजंय टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर एक युवा बाघिन को 3 जून 2021 को सतपुडा टाइगर रिजर्व में मुक्त किया गया है। यह बाघिन मेलघाट टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में चली गई, जो सतपुडा और मेलघाट के बीच व्यवहारिक कॉरीडोर होने का संकेत देती है। अब तक 14 बाघों को सतपुडा में स्थानांतरित किया जा चुका है। किसी बाघ को टाइगर रिजर्व में छोडने से पहले पकडने और छोडने का प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। बाघों की आबादी की गतिषीलता, षिकार की उपलब्धता और प्रचुरता पर विचार करने के बाद स्थानांतरित बाघों को पहले से चयनित उपयुक्त स्थलों में छोड दिया जाता है।

सक्रिय प्रबंधन के प्रयास जैसे कि बाहर से बाघों के स्थानांतरण ने बाघों की आबादी में बृद्धि की है | अक्षत रहवास क्षेत्र निर्माण, आवास प्रबंधन पहल एवं ईमानदारी से किए गए सुरक्षा प्रयासों से शिकार आबादी के परिणामी बृद्धि के कारण सतपुडा के बाघ के प्राकृतिक आबादी बढने के साथ-साथ बाघों के बाहर से सफल पुनर्वास के कारण सतपुडा टाइगर रिजर्व में बाघों की सख् या बढी है । बाघों की आबादी में वृद्धि 2014 के बाद से बाघ गणना के परिणामों से स्पष्ट है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए टाइगर रिजर्व द्वारा किए गए अखित भारतीय बाघ गणना और फेस VI की अनुश्रवण में बताया गया है। सतपुडा टाइगर रिजर्व में AITE- 2022 सर्वेक्षण भी परा हो चुका है और इसके नतीजों में बाघों की संख्या और बढने की संभावना है।

year	Minimum Number of Individual Tiger Captured	Population size	Lower Confidence Interval Limit	Upper Confidence Interval Limit	Tigers Density (/100 sq km)
2014	14				1.52 (±0.42)
2018	41	41 (±1.5)	41	46	1.8 (±0.27)
2019-20	45	48.7 (±3.9)	45	65	1.76 (±0.26)

(स्त्रोत : अखिल भारतीय बाघ गणना फ्रेस - IV वर्ष 2014, 2018 निगरानी वर्ष 2019-20)

वन क्षेत्र से लेंटाना उन्मूलन एवं आजीविका विकास

वन मण्डल सतना अंतर्गत लेंटाना खरपतवार वन क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में स्थित है प्रत्येक वर्ष रोपण एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु लेंटाना खरपतवार का उन्मूलन किया जाता है तदोउपरांत लेंटाना झाड़ियों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। विगत वर्ष से लेंटाना झाड़ियो के उन्मूलन एवं तदउपरांत उन्मूलित लेंटाना झाड़ियो के उपयोग हेतु नवीन प्रयास किये गये है।

वन मण्डल सतना अंतर्गत कई सीमेंट प्लांट स्थित है जिनमे लेंटाना खरपतवार को combustible fuel के रूप में विगत वर्ष से उपयोग मे लिया जा रहा है। लेंटाना उन्मूलन उपरांत मशीन के द्वारा इसे Shred किया जाता है तदउपरांत Shredded लेंटाना को सीमेंट प्लांट में भेजा जाता है जहां यह fuel के रूप में उपयोग किया जाता है। Shredded Lantana की Gross calorific value लगभग 4200 kcal / kg है एवं Net calorific value लगभग 3900 kcal / kg. जो कि सीमेंट प्लांट के लिए उपयुक्त है एवं कोयले का Green fuel के रूप मे बहतर विकल्प है।

DATE Receipt	Material	Source / Mines	Material Code	Quantity Received	TM	IM	SM	On Air Dry Basis						
								Ash	VM	FC	GCV	NCV	S	C
				(MT)	%	%	%	%	%	%	Kcal/kg	Kcal/kg	%	%
01-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	6 730	9 88	3 34	6 54	3 14	17 92	75 60	4145	3851	0 14	
02-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	5 970	10 70	5 55	5 15	2 87	17 58	74 00	4175	3881	0 12	
04-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 380	29 40	4 36	25 04	2 46	16 84	76 34	4213	3919	0 11	
05-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 710	22 94	5 10	17 84	3 19	18 44	73 27	4204	3910	0 10	
06-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 570	19 14	4 82	14 32	2 98	18 18	74 02	4239	3945	0 12	
07-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 430	16 92	5 24	11 68	3 48	17 29	73 99	4073	3779	0 08	
09-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 010	18 76	4 98	13 78	3 14	17 72	74 16	4196	3902	0 10	
09-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 010	18 76	4 98	13 78	3 14	17 72	74 16	4196	3902	0 10	
10-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	8 200	16 10	5 21	10 89	3 02	18 41	73 36	4218	3924	0 08	
11-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	6 700	29 67	6 34	23 33	3 67	18 22	71 77	4164	3870	0 11	
16-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	11 960	15 46	5 92	9 54	3 28	18 14	72 66	4159	3865	0 10	
18-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 390	22 00	6 13	15 87	3 46	17 46	72 95	4073	3779	0 10	
19-Dec-22	Shredded Lantana	Gurukul Trader	30016	7 680	18 54	5 76	12 78	3 14	18 32	72 78	4190	3896	0 11	

वन क्षेत्र से लेंटाना उन्मूलन निकालने का कार्य ग्राम वन समिति के द्वारा कराया जाता है एवं लेंटाना Shred करने वाले फर्म के साथ एम.ओ.यू (परिशिष्ट - 1 संलग्न) उपरांत प्रदाय किया जाता है। ग्राम वन समितियों द्वारा प्रदाय लेंटाना झाड़ियों को मशीन द्वारा छोटे टुकड़े कर Shredded Lantana chips को संबंधित फर्म द्वारा सीमेंट प्लांट को प्रदाय किया जाता है।

ग्राम वन समिति द्वारा लेंटाना उन्मूलन एवं फर्म द्वारा लेंटाना Shredding कार्य एवं सीमेंट प्लांट तक परिवहन के कार्यो को वन विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है एवं कार्य के अनुश्रवण हेतु प्रपत्र - क (परिशिष्ट - 2 संलग्न) एवं प्रपत्र- ख (परिशिष्ट- 3 संलग्न) में जानकारी संधारित की जाती है। प्रपत्र क लेंटाना झाड़ियों के परिवहन के पूर्व फर्म द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय में इस प्रपत्र मे जानकारी प्रदाय की जाती है। प्रपत्र ख - इस प्रपत्र मे प्रपत्र क प्राप्त होने पर वन मण्डल कार्यालय मे परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदाय की जाती है।

वन मण्डल सतना अंतर्गत विगत 1 वर्ष मे ग्राम वन समितियों द्वारा लेंटाना उन्मूलन कार्य हेतु 1200 रू. प्रति मैट्रिक टन मजदूरी राशि तथा 500 रू. प्रति मैट्रिक टन लाभांश राशि प्रदाय की जाती है। इस प्रकार 1700 रू. प्रति मैटिक टन ग्राम

वन समिति को प्राप्त होता है जिसमें से 1200 रू. प्रति मैट्रिक टन में लेंटाना उन्मूलन मजदूरी कार्य सम्पादित किया जाता है तथा 500 रू. प्रति मैट्रिक टन लाभांश राशि से समिति में ही जमा रहती है जिसका उपयोग अगामी वर्षा ऋतु मे लेंटाना उन्मूलित क्षेत्र में बीज बुवाई एवं अन्य वानिकी कार्य के लिए किया जावेगा।

वन मण्डल सतना अंतर्गत विगत 1 वर्ष मे 16 ग्राम वन समितियों को कार्य के अनुरूप राशि प्रदाय की गई है, जिसका आज दिनांक तक कुल योग रूपये 2062263. 00 (लगभग बीस लाख रूपये) जिसमे लेंटाना उन्मूलन हेतु मजदूरी राशि तथा समिति मे जमा की गई लाभांश की राशि सम्मिलित है, जिसका समिति का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	ग्राम वन समिति	परिक्षेत्र	मात्रा मैट्रिक टन	मजदूरी राशि (1200 रू. प्रति मैट्रिक टन)	लाभांश राशि (500 रू. प्रति मैट्रिक टन)	कुल राशि (रू.)
1	पटेहरा	मैहर	29.87	35844	14935	50779
2	पलौहा	मैहर	23.1	27720	11550	39270
3	चितहरा	मझगवां	70.58	84696	35290	119986
4	पटना कला	मझगवां	220	264000	110000	374000
5	बुंदेलापुर	मझगवां	70.5	84600	35250	119850
6	पटना खुर्द	मझगवां	69	82800	34500	117300
7	जुडेही	चित्रकूट	60	72000	30000	102000
8	कैलाशपुर	चित्रकूट	37	44400	18500	62900
9	गोरसिहाई	चित्रकूट	35	42000	17500	59500
10	मटियाचुआ	चित्रकूट	35.2	42240	17600	59840
11	रामपुर पाठा	उचेहरा	109	130800	54500	185300
12	कारीमाटी	नागौद	112.01	134412	56005	190417
13	गोडानटोला	मझगवां	171.86	206232	85930	292162
14	मोटवा	मझगवां	171.86	206232	85930	292162
योग			**1214.98**	**1457976**	**607490**	**2065466**

अतएव ग्राम वन समितियो को विगत वर्ष लेंटाना उन्मूलन मजदूरी तथा लाभांश राशि मिलाकर कुल 2065466.00 रूपये (बीस लाख पैसठ हजार चार सौ छाछठ रूपये) प्रदाय किये गये है।

सतना वन मण्डल अंतर्गत इस नवीन प्रयास से निम्नानुसार लाभ प्राप्त हुए है -

1. ग्राम वन समिति सदस्यो को रोजगार मिल रहा है।
2. ग्राम वन समिति को लाभांश की राशि जिसका उपयोग वन क्षेत्र के विकास के लिए किया जायेगा।
3. लेंटाना झाड़ी उन्मूलन से वन क्षेत्र खरपतवार मुक्त हो रहा है।
4. सीमेंट प्लांट द्वारा कोयला के स्थान पर ग्रीन फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है।

अतएव उपरोक्त कार्य से ग्राम वन समितियो का विकास, वन क्षेत्र का विकास, पर्यावरण संरक्षण के त्रिपक्षीय लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है।

इकोपार्क मुकुन्दपुर की मनोरंजन गतिविधियों का संचालन

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, के राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से निम्नानुसार अधिसूचना जारी हुई थी :-

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थान	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	सीमाएं
1	सतना	मुकुन्दपुर	नकटीघाट	आरक्षित वन 699, 706, 707, 708, 698, 697, 696, 694, 693, 692, 688, 687, 686	140.00	पूर्व - खजुरी बीट का कक्ष क्रमांक 687, 688 पश्चिम - बीहर नदी एवं कक्ष क्रमांक 703 उत्तर - बीहर नदी एवं कक्ष क्रमांक 686, 694 दक्षिण कक्ष क्रमांक 700, 691

तत्पश्चात मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.12.2018 से जिला सतना की तहसील अमरपाटन के ग्राम का नाम नकटी से नयनपुर कर दिया गया है। जिसके पालन में वर्तमान में इकोपर्यटन क्षेत्र का नाम नयनपुर है।

इकोपार्क नयनपुर, मुकुन्दपुर का संचालन दिनांक 23.11.2020 से प्रारम्भ हुआ है। इसके विकास हेतु राशियां निम्नानुसार प्राप्त हुई हैं :-

1. **मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड :-** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश, इकोपर्यटन विकास बोर्ड, ऊर्जा भवन, लिंक रोड, शिवाजी नगर, भोपाल के पत्र क्रमांक / इकोबोर्ड/ प्रोजेक्ट / 2017 / 2201 दिनांक 09.10.2017 से मढ़ी एवं खजुरी बीट के नकटीघाट (परिवर्तित नाम नयनपुर) इकोपर्यटन स्थल के विकास हेतु राशि रूपये 76.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं पत्र क्रमांक / प्रोजेक्ट-1/ फा.नं. 42-1/2022/912 दिनांक 16.03.2022 से चार सीटर पैडल बोट हेतु राशि 4.44 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल प्राप्त राशि 80.94 लाख से कार्य :- Fencing-1, Main Gate, Ticket Window, Forest Walking Trail, Ponds, Sitouts & pagoda, Irrigaton System and Solar Pumps, Land Scaping, Toilets, Cafeteria, Paddle Boat (4 Seater), HDPE Floating Jetty स्वीकृति अनुसार पूर्ण कराये गये हैं।
2. **स्वदेश दर्शन योजना :-** मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, पर्यटन भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 7798/SD/MPT/2016 दिनांक 30.08.2016 से वाईल्ड लाईफ सर्किट स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत मुकुन्दपुर पार्क को राशि रूपये 194.76 लाख की स्वीकृति उपरान्त राशि प्राप्त हुई है, प्राप्त राशि से स्वीकृति अनुसार कार्य:- इन्ट्री गेट, फॉरेस्ट वाकिंग टेल, केनोपी वॉक, डेव्हलपमेंट आफ मचान, सोलर लाईट, साईनेजेज / डस्टबीन, कंपाउण्ड वॉल, चैनलिंक फेंसिंग / पार्किंग एवं ईकोपर्यटन गतिविधियों के विकास का कार्य पूर्ण कराया गया है।

इकोपार्क मुकुन्दपुर मे दिनांक 23.11.2020 से माह मई 2022 तक विगत 18 माह मे यहां 41662 पर्यटक आये एवं ईको पर्यटन की 12 गतिविधियों की अनुभूति की जिनका विवरण निम्नानुसार है :- कैनोपी वॉक, रोप क्लाइम्बिंग, जिप लाईन, टायर वॉक, रोप वॉकिंग, हैमोक वॉक, बैलेन्स दी रोप, डार्टिंग, आर्चरी, साइकिलिंग, हॉर्सराइडिंग एवं बोटिंग। विगत 18 माह मे 41662 पर्यटकों से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है।

इको पर्यटन मनोरंजन क्षेत्र - नयनपुर मुकुन्दपुर का लोकार्पण दिनांक 22.11.2020

पर्यटको से प्राप्त राशि का विवरण

दिनांक 23 नवम्बर 2020 से दिनांक 31 मई 2022 की स्थिति मे

क्र.	माह	पर्यटक संख्या	पर्यटकों से प्राप्त राशि								वाहन शुल्क		महायोग
			प्रवेश शुल्क	चिल्ड्रन पार्क शुल्क	नौका विहार	साइक लिंग	कैनोपी वॉक	आर्चरी	डार्टिंग	जिप लाइन	दो पहिया वाहन	हल्के मोटर यान (जीप, कार, जिप्सी)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23 नवंबर 2020 से	823	8230	16460		870	7350	3940	440	6950		5400	49640
2	दिसंबर 2020	4486	44860	89680		5100	44050	22730	980	63100		42800	313300
3	जनवरी 2021	8217	82160	164320		1230	65850	33060	0	135100		64700	546420
4	फरवरी 2021	5318	53180	106360		4560	48050	16800	520	109800		43600	382870
5	मार्च 2021	2500	25000	50000		1830	19800	7650	180	54400		17100	175960
6	अप्रैल 2021	526	5260	10520		120	4200	1170	20	12300		1700	35290
7	मई 2021	Nil (Lockdown Closed 19.04.2021 to 31.05.2021)	0										
8	जून 2021	841	8410	16820		420	6000	930	0	14500		1700	48780
9	जुलाई 2021	1939	19390	38780		1440	17450	3870	0	45700		13400	140030
10	अगस्त 2021	2271	22710	45420		2310	24650	5730	0	53200		19700	173720
11	सितंबर 2021	1237	12370	24740		1050	14050	3600	0	30600		7700	94110
12	अक्टूबर 2021	1636	16360	32720		2370	15900	5370	0	35600		12900	121220
13	नवंबर 2021	2059	20590	41180		1080	20250	4380	0	40900		16400	144780
14	दिसंबर 2021	2739	27390	54780		2040	29700	7590	860	67000		18500	207860
15	जनवरी 2022	2515	25150	50300		0	23950	8070	520	50700	975	14400	174065
16	फरवरी 2022	1399	13990	27980		0	11600	5250	500	34200	2275	11200	106995
17	मार्च 2022	1797	17970	35940		0	10200	4650	1200	46500	3400	18500	138360
18	अप्रैल 2022	380	3800	7600		0	3400	1200	100	12000	750	3500	32350
19	मई 2022 31 मई 2022 की स्थिति में	979	9790	19580	6400	0	6150	1890	0	21000	1700	9400	75910
Total		**41662**	**416610**	**833180**	**6400**	**24420**	**372600**	**137880**	**5320**	**833550**	**9100**	**322600**	**2961660**

	वनमण्डल अधिकारी सतना के खाते मे जमा राशि	ग्राम वन समिति खजुरी द्वारा संचालित गतिविधियों से प्राप्त राशि	कुल राशि
प्रवेश शुल्क	416610	2213350	
वाहन शुल्क	331700		
कुल राशि	**748310**	**2213350**	**2961660**

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 94 दिनांक 25.02.2016 एवं संसोधित राजपत्र क्रमांक 164, वन विभाग, दिनांक 19.04.2017 मे नियम 7 उप नियम (1) मे प्रवेश शुल्क तथा दो पहिया वाहन/हल्के मोटरयान / मिनी बस / सामान्य बस के प्रवेश शुल्क अंकित किये गये हैं तथा नियम 8 सारणी 2 अन्तर्गत दो गतिविधियां 1. कैम्पिंग, 2. वारट क्रूज हेतु गतिविधि शुल्क वर्णित किया गया है । साथ ही नियम 10 (1) अन्तर्गत लेख किया गया है कि मनोरंजन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व संभागीय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के खाते मे जमा किया जाएगा एवं नियम 10 (2) के अन्तर्गत उक्त आय के उपयोग हेतु, वनमंत्री, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता के अधीन अन्तरविभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशानुसार नियम 7 उप नियम (1) अन्तर्गत प्रवेश शुल्क तथा वाहन शुल्क नियम 10 (1) अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के खाते में माह मई 2022 तक 748310 /- रूपये जमा की गई है। नियम 10 (2) के अन्तर्गत उक्त आय के उपयोग हेतु अन्तरविभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा एवं यह राशि का उपयोग उपरोक्त वर्णित समिति से अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा । अतएव मनोरंजन क्षेत्र मे प्रवेश शुल्क तथा दो पहिया वाहन से प्राप्त राजस्व वनमण्डल अधिकारी क्षेत्रीय सतना के ईको पर्यटन क्षेत्र नयनपुर, परिक्षेत्र मुकुन्दपुर के पृथक से खोले गये खाते मे जमा किया जाता है एवं जमा की गई राशि के व्यय हेतु पृथक से प्रस्ताव बना कर ईको पर्यटन विकास बोर्ड को प्रेषित किया जावेगा।

इको पर्यटन क्षेत्र नयनपुर, वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर मे विभिन्न गतिविधियां ग्राम वन समिति खजुरी के माध्यम से संचालित हैं। ग्राम वन समिति खजुरी द्वारा संचालित गतिविधियां निम्नानुसार हैं :- 1. Canopy Walk, 2. Rope Climbing, 3. Zip Line, 4. Tyre Walk, 5. Rope Walking, 6. Hammock Walk, 7. Balance The Rope, 8. Darting, 9 Archery, 10. Cycling, 11. Horse Riding, 12. Boating | इन समस्त गतिविधियों का संचालन, बोटिंग आदि गतिविधियों मे पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यटकों को इकोपर्यटन गतिविधियों के संबंध मे जानकारी प्रदाय करना आदि समस्त कार्य ग्राम वन समिति खजुरी द्वारा किये जाते हैं। इस कार्य में ग्राम वन समिति सदस्यों को रोजगार एवं मानदेय भी मिलता है साथ ही ग्राम वन समिति द्वारा ही गतिविधि की आवश्यकता के अनुरूप अन्य श्रमिक भी लगाये जाते हैं, जिन्हे समिति द्वारा भुगतान किया जाता है। साथ ही इन समस्त गतिविधियों के रखरखाव एवं ईको पर्यटन गतिविधियों मे लगाये गये श्रमिक तथा समिति सदस्यों को किये गये भुगतान उपरान्त भी समिति के पास लाभांश राशि बचती है जो कि समिति खाते मे जमा रहती है एवं इस राशि से ईको पर्यटन क्षेत्र मे अन्य गतिविधियों के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। 23 नवम्बर 2020 से 31 मई 2022 तक ग्राम वन समिति खजुरी द्वारा संचालित गतिविधियों से लगभग 22 लाख रूपये समिति के पास स्वयं द्वारा संचालित गतिविधियों से आय प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग वर्तमान मे संचालित गतिविधियों के रखरखाव एवं नवीन ईको पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु किया जावेगा, जिससे कि इको पर्यटन का विस्तार हो एवं पर्यटकों हेतु अन्य सुविधायें एवं गतिविधियां उपलब्ध हो एवं स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

जिप लाईन

आर्चरी

रज्जु संतुलन

हार्स राइडिंग

कैनोपी वॉक

Hammock Walk

आत्मनिर्भरता की उड़ान

ग्राम वन समिति बरौदिया नौनागिर द्वारा

उत्कृष्ठ प्रबंधन - आंवला वनक्षेत्र उत्तर वन मंडल सागर

ग्राम वन समिति बरौदिया नौनागिर पुनः स्थापना कार्यवृत के अंतर्गत आती है वर्ष 2007-08 में आवला एवं सागौन रोपण किया गया था जिसमें आवला प्रजाति के 6600 पौधा का रोपण किया गया था। वर्ष 2011 से समिति को रोपण क्षेत्र से आय प्रांरभ हो गयी एवं आय होने के कारण समिति के लोगो ने वृक्षारोपण क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए आंवला के वृक्षों में सिंचाई प्रारंभ कर दी गयी। समिति द्वारा बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया कि, समिति का एक माईक्रोप्लान तैयार किया जायें एवं समिति को अत्मनिर्भर बनाने के लिए समिति को आंवटित कुल रकवा में से 25 हे. क्षेत्र में आवले एवं अन्य फलदार वृक्षों का रोपण किया जायें एवं पुराने एवं प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में औषधीय पौधों का रोपण किया जायें। जिससे समिति को सतत रूप से आय प्राप्त होगी। समिति के द्वारा समिति क्षेत्र में आस्था मूलक कार्यों हेतु योजना बनाई गयी है जिससे ग्राम के विकास में सहयोग प्राप्त होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान की परिकल्पना सकार होगीं।

- **योजना का नाम - कार्य आयोजना का क्रियान्वयन**
- रोपण स्थल का नाम - बरोदिया नोनागिर
- वन कक्ष - पी.एफ.87
- बीट - तोड़ाकाछी - 1
- रकबा - 25.00 हे.
- रोपण वर्ष - 2007 – 08
- रोपित ऑवला पौधों का विवरण - देशी 2600, ग्राफटेड 4000
- आवला रोपण क्षेत्र ग्राम वन समिति बरौदिया
- आँवला वृक्षों की संख्या - फलन - 1517 अफलन -428
- वन परिक्षेत्र - खुरई

आंवला रोपण क्षेत्र ग्राम वन समिति बरौदिया

तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री चितरंजन त्यागी, मुख्य वन संरक्षक श्री अमित दुबे, वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर श्री बेणी प्रसाद दातौनिया एवं उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर श्री हेमंत यादव समिति सदस्यों से चर्चा करते हुए। प्रवास दिनांक 11 दिसम्बर 2021

आँवला वनक्षेत्र का उत्कृष्ट वन प्रबंधन

क्रमांक	वन परिक्षेत्र	नीलामी वर्ष	आंवला से प्राप्त आय
1	खुरई	2011	3,500.00
2		2012	6,300.00
3		2013	21,000.00
4		2014	60,100.00
5		2015	15,000.00
6		2016	10,000.00
7		2017	10,000.00
8		2018	11,000.00
9		2019	14,000.00
10		2020	30,000.00
11		2021	31,000.00
12		2022	3,86,228.00
योग			**5,98,128.00**

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

सीताफल बना वनवासियों के आजीविका का प्रमुख आधार

वन सुरक्षा समिति गढौला जागीर आंवटित कक्ष क्रमांक पी. एफ. 40 एवं 42 कुल रकवा 616.81 हे. में विस्तृत है। वन सुरक्षा समिति गढ़ौला जागीर पुनः स्थापना कार्य वृत्त के अंतर्गत आती है। वर्ष 2002-03 में पी. एफ 40 के 03 हे. क्षेत्र में 500 आवला के पौधों का रोपण किया गया था। उसी प्रकार वर्ष 2015-16 में पी. एफ. 42 में 50 है, क्षेत्रफल में मिश्रित रोपण किया गया वर्ष 2018-19 में पी. एफ. 42 के 25 हे. क्षेत्रफल में सागौन एवं मिश्रित रोपण किया गया यह समस्त रोपण एफ. डी. ए. योजना माध्यम से कराये गये।

समिति को आंवटित वनक्षेत्र में सीताफल, आचार, आंवला, महूआ, एवं नीम प्रजातियों का पुनरूत्पादन काफी अच्छा हुआ है। सभी को आंवटित वनक्षेत्र में 600 से अधिक सीताफल के वृक्ष तैयार हो गये है एवं खिरन्नी जैसी विलुप्त प्रजाति के वृक्ष प्राकृतिक रूप से स्थापित हो चुके है तथा उसका पुनरूत्पादन भी हो रहा है। समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर सीताफल, आवला, खिरन्नी के वृक्षों को प्रत्येक वर्ष नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया है। जिसमें 2011 से 2021 के बीच समिति को 14 लाख की आय हुई है।

आत्म निर्भर भारत अभियान अंतर्गत वर्ष 2021-22 में समिति का माईकोप्लान तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव डालकर समिति सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि सीताफल, खिरनी एवं आवला के क्षेत्र को सी. पी. डब्ल्यू. के माध्यम से सुरक्षित कर समिति की आय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

सीताफल के वनक्षेत्र का वन प्रबंधन से समिति की, वर्षवार आमदनी निम्नानुसार -

प्रजाति - सीताफल (फलों से लदा हुआ)
छायाचित्र दिनांक : 11 अक्टूबर 2022
व.सु.स. : गडौला जागीर (सीताफल उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक	वन परिक्षेत्र	नीलामी वर्ष	सीताफल से प्राप्त आय
1	खुरई	2011	50,000
2		2012	1,10,000
3		2013	35,000
4		2014	90,000
5		2015	96,000
6		2016	95,000
7		2017	24,000
8		2018	1,26,000
9		2019	1,05,000
10		2020	1,59,000
11		2021	2,25,000
12		2022	2,11,000
		योग	**13,26000**

भावी पीढ़ी को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का सार्थक एवं सफल प्रयास - अनुभूति

अनुभूति कार्यक्रम वन विभाग का एक "फ्लैगशिप" कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों मे वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने हेतु प्रतिवर्ष "प्रशिक्षण सह जागरूकता" शिविरों का आयोजन वनमंडलों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आयोजित होने वाला एकमात्र कार्यक्रम है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को वन विभाग द्वारा प्रकृति और वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में शिक्षित किया जाता है। इस एक दिवसीय शिविर मे शामिल होने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यह एक अवसर है जिससे वे वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते है।

अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2022-23 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया जहाँ इस कार्यक्रम के प्रेरणास्त्रोत डॉ कुं विजय शाह माननीय वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन ने बच्चो के साथ रहकर वनों की जानकारी दी और उनके साथ भोजन भी साझा किया

अनुभूति कार्यक्रम के द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति से कार्यक्रम वर्ष 2022-23 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया जहाँ इस कार्यक्रम के प्रेरणास्त्रोत डॉ कुं विजय शाह मान जुड़ने, अनुभव करने एवं विभिन्न प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन ने बच्चो के साथ रहकर वनों की जानकारी दी और उनके साथ भोजन भी साझा किया गतिविधियों तथा प्रबंधन को समझने के अवसर प्रदान किये जाते है। अनुभूति कार्यक्रम वन विभाग की एक अनोखी पहल है जिसमे भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण की अनुभूति कलकेंड संदया वर्जा शिक्षक की दिशाबारी किया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा भारत की भावी पीढ़ी में वन एवं वन्यप्राणियों के संबंध में जिज्ञासा विकसित कर उन्हे इनके संरक्षण का भागीदार बनाने का प्रयास किया जाता है।

क्र	वर्ष	प्रति परिक्षेत्र शिविर संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2016-17	1	393	53,935
2	2017-18	2	903	1,11,068
3	2018-19	1	477	61,181
4	2019-20	2	947	1,18,491
5	2020-21	कोविड की वजह से कार्यक्रम स्थगित		
6	2021-22	2	936	1,09,115
7	2022-23	2	942	1,20,914
		योग	**4598**	**5,74,704**

अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016-17 में समस्त वन परिक्षेत्र स्तर पर शिविरों के आयोजन करने से की गई थी। 6 वर्षों में कुल 4,598 अनुभूति कैम्प आयोजित किये गये एवं प्रदेश के समस्त वन परिक्षेत्रों मे कुल 5,74,704 विद्यार्थियों को रोचक जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2022-23 मे डॉ कुं विजय शाह माननीय वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के कुशल निर्देशन मे यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया जिसमे प्रदेश के 471 क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वन परिक्षेत्रों मे कुल 942 अनुभूति शिविरों मे 120-125 विद्यार्थी प्रति शिविर उपस्थित रहे, जिसमे शासकीय विद्यालयों के कुल 1,20,914 प्रतिभागी जिनमे से 6,002 शिक्षकों ने भाग लिया। इस वर्ष अनुभूति कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ एवं कैम्पा द्वारा वित्त पोषित किया गया। इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम को समस्त वन परिक्षेत्रों मे समानांतर रखने हेतु वृहद दिशा निर्देश जारी किये गए, जिसमे कार्यक्रम का प्रबंधन एवं संचालन करने के तौर तरीकों से अवगत कराया गया।

अनुभूति कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु प्रशिक्षण अति आवश्यक गतिविधि है, जिस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रणनीति तैयार की गई। अनुभूति शिविरों के आयोजन हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों/प्रेरकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि शिविरों मे उपस्थित विद्यार्थियों को अनुभूति के उद्देश्यों अनुरूप मार्गदर्शन व प्रकृति का अनुभव कराया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे कुल 68 अशासकीय एवं 80 शासकीय प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया। अभिनव प्रयास के तहत विभिन्न वनमंडलों के 80 वन रक्षकों को प्रेरक के रूप मे कार्य करने हेतु प्रथम बार प्रशिक्षण दिया गया जो कार्यक्रम की सफलता का एक बड़ा कारण बना। विद्यार्थियों को सम्पूर्ण एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु शिविरों मे प्रेरक / समन्वयक / संरक्षकों ने अतुल्य योगदान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे मार्गदर्शन हेतु श्री रमेश कुमार गुप्ता (प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख), श्री पुष्कर सिंह, (प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ), श्री जे. एस चौहान (प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी), श्री अतुल जैन (प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनु. वि.एवं लो.वा.), श्री सुनील अग्रवाल (प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा), श्री असीम श्रीवास्तव (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन), श्री चितरंजन त्यागी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास), श्री अतुल श्रीवास्तव (प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना) द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे विषय विशेषज्ञ के रूप मे श्री सुहास कुमार (से.नि. प्रधान मुख्य वन संरक्षक), श्री नारायण व्यास (विशेषज्ञ पुरातत्व विभाग), श्री एच. एस. मोहंता (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन II), श्री योग चिन्मय दत्त (Active Member in ATOAI), श्री एस वाघमारे (वनस्पति विशेषज्ञ), श्री ए. के. खरे (वानिकी विशेषज्ञ), डॉ. समीता राजोरा (मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईकोपर्यटन विकास बोर्ड) ने गंतव्य स्थल कठौतिया मे अपना विशेष योगदान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम व पैनल परिचर्चा के कुछ पल

फील्ड प्रशिक्षण के कुछ पल

क्षेत्र में उपस्थित अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरकों के साथ-साथ क्षेत्र संचालक / संचालक/मुख्य वन संरक्षक/ वनमंडलाधिकारी को संरक्षक एवं उप वनमंडलाधिकारी/वन परिक्षेत्र अधिकारी को समन्वयक की पहचान देते हुए "अनुभूति बैज" का वितरण किया गया। विद्यार्थियों की इस कार्यक्रम के प्रति रुचि बढ़ाने एवं वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु ईकोपर्यटन बोर्ड द्वारा बेहद आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक अनुभूति पुस्तक प्रकाशित की गई जो हर प्रतिभागी को उपलब्ध कराई गई।

इस वर्ष **माननीय वन मंत्री एवं वन बल प्रमुख** के निर्देशों पर **मिशन लाइफ** और छात्रों को **प्रो-प्लैनेट पीपल** बनाने की दिशा मे 21 कर्तव्यों की जानकारी दी गई। मिशन लाइफ का विद्यार्थियों तक संदेश पहुचाना और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने हेतु प्रेरित कर संकल्पित भी किया गया। प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि मिशन लाइफ पी-3 मॉडल, यानी प्रो प्लेनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस अवधारणा को **डॉ कुं विजय शाह माननीय वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन** द्वारा भी प्रदेश में अनुसरण करने हेतु संकल्पित किया गया। उनके द्वारा विद्यार्थियों तक वनों एवं वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धन एवं मिशन लाइफ के उद्देश्यों का संदेश एक पाती के रूप मे प्रेषित किया गया। **माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, प्रधान मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, प्रबंध संचालक म.प्र राज्य लघु वनोपज संघ एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा** द्वारा भी अनुभूति शिविरों मे भाग लिया गया और भूरी-भूरी प्रशंसा की गई। शिविरों मे उत्साहवर्धन हेतु स्थानीय सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हुये। एक अनुभूति कार्यक्रम मे **श्री गगन नारंग, अन्तरराष्ट्रिय शूटर** भी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड (मध्यप्रदेश शासन वन विभाग)
LiFE
Lifestyle for Environment
LiFE
LIFESTYLE FOR ENVIRONMENT
#LiFE #ProPlanetPeople
#Anubhuti
Pro Planet People (P3)
LiFE
LIFESTYLE FOR ENVIRONMENT
#LiFE #ProPlanetPeople
#Anubhuti

डॉ कुं विजय शाह माननीय वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा विशेष पहल कर आशीर्वाद स्वरूप अनुभूति कार्यक्रम मे सम्मिलित विद्यार्थियों के नाम प्रेषित संदेश पाती मे विद्यार्थियों एवं देश के भविष्य को पर्यावरण संरक्षण के पावन कार्य में हाथ बँटाने के लिए आमंत्रित किया गया।

उनके द्वारा पाती मे विद्यार्थियों के लिए सरल गतिविधियाँ बताई जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पौधे लगाना, और बिजली बचाना जिससे वे पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। पर इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि विद्यार्थी न सिर्फ इन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएँगे, बल्कि अपने घरवाले व साथी सखियों को भी इनके बारे में बताकर उन्हें अपनी तरह प्रो प्लैनेट पीपल बनाने मे सहायक बनें।

शिविरों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियां जैसे चित्रकला, रंगोली, नौका विहार, जंगल सफारी, वन्यप्राणी एवं वन से संबंधित क्विज़, इत्यादि आयोजित की गई जिससे विद्यार्थियों मे पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता विकसित हो। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जानकारियां विभिन्न पारंपरिक एवं नूतन खेलों के अभिनव प्रयोगों के माध्यम से प्रदान करते हुए उन्हे शिक्षित किया गया।

शिविरों में स्थानीय सामग्री एवं वनोपज से निर्मित वस्तुओ के महत्व को बताते हुए वनधन केंद्रों तथा स्व सहायता केंद्रों द्वारा बनाए गए वनोपज के उत्पादों जैसे महुए के लड्डू, चिक्की, बिस्किट, आंवला केंडी, जैम, अचार, आदि शिविरों मे उपयोग किये गए। शिविरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु पारंपरिक सामग्री जैसे दोना पत्तल, कुल्हड़ आदि का उपयोग किया गया।

विद्यार्थियों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने एवं उसकी जगह अनसिले कपड़े से बैग बनाने तथा उपयोग करने, पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स से चिड़ियों का घोंसला बनाना, अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों से पौधे लगाने हेतु गमला बनाना आदि, पर्यावरण को क्षति न पहुचाते हुए सामग्री का उपयोग और निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

शिविरों मे जीवन और पारिस्थितिक तंत्र का परिचय, मिट्टी की जानकारी, जड़ प्रणाली और पेड़ों के घटक और जड़ी-बूटियों, वन्यजीवों, कीड़ों, सरीसृपों के बारे में रोचक जानकारी, जंगली जानवरों के संकेतों की जानकारी और उनके महत्व की जानकारी देते हुए प्रकृति मे पारिस्थितिक प्रणाली की व्याख्या की गई।

वर्ष 2022-23 मे निर्धारित लक्ष्य क्षेत्रीय अधिकारियों के कुशल निर्देशन मे पूर्ण किया गया एवं मध्यप्रदेश की भावी पीढ़ी को वनों से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया ।

अनुभूति कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्त्रोत माननीय वन मंत्री जी

क्या आप जानते हैं?

मध्यप्रदेश को देश में 'भेड़िया प्रदेश' का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में भेड़ियों की संख्या लगभग 772 है।

इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रचार प्रसार

1. 17 वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इंदौर - इकोपर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं प्रचार प्रसार करने हेतु विभिन्न स्थलों एवं कार्यशालाओ मे बोर्ड द्वारा स्टॉल लगा कर अगुंतकों को इकोपर्यटन स्थलों एवं गतिविधियों से अवगत करने का प्रयास किया गया। दिनांक 08-10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस, इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लाल बाघ मैदान, इंदौर में इकोपर्यटन विकास बोर्ड का स्टाल लगा कर अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों एवं आगंतुक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को इकोपर्यटन की विशेषता एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। डॉ कुं विजय शाह, माननीय वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन के अतुल्य योगदान एवं मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल बनाया जा सका। उक्त कार्यक्रम मे गिनी देश के प्रधान मंत्री श्री इरफान अली एवं सूरीनाम देश के राष्ट्रपति श्री चान साँटोकी ने भी इकोपर्यटन स्टॉल पर आकर वन विभाग की मुख्य गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने इको विकास समिति सदस्यों द्वारा गंतव्य स्थलों पर संचालित साहसिक गतिविधियों एवं अनुभूति कार्यक्रम आदि की प्रशंसा की। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सुश्री उषा ठाकुर, पर्यटन मंत्री म.प्र शासन ने स्टॉल पर आकर समस्त गतिविधियों की सराहना की एवं वन विभाग के कार्यों को सराहा।

डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री जी, म.प्र. शासन

सुश्री उषा ठाकुर, माननीय पर्यटन मंत्री जी, म.प्र. शासन

श्री इरफान अली, माननीय प्रधान मंत्री जी, गिनी

श्री चान साँटोकी, माननीय प्रधान मंत्री जी, सूरीनाम

2. 8 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शिनी, भोपाल - इसी प्रकार दिनांक 21 - 25 जनवरी 2023 को 8 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शिनी, भोपाल में आयोजित की डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री जी, म.प्र. शासन गयी जिसमे वन विभाग ने स्टाल के माध्यम से जीवाश्म के बारे में जानकारियाँ आगंतुकों से साझा की गई। उक्त प्रदर्शिनी मे धार जिले से संबंधित डाइनासोर जीवाश्म, डाइनासोर की हड्डियों, डाइनासोर के अंडे, शार्क के दांतों के जीवाश्म, पेड़ों के जीवाश्म, आदि प्रदर्शित कर समस्त प्रतिभागियों को उन्हे छूने का अवसर देते हुए जानकारियाँ प्रदान कर उनके ज्ञान की वृद्धि की गई।

क्या आप जानते हैं?

मध्यप्रदेश को देश में 'घड़ियाल प्रदेश' का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में घड़ियालों की संख्या लगभग 1800 है।

"कृषि वानिकी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला

"कृषि वानिकी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजना सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा दिनांक 12/4/2023 को म.प्र. के भोपाल शहर में आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री जे.एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव, वन के मुख्य आतिथ्य एवं श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के विशेष आतिथ्य में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 140 प्रतिभागी उपस्थित रहे जिनमें म०प्र० वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, क्षेत्रीय शासकीय सेवक, बांस शिल्पकार, उद्यमी एवं गैर शासकीय संस्थानों के सदस्य, टिम्बर ऐसोशिएसन के अध्यक्ष एवं प्रदेश के विभिन्न वृत्तों से आये जागरूक कृषक सम्मिलित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलन एवं अतिथियों के स्वागत उपरांत श्रीमति राखी नंदा, वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया गया।

श्री जे.एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव, वन द्वारा प्रदेश में वनावरण बढ़ाने तथा इकोसिस्टम को बनाये रखने हेतु गैर वन क्षेत्रों में कृषि वानिकी के माध्यम से कृषकों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु उन्हें प्रेरित करने पर जोर देते हुए कार्यशाला के आयोजन की सराहना की तथा कार्यशाला में उपस्थित वनाधिकारियों, कृषकों, उद्यमियों, शिल्पकारों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को कृषि वानिकी के सरलीकरण एवं स्पष्ट नीति बनाने हेतु अपने अमूल्य सुझाव देने का आव्हान किया।

इस अवसर पर श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वनक्षेत्र से बाहर गैर वन क्षेत्रों में वनावरण को बढ़ाने आवश्यकता पर बल दिया।

श्री अतुल जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी द्वारा कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश के सामाजिक वानिकी वृत्तों की रोपणियों का आधुनिकीकरण, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन में सामाजिक वानिकी वृत्तों की रोपणियों की आत्म निर्भरता तथा सामाजिक वानिकी वृत्तों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार व लोक वानिकी के माध्यम से "कृषि वानिकी" योजना को जन सामान्य तक पहुँचाए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया। डॉ. पी.सी. दुबे, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कृषि वानिकी के संबंध में नीतिगत स्तर पर कृषि वानिकी का स्पष्ट एवं सफल मॉडल तैयार किए जाने वाले प्रयासों पर सुझाव दिया। कृषि वानिकी के सरलीकरण, कृषि वानिकी के उत्पादों को इंडस्ट्री से जोड़ने एवं स्पष्ट नीति तैयार करने की जोर दिया है ताकि प्रगतिशील एवं छोटे किसान भी अपनी निजी भूमि पर कृषि वानिकी को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें और सामूहिक पौधा रोपण कर कार्बन क्रेडिट योजना का भी लाभ प्राप्त कर सकें।

श्री आर.ओ. खण्डियार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा कृषि वानिकी को रेशम उत्पादन से जोड़ने का सुझाव दिया गया जिससे कम लागत में कृषकों को अधिक लाभ होगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा रेशम उत्पादन की दिशा में उठाये गये कदम तथा कम समय में कृषकों को होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर गैर वन भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण सम्बंधित पत्रिका का विमोचन किया गया।

इस कार्यशाला में उपस्थित श्री राजेश राय, वन संरक्षक, रीवा,श्रीमती ननिता बैरी, साइंटिस्ट एण्ड हेड, फॉरेस्ट एक्सटेंशन डिव्हीजन, टी.एफ.आर.आई. जबलपुर, श्री पी.एन. मिश्रा, वनमण्डलाधिकारी देवास,श्री गौरी शंकर मुकाती, ओरियंटल पेपर मिल के प्रतिनिधि श्री अजय, श्री जी.एस. मिश्रा, एस.एफ. आर.आई. जबलपुर, श्री बदर आलम, अध्यक्ष, टिम्बर

एसोसिएशन, श्री सुशांत तिवारी एवं श्री देव मुखर्जी द्वारा कृषि वानिकी के क्षेत्र में बेहतर विकास, कृषि वानिकी के सरलीकरण एवं कृषि वानिकी के संबंध में कृषकों में जागरूकता हेतु तकनीकी सुझाव दिये।

कार्यशाला में सामूहिक परिचर्चा हेतु 3 समूहों का गठन किया गया जिन्होने म.प्र. कृषि वानिकी मॉडल, विपणन की संभावनाएं, कृषि वानिकी वर्तमान विस्तार, परिदृश्य, चुनौतियां एवं नीतिगत समाधान विषय चर्चा कर अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

कार्यशाला में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि व कृषकों के बीच व्यापक, विविध व गंभीर मंथन हुआ व सभी की ओर से "कृषि वानिकी " में नए आयाम तक मध्य प्रदेश को पहुँचाने हेतु प्रयास किए जाने पर बल दिया गया।

वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने, कृषकों की आय में बढ़ोत्री, कार्बन क्रेडिट, पर्यावरण संतुलन व सतत् कृषि हेतु "कृषि वानिकी" अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सार्थक संवाद द्वारा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषकों के प्रश्नों के उत्तर दिए व नियमों में हुए बदलावों के विषय में अवगत कराया। "कृषि वानिकी" के सफल मॉडल्स द्वारा कृषकों को प्रोत्साहित किया गया। उद्योग - कृषक के बीच संवाद कार्यशाला के माध्यम से संभावित किया गया।

सीमित संसाधन, वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव, नियमों व नीति में अस्पष्टता, असंगठित बाजार के कारण "कृषि वानिकी का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया है। कार्यशाला के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। नीति निर्धारण हेतु आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा कर नियमों के सरलीकरण पर बल दिया गया। कृषकों में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण व ऑन फील्ड डेमो, मृदा अनुरूप प्रजाति चयन एवं नवाचार द्वारा कम भूमि पर अधिक उपज कृषि वानिकी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आवश्यक है कि शासकीय विभाग, कृषक, उद्योग व नागरिक समाज कदम से कदम मिलाकर "कृषि वानिकी" द्वारा सुजलाम, सुफलाम भविष्य की ओर गतिशील हो।

सी. एस. आर. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा प्रदाय करने हेतु आयोजित कार्यकम

अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी शाखा, मध्यप्रदेश, वन विभाग

अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी शाखा, मध्य प्रदेश, वन विभाग एवं पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा प्रदाय करने हेतु अहमदपुर रोपणी, भोपाल में दिनांक 22 जून 2023 को कार्यकम आयोजित किया गया। पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड भोपाल म0प्र0 द्वारा सी०एएस0आर0 के अंतर्गत टिगरिया ग्राम पंचायत में आने वाले 5 ग्राम टिगरिया, आमचाकला, मियापुर, गोपालपुर, आमचाखुर्द में निवासरत 220 परिवारों को प्रति परिवार 50 पौधे रोपण हेतु दिये जा रहे है। इस प्रकार लगभग 6,000 पौधे वर्षाऋतु 2023 में रोपित हो सकेंगे। पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. फंड के तहत 5 लाख, रामका माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 50 हजार एवं नेशनल एनर्जी एण्ड ट्रेडिंग सर्विसेस लिमिटेड द्वारा 3 लाख रुपये का चैक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल को ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा प्रदाय हेतु दिया गया।

इस कार्यकम में डॉ.पी.सी.दुबे, (भा.व.से) सेवा निवृत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डॉ. पी. के. सिंह, (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी, म.प्र, श्री एच.सी. गुप्ता (भा.व.से) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी, म.प्र., श्री चन्द्र मोहन ठाकुर (भा.प्र.से) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव (भा.व.से.) सेवा निवृत्त मुख्य वन संरक्षक, श्रीमति राखी नंदा (भा.व.से.) वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल, श्री हेमंत प्रताप सिंह (रा.व.से.) सहायक वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल, श्री प्रवीन किशन कोटा, कार्यकारी संचालक, पॉवर मेक, प्रा. लि.. नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसिस लि0 के प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत टिगरिया के ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरूआत श्रीमती राखी नंदा (भा.व.से.) वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, भोपाल द्वारा सम्माननीय अतिथियों के स्वागत से करते हुए परिचात्मक उद्बोधन में corporate social responsibility / (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व) की महत्वता के विषय में बताया गया व निजी संस्थानों द्वारा की गयी इस पहल की सराहना की। श्रीमती राखी नंदा द्वारा बताया गया कि यह एक मील का पत्थर है जिससे पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीणों का जीवन संवर्धन किया जा सकता है।

अपने संबोधन में श्री प्रवीण किशन कोटा ने बताया कि उनकी संस्थान पर्यावरण संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। उनका लक्ष्य 5 लाख पौधे रोपित करने का है, जिसमें से 6,000 पौधे आज ग्रामीणों को प्रदाय किये जा रहे है। उन्होने बताया कि वन विभाग से इसी प्रकार समन्वय स्थापित कर आगे भी ऐसे कदम उनके द्वारा उठाये जाते रहेंगे।

तदोपरांत डॉ.पी.सी.दुबे, (भा.व.से.), सेवा निवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस अनुकरणीय पहल को प्रोत्साहित किया गया। श्री दुबे द्वारा यह मंशा जताई गई कि शासकीय एवं निजी संस्थाओं को साथ आकर वनाच्छादन के प्रयास करते रहने चाहिए। उनके द्वारा श्री एच.सी. गुप्ता (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल) को उनके अथक प्रयासों से इस पहल को सफल बनाने पर बधाई दी गई।

श्री चन्द्र मोहन ठाकुर (भाप्ररो. उप सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोड द्वारा डॉ. पी.सी. दुवे (से.नि. भाण्व० से०) एवं श्री एच.सी. गुप्ता (अ.प्र.मु.व.सं.) के प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने उल्लेखित किया कि मिशन लाइफ एवं अंकुर अभियान के माध्यम से वन विभाग द्वारा कई साथक कदम उठाए गए हैं। सी.एस. आर. में वनीकरण के प्रयासों को सराहते हुए इस अनूठी पहल को भविष्य में दोहराते रहने का आव्हान किया।

श्री पी.के. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल द्वारा पर्यावरण में पौधों की महत्वता व भू-रासायनिक चक एवं पोषक चक में पौधों की प्रधानता के विषय में विस्तार से बताया गया। श्री सिंह द्वारा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने हेतु नवाचार एवं इस प्रकार के कदमों को बढ़ाने हेतु प्रयास करने की मंशा जाहिर की गई। उन्होंने बताया कि सभी जीवित एवं निर्जीव कारक एक दूसरे से जुडे हुये हैं, जिसको समझना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्वलिखित पुस्तक “पर्यावरण एक समग्र दृष्टिकोण" में इस संबंध में विस्तृत उल्लेख किया है।

उदबोधन उपरांत श्रीमती राखी नंदा, वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा ग्रामीणों को पौधा रोपण करने तथा जीवन पर्यन्त तक उसका रखरखाव एवं सुरक्षा करने की शपथ दिलाई गयी।

श्री एच.सी. गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने धन्यवाद ज्ञापन में डॉ पी. सी. दुबे द्वारा अनुसंधान एवं विस्तार वानिकी के लिये किये गये प्रयासों कि प्रशंसा की गई। श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण के कारण ऐतिहासिक स्थल उदयगिरी के चारों ओर आज हरियाली है, जो कभी बंजर भूमि हुआ करती थी। इस पहल के माध्यम से भीमबेटका के चारों ओर हरियाली स्थपित हो सकेगी जो स्थल की सुंदरता में और निखार लायेगी। आज आवश्यकता है कि पर्यावरण को जीवन का अभिन्न अंग बनाया जावे ग्रामीणों को फलधारी पौधे प्रदाय किये गये है, जिससे पर्यावरण बहतर होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिये आजीविका के नये अवसर खुलेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात सम्मानीय अधिकारियों, पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि0 के प्रतिनिधियों द्वारा पौधों से भरी 2 गाडियों को हरी झंडी दिखाते हुये उन्हे रवाना किया गया।

यह एक अभूतपूर्व दिन है जब शासकीय एवं निजी संस्थाएँ साथ खडे होकर ग्रामीणों की "वन लक्ष्मी" को बढावा दे रहे है। ऐसे ही भविष्य में कई अन्य कदम साथ लिये जावेंगे, इसी आशा के साथ कार्यकम समाप्त किया गया। अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. अंतर्गत सामाजिक वानिकी वृत्तों द्वारा मध्यप्रदेश में यह पहला प्रयास है।

ISO प्रमाणित प्रदेश की पहली रोपणी

बांसापुर, इकाई सीहोर, सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल

सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल अंतर्गत संचालित " रोपणी - बांसापुर", जो प्रदेश में आधुनिक व उच्च तकनीकों का प्रयोग करते हुए दुर्लभ व विलुप्तप्राय पौधे की तैयारी एवं संवर्धन के लिए जानी जाती है, को हाल ही में ISO मानकीकरण से सम्मानित किया गया है ।

ISO (International Organization Standarization) y Quality standard Certificate जो किसी कंपनी, व्यवस्था या उद्योगों को दिया जाता है।

ISO - मानक का प्रमाणन अंतिम रूप से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हुए यह प्रमाणित करता है, कि औपचारिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा है।

सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल की " रोपणी - बांसापुर" को ISO - प्रमाणन दो क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है।

- ISO : 9001-2015 - Quality Management System (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) एवं
- ISO : 14001-2015- Environment Management System (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली)

ISO-9001 एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम (QMS) की आवश्यकताओं कों निर्दिष्ट करता है। ISO-9001 दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त मैनेजमेंट सिस्टम स्टेण्डर्ड है, यह स्टेण्डर्ड आज की आवश्यकताओं व प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और संगठन को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रमाणीकरण हेतु रोपणी - बांसापुर प्रबंधन के उच्चतम स्तरों का पालन करते हुये समस्त मापदंडों को पूरा करती है, यथा -

- रोपणी को विधिवत् तरीके से 25 सेक्टरों में विभक्त कर विधिवत् तरीके से पौधों का सुनिश्चित किया गया।
- समस्त कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाता है।
- पौधों की सिंचाई अत्याधुनिक तरीके से माइकोस्प्रिंकलर व फॉगर से की जाती है।
- रोपणी में स्थायी रुप से रह रहे श्रमिकों हेतु उच्चतर आवासों के साथ मूलभूत सुविधाएं दी जाती है।
- पौधों का अभिलेखीकरण व अनुश्रवण समय - समय पर संधारित किया जाता रहता है।
- रोपणी अधोसंरचना अंतर्गत मिस्ट चेम्बर, पॉली हाउस, ग्रीन नेट हाउस, जैविक खाद निर्माण यूनिट, बीज स्टोर रुम, मृदा परीक्षण केन्द्र, सीड ट्रीटमेंट प्लेटफार्म इत्यादि का प्रबंधक, उपयोग व रखरखाव उच्चतम स्तर का रखा जाता है।
- बीज संग्रहण गोदामीकरण, रखरखाव, प्रमाणीकरण एवं अभिलेखीकरण सतत् रुप से होता है।
- समय समय पर वानिकी विषयों में प्रशिक्षु वन अधिकारियों का प्रशिक्षण भ्रमण तथा स्थानीय समन्वय में रोपणी की भागीदारी रहती है।
- संपूर्ण रोपणी के प्रबंधन एवं आधुनिकीकरण को सी. सी. टी. व्ही. कैमरों की दृष्टि से भी संयोजित किया जाता है।

ISO 14001-2015 उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन एवं वन संवर्धन में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया है। रोपणी बांसापुर में 10 से अधिक RET प्रजातियों को तैयार किया जा रहा है, जो कि दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों को विकसित करने की दिशा में प्रयास है।

साथ ही वर्मीकम्पोस्ट एवं जीवामृत का प्रयोग कर रोपणी में मिशन लाइफ अंतर्गत जैविक रखरखाव का पालन किया जा रहा है।

वर्ष 2022 में ही प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण जो SFRI (State Forest Research Institute) द्वारा किया गया, उसमें रोपणी - बांसापुर को बेहतर प्रबंधन, रखरखाव व उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों की तैयारी के साथ - साथ अधोसंरचनाओं हेतु "Five Star " (पांच सितारा) रोपणी के रुप में चयनित किया गया है।

जून 2023 में रोपणी प्रवास के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय व वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता ने इस उपलब्धि हेतु हर्ष व्यक्त करते हुए लोकवानिकी एवं अनुसंधान विस्तार प्रमुख श्री पी.के. सिंह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल प्रमुख श्रीमति राखी नंदा, वन संरक्षक सहित उनकी टीम को बधाईयां प्रेषित की।

बीज जीन बैंक स्थापना के माध्यम से मध्य भारत के वन आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण

मनीष कुमार विजय, नीलू सिंह और नितिन कुलकर्णी

भावाअशिप - उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्यप्रदेश

वनो को, सतत विकास के लक्ष्य को साकार करने की अपार क्षमता को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडे के केंद्र में रखा गया हैं। वन ना केवल पौधों बल्कि जन्तुओं, सूक्ष्मजीवों और उनसे जुड़ी आनुवंशिक विविधता का भी संरक्षण करते हैं। दुनिया भर में सामूहिक रूप से विविध वनों में 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियाँ, 80 प्रतिशत उभयचर प्रजातियाँ, 75 प्रतिशत पक्षी प्रजातियाँ और 68 प्रतिशत स्तनधारी प्रजातियाँ पायी जाती हैं। सभी संवहनी पौधों का लगभग 60 प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता हैं । वन स्थलीय जैविक विविधता के सबसे महत्वपूर्ण भंडार हैं और वे दुनिया भर के लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

आनुवांशिक विविधता बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों को जीवित रहने, अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। वन आनुवांशिक संसाधन (Forest Genetic Resources), किन्ही दो पीढीयों के वृक्षों के मध्य एक विरासत योग्य संसाधन हैं, जो न केवल विविध वनों के लचीलेपन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के विशाल वास्तविक और संभावित मूल्य भी हैं। वन आनुवांशिक संसाधनों को जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ये उन्नत किस्मों, क्लोन और एक संकर के विकास के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम करते हैं, इसलिए वृक्ष सुधार कार्यक्रम को जारी रखने के लिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है। वन आनुवांशिक संसाधन, जैविक विविधता के अन्य घटकों की तरह अभूतपूर्व दर से घट रहे है। जलवायु परिवर्तन के आज के चल रहे युग को देखते हुए एवं मानव जाति के लाभ के लिए जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण घटक को सही ढंग से प्रलेखित एवं संरक्षित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, बीज संरक्षण हमारे पौधों के जैविक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जलवायु परिवर्तन और कोरोना का प्रकोप को देखते के बाद मानव जाति के वर्तमान और भविष्य के अस्तित्व में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की प्रासंगिकता को पहचानते हुए, कई संगठन, संस्थान और व्यक्ति दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में रुचि लेने लगे हैं। बीज जर्मप्लाज्म के साथ सबसे बडी समस्या यह है कि समय के साथ वह अपनी गुणवत्ता खो देते है। बीज के जीवित रहने की अवधि विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग-अलग होती है और यह बीजों की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ बाहरी कारकों जेसे बीज की नमी, भंडारण कक्ष का तापमान, रोगों और कीटों की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। भंडारण क्षमता के आधार पर बीजों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, रूढ़िवादी (Orthodox) और पुनर्गठित (Recalcitrant)। रूढ़िवादी बीज कम नमी तक सुखने में सक्षम होते हैं, ठंड के तापमान पर संग्रहीत और जीवित रहते हैं। पुनर्गठित बीजों को एक पारंपरिक फ्रीजर में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे - 20 डिग्री सेल्सियस पर जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः बीजों की व्यवहार्यता बनाये रखने के लिये स्व-स्थाने संरक्षण (In-situ) और पूर्व-स्थाने (Ex-situ) संरक्षण दो व्यापक दृष्टिकोण हैं। आईसीएआर-एनबीपीजीआर को कृषि के लिए स्वदेशी और विदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों (Plant Genetic Resources) के अधिग्रहण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य

करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न फसल सुधार कार्यक्रमों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके पादप आनुवंशिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना है। कृषि और बागवानी प्रजातियों के विपरीत, वन आनुवांशिक संसाधनों का जर्मप्लाज्म या तो पूरे देश में बिखरा हुआ है या अत्यंत विशिष्ट स्थानों तक सीमित है, जिससे अनुसंधान एवं संरक्षण कठिन हो जाता है। आईसीएआर के विपरीत, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर वन आनुवंशिक संसाधनों का कोई संरक्षक नहीं है। इस पर विचार करते हुए एवं जलवायु परिवर्तन के दोर में वन आनुवंशिक संसाधनो के संरक्षण के लिए प्रयास करना अनिवार्य हो गया है।

चित्र 1 : वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए केम्पा वितपोषित राष्ट्रीय परियोजना के तहत निर्मित दीर्घकालिक शीत भंडारण कक्ष (तापमान -181°C)

चित्र 2 : वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए केम्पा वितपोषित राष्ट्रीय परियोजना के तहत निर्मित मध्यावधि शीत भंडारण कक्ष (तापमान रेंज 51°C)

देश के वन क्षेत्र के 21 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर फैले होने के कारण, एफजीआर प्रलेखन, संग्रहण, बीज संरक्षण, लक्षण वर्णन और क्षेत्र जीन बैंक निर्माण के लिए 10 - वर्षीय कार्यक्रम (2018-2028) के तहत दो चरणों में (प्रथम चरण 2018-2023 द्वितिय चरण 2023-2028) इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को विभिन्न भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के रिजनल संस्थानों पर करने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। राष्ट्रीय केम्पा से स्विकृति उपरान्त प्रथम चरण (2020-2025) के माध्यम से उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में परियोजना के हिस्से के रूप में मध्य भारत (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य) में पाई जाने वाली 65 प्राथमिकता वाली आर.ई.टी (Rare, Endangered and Threatened) प्रजातियों, जिनका सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है, की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका हैं। पहचान की गई प्रजातियों के वितरण मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, और सापेक्ष घनत्व (आरडी) के आधार पर बीज संग्रह और संरक्षण के लिए बीज स्रोत आबादी की पहचान की जा रही है। बीज संरक्षण के लिए सक्रिय और आधार संग्रह के लिए मध्यम अवधि और दीर्घकालिक दोनों शीत भंडारण सुविधाओं का निर्माण कर बीज संरक्षण किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव के कारण वन विविधता में भारी कमी के वर्तमान परिदृश्य के तहत, यह पूरी गतिविधि मध्य भारत के वन आनुवांशिक संसाधन की व्यापक सूची तैयार करने, महत्वपूर्ण वन आनुवांशिक संसाधनों के बीज जर्मप्लाज्म विविधता के संरक्षण और सतत विकास पर सीबीडी (Convention on Biological Diversity) के विजन 2050 और यूएन 2030 एजेंडा को भी प्राप्त करने में भी सहयोग करेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के अंतर्गत प्रदत्त जनहानि/जनघायल/पशुहानि/ पुशघायल क्षतिपूर्ति राशि

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के द्वारा वन्यप्राणियों से जनहानि/ जनघायल/ पशुहानि/ पुशघायल होने पर राहत राशि) क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने हेतु यह सेवाएँ शामिल की गई है। जिसके तहत वन्यप्राणियों से जनहानि होने पर 03 कार्य दिवस, जनघायल होने पर 07 कार्य दिवस एवं पशु हानि तथा पशु घायल होने पर 30 कार्य दिवस में राहत राशि प्रभावित लोगों को भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक /5-3/2007/80-2 दिनांक 10.12.2022 से सेवा क्रमांक 10.1 वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 (रूपये चार लाख) से बढ़ाकर 8,00,000 (रूपये आठ लाख) एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायत्र किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

वन्यप्राणियों द्वारा स्थाई अपंगता / जनघायला पशुहानि / पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक / 5- 3/2007/0-2 दिनांक 29.04.206 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान यथावत किया जा रहा है।

वन्यप्राणी द्वारा स्थायी अपगंता होने पर - रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- तक रहेगी)

सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणी द्वारा घायल होने पर - घायल व्यक्ति के इल्लाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल मे भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- तक होगी)

सेवा क्रमांक 10.3 वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि (वन्यप्राणी द्वारा) - राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार।

वन्यप्राणी द्वारा पशु घायल - वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशु हान हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि हेय होगी।

विगत 03 वर्षों मे वन्यप्राणियों से जनहानि। जनघायल / पशुहानि / पशुघायत्र प्रकरणों एवं उपरोक्त प्रकरणों में किये गये भुगतान कि जानकारी निम्नानुसार है।

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि	जनघायल प्रकरण	राशि	पशुहानि प्रकरण	राशि
2019-20	51	20030838	1190	8736774	9760	88330916
2020-21	90	32788407	1273	9550946	12948	97206733
2021-22	59	23549446	1083	9906724	14579	117485216

कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टायगर रिजर्व में गौर का सफलतापूर्वक स्थानांतरण

कान्हा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2074 वर्ग कि.मी. है जिसमें साल एवं मिश्रित वनों के अलावा विशाल घास के मैदान भी है। मध्य भारत में पाये जाने वाले प्रारूपिक वन्यप्राणियों एवं इनके आवास स्थानों के उत्तम एवं प्रभावकारी वैज्ञानिक संरक्षण के अतिरिक्त कान्हा अतिसंकटग्रस्त प्रजाति बाघ तथा मध्य भारतीय बारासिंघा (ब्रेडरी बारासिंघा) के कुशल प्रबंधन हेतु विश्व विख्यात है। बाघ, तेन्दुए, जंगली कुत्ते जैसी मांसाहारी वन्यप्राणी प्रजातियों के अलावा यहाँ स्तनधारी वन्यप्राणियों की लगभग 43 प्रजातियाँ, सरीसृप की 27 एवं पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पायी जाती हैं। टाइगर रिजर्व में कोर एवं बफर जोन वनमंडल है। इसके अतिरिक्त कान्हा टाइगर रिज़र्व के अधीनस्थ एक वन्यप्राणी अभयारण्य सेटेलाइट मिनी कोर फेन अभ्यारण्य (110.74 वर्ग कि.मी.) भी है।

मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों का एक प्रभावकारी नेटवर्क है एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के अंतर्गत समय - समय पर विभिन्न प्रबंधकीय कारणों से वन्यप्राणियों का स्थानांतरण करना आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में गौर की आबादी विकसित करने की परियोजना तैयार की गई।

गौर पुर्नस्थापन के उदेश्य

वन्यप्राणी पुर्नस्थापन का मुख्य उदेश्य किसी भी प्रजाति को उस स्थान पर दोबारा से बसाहट करना है जहाँ से वह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है तथा उस प्रजाति का उस वनक्षेत्र में पूर्व में पाये जाने का इतिहास रहा है। गौर पुर्नस्थापन हेतु आई.यू.सी.एन. द्वारा मार्गदर्शिका/दिशा-निर्देश निर्धारित की गई है। इस दिशा-निर्देशों का अनुसरण पूर्ण करने के पश्चात ही किसी प्रजाति का पुर्नस्थापन किया जाता है। अतः किसी भी प्रजाति के जीवंत संख्या को पुर्नस्थापित करने हेतु कार्यकम में निम्न उदेश्यों का समाहित किया जाता है।

- किसी भी प्रजाति के लंबी अवधि तक जीवित रहना।
- मूल तत्व प्रजाति (कीस्टोन स्पेसिज) का पुर्नस्थापन।
- प्राकृतिक आवास स्थल एवं जैव-विविधता का बहाली करते हुये बनाये रखना।
- लम्बे समय अवधि तक आर्थिक लाभ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बनाये रखना। संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।

विगत् वर्षों में एक महत्वकांक्षी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों एवं वन्यप्राणी चिकित्सकों के मार्गदर्शन में तथा मध्यप्रदेश वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा 50 गौर को सफलतापूर्वक पुर्नस्थापन किया गया था। वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापित किये गये गौर की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई हैं।

लम्बे अंतराल के बाद वर्ष 2021 में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व से 35 एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 15 गौर वन्यप्राणियों को संजय टाइगर रिजर्व, सीधी में स्थानान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। गौर पुनर्स्थापन करने की परियोजना म.प्र. शासन वन विभाग के पहल पर भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार की गई थी। चूंकि संजय टाइगर रिजर्व, सीधी में गौर के लिए बहुत अच्छे प्राकृतिक आवास स्थान उपलब्ध हैं। पूर्व के अनुभवों का लाभ लेते हुये मध्यप्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं स्कूल ऑफ वाइल्ड लाईफ फोरेसिंक एंड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के वन्यप्राणी चिकित्सकों के सहयोग से 01 जून, 2023 से 07 जून, 2023 के मध्य 28 गौर (7 नर एवं 21 मादा) को विशेष रूप से निर्मित किये गये परिवहन ट्रक द्वारा को कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक पुर्नस्थापन किया गया। वर्तमान प्रक्रिया पूर्णतः भारतीय विशेषज्ञों / चिकित्सक दलों द्वारा किया गया। भारतीय गौर अपने नैसर्गिक आवास स्थल में अपने सामाजिक समूह के साथ जीवन-यापन करते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में गौर की संख्या लगभग 5000 है एवं इनके एक समूह में औसतन 15 से 20 जानवर होते हैं।

गौर पुनर्स्थापन के पूर्व तैयारी

गौर पुनर्स्थापन की कार्यवाही काफी समय पूर्व से ही करना प्रारंभ कर दिया गया था। जिसके अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व में विशेष स्ट्रेचर के साथ लगभग 25 सदस्यों की टीम को गौर के भार के अनुरूप लगभग 1000 कि.ग्रा. वजन उठाने एवं स्ट्रेचर पर रखकर परिवहन वाहन तक पहुचाने का अभयास कराया गया। गौर के विभिन्न समूहों को पहचान कर एवं उनके भ्रमण की जानकारी प्रतिदिन संबंधित कर्मचारी द्वारा मुख्यालय के अधिकारियों को दी गयी एवं उन पर लगातार निगरानी की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक द्वारा गौर के विभिन्न समूहों का स्वास्थ्य अवलोकन एवं उनके फीकल सेंपल को संग्रह कर परजीवी की जाँच हेतु स्कूल ऑफ वाइल्डलाईफ फोरेसिंक एंड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को भेजा गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के हाथी गश्ती दल द्वारा गौर के समूह में हाथी प्रविष्ट कराकर गौर समूह में स्थिरता प्रदान करने हेतु अभ्यस्थ कराया गया जिससे की गौर केप्चर करने में आसानी हो सकें।

गौर परिवहन में उपयोग किये जाने वाले विशेष वाहनों को कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व तक पूर्व अभ्यास कराया गया एवं इस मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न ठहराव स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। इस मार्ग में आने वाले वनमंडलों के संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को निर्धारित गौर पुनर्स्थापन तिथि से पूर्व आवश्यक सहयोग देने हेतु मुख्यालय से पत्राचार एवं दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया। गौर केप्चर के दौरान उपयोग में किये जाने वाले समस्त तकनीकी उपकरण एवं वाहनों आदि का पूर्व अभ्यास सुनिश्चित कराया गया। गौर के शारीरिक वजन हेतु तौल मशीन एवं आवश्यक उपकरण की वयवस्था भी सुनिश्चित की गई।

वास्तविक केप्चर ऑपरेशन

ग्रीष्मकाल के माह जून में दिन के समय अत्यधिक तापमान होने के कारण गौर केप्चर का समय प्रातःकाल 5.00 बजे से 9.00 बजे तक की अवधि निर्धारित की गयी। इस हेतु सभी दलों को प्रात 4.00 बजे से ही केप्चर स्थल पर पहुचने हेतु निर्देशित किया गया। गौर के समूह की पहचान एवं उनके भ्रमण की जानकारी केप्चर तिथि के एक दिवस पूर्व ही तय की जाती थी ताकि निर्धारित केप्चर तिथि एवं समय

पर सभी दलों के साथ-साथ गौर परिवहन वाहन, रिकवरी वाहन, स्ट्रेचर दल, हाथी अनुश्रवण दल को निर्धारित समय पर एकत्र कर गौर केप्चर की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकें। गौर केप्चर दल में निम्नानुसार दल एवं उनके कर्तव्य सुनिश्चित किये गये। उक्त दलों द्वारा निम्नानुसार कर्तव्यों को निर्वहन किया गया :

- गौर के समूह को पहचान करने एवं उनकी संख्या का सहीं आकलन कर केप्चर दल को अवगत कराना।
- गौर के केप्चर स्थल का आकलन करना एवं मुख्यतः समतल भूमि का चयन करना एवं जलस्त्रोत से दूरी रखना आवश्यक होता है। उक्त आदर्श स्थिति का अवलोकन करने पश्चात ही गौर केप्चर ऑपरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।
- गौर के केप्चर स्थल पर सभी कर्तव्य दलों एवं वाहनों को रवाना करना।
- केप्चर करने हेतु डार्टिंग टीम एवं सहयोगी दल को हाथी द्वारा गौर के समूह के समीप पहुँचकर डार्टिंग करना।
- गौर के बेहोश हो जाने उपरांत उसके शारीरिक अवस्था को ठीक करना एवं गौर के आखों को कपड़े से ढकना तथा गौर के मुह में स्थित चारे एवं लार की सफाई कर सिर को पकड़कर सही अवस्था में पकड़े रहना।
- वन्यप्राणी चिकित्सक दल द्वारा गौर के बेहोशी के दौरान आक्सीजन सप्लाई की वयवस्था बनाये रखना।
- वन्यप्राणी चिकित्सक दल द्वारा गौर केप्चर हेतु उपयोग की गयी डार्ट को सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकालना एवं डार्ट किये गये स्थान पर घांव का एंटी-बायोटिक दवा एवं मल्हम द्वारा उपचार करना।
- स्कूल ऑफ वाइल्डलाईफ फोरेसिंक एंड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर दल द्वारा गौर के शारीरिक नमूनों का संग्रह एवं उनकी जांच मौके पर एवं कान्हा स्थित प्रयोगशाला में की गई एवं अन्य जांच हेतु सेंपल को स्कूल ऑफ वाइल्डलाईफ फोरेसिंक एंड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर प्रयोगशाला में भेजा गया। वन्यप्राणी चिकित्सक दल द्वारा गौर के शारीरिक नाप तौल, स्वास्थ परीक्षण, तापमान, श्रव्सन गति, हृदय गति का अनुश्रवण कर गौर को स्ट्रेचर दल द्वारा रिकवरी वाहन / परिवहन वाहन में स्थानांतरण करना।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा गौर के अनुश्रवण हेतु रेडियों कॉलरिंग एवं पहचान हेतु गले में विभिन्न रंगों युक्त पट्टे का पहनाया जाना।
- गौर के परिवहन पूर्व वन्यप्राणी चिकित्सक दल द्वारा आवश्यक ट्रेंकुलाइजर्स / सिडेटिव को दिया जाना ताकि परिवहन के दौरान गौर शांत अवस्था में अपने निर्धारित स्थल पर सुगमता से छोड़े जा सकें।

- गौर को आवश्यक सर्पोटिव दवा एंटी-बायोटिक्स, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरलर्स, एंटी एलर्जिक, एंटी स्लावेशन एवं तरल द्रव्य दवाओं द्वारा गौर को सुरक्षित रूप से परिवहन स्थल तक सुगमता से छोड़े जाने की वयवस्था करना।
- स्टैचर दल के निर्धारित गौर बेहोशी स्थल तक पहुँचने हेतु मार्ग में पड़ने वाले वनस्पति की साफ-सफाई करना एवं गौर को परिवहन वाहन तक बिना किसी बाधा से सुगमता से पहुँचाना।
- स्ट्रेचर दल के साथ वाटर स्प्रे दल द्वारा गौर के शारीरिक तापमान को नियत्रित करते हुये बेहोशी अवस्था से होश आने की अवस्था तक तापमान को अनुकूल बनाये रखना एवं परिवहन वाहन में स्थित वाटर फोगर्स/ वाहन में लगे हुये पंखे के अतिरिक्त बाहर से लगाये गये पंखों द्वारा गौर के शारीरिक तापमान को अनुकूल बनाये रखना।
- गौर केप्चर ऑपरेशन के दौरान समस्त दलों के आकस्मिक उपचार हेतु एम्बुलेंस एवं प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सकीय दल का केप्चर स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया।
- उक्त सभी दवाओं के प्रयोग उपरांत गौर को परिवहन वाहन में स्थानांतरण कर एंटीडोट दवा द्वारा गौर को परिवहन वाहन के चेम्बर में खड़े करना एवं लकड़ी / केटलप्रोडर (लो-वोल्टेज डी.सी. करेंट स्टिक) की सहायता से गौर को परिवहन वाहन के पिछले चेंबर से अगले चेबंर तक पहुँचाना।
- उपरोक्त प्रक्रिया को प्रत्येक गौर के केप्चर हेतु पालन किया गया एवं निर्धारित संख्या 3-5 होने के पश्चात ही एक परिवहन वाहन में स्थांनातरित कर वाहन को संजय टायगर रिजर्व हेतु प्रस्थान कराया गया।
- परिवहन वाहन को यात्रा के दौरान ठंडा रखने हेतु वाहन के छत के ऊपर स्पंज के गद्दों को बांधा गया एवं उक्त गद्दों पर निश्चित समय उपरांत आवश्यकतानुसार पानी से भिगोकर ठंडा रखा गया।
- परिवहन दल द्वारा गौर के परिवहन की सूचना संबंधित वनमंडलों के अधिकारी / कर्मचारियों को पूर्व से निर्धारित रूट चार्ट के अनुरूप दी गई इस हेतु सभी के मोबाइल नंबर एकत्र कर वाट्सएप ग्रुप बनाया गया एवं सबंधितों को अपनी वाहन की लोकेशन साझा करने हेतु निर्देशित किया गया एवं मार्ग में आवश्यक जल वयवस्था, चारा वयवस्था, यातायात खुला रखने की वयवस्था हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों का सहयोग लिया गया।
- परिवहन दल के साथ वन्यप्राणी चिकित्सक दल द्वारा गौर के स्वास्थ्य का लगातार अनुश्रवण किया गया। अंतः गौर को संजय टायगर रिजर्व में बनाये गये विशेष बाड़े में तत्काल छोड़ा गया।
- दिनांक 23 जून 2023 को विशेषज्ञों के परामर्शनुसार कान्हा टायगर रिजर्व से पुर्नस्थापित किये गये 28 गौर को संजय टायगर रिजर्व के बाड़े से बाहर निकालकर खुले वनक्षेत्र में स्वतंत्ररूप से विचरण करने हेतु मुक्त किया गया। उक्त गौर के अनुश्रवण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के अनुसंधानकर्ता दलों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही हैं।
- गौर केप्चर ऑपरेशन की संपूर्ण प्रकिया की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी तथा अन्य जानकारियों को प्रपत्रों में प्रविष्ट किया गया।

संपूर्ण प्रबंधकीय गौर केप्चर कार्रवाई श्री जे. एस. चौहान, भा.व.से., प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल के नेतृत्व एवं मार्ग-दर्शन में तथा श्री सुनील कुमार सिंह, भा.व.से., क्षेत्र संचालक, कान्हा टायगर रिजर्व के कुशल समन्वयन में पूर्ण की गई। इस सम्पूर्ण केप्चर कार्रवाई में निर्धारित चिकित्सीय एवं ट्रांसलोकेशन प्रोटोकाल के अंतर्गत

श्री पुनीत गोयल, भा.व.से., उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, डॉ. पराग निगम, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञ, डॉ. संदीप अग्रवाल एवं डॉ. अखिलेश मिश्रा, कान्हा एवं पेंच टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक एवं प्रकृतिविदों तथा कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारी / कर्मचारी सम्मिलित रहें।

आशा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व भेजे गये गौर के इस सामाजिक समूह की संतति में भविष्य में उत्रोत्तर वृद्धि होगी तथा आने वाले समय में पर्यटकगण/प्रकृति प्रेमी इनके दर्शन का भी आनंद उठायेंगे।

प्रथम पक्षी सर्वेक्षण 2023
संजय दुबरी टाईगर रिजर्व सीधी

विन्ध्य एवं कैमोर पर्वत श्रंखला के मध्य विस्तारित साल वनो के बीच सदनीरा बनास, गोपद, उमराडी, महान आदि नदियों का कलकल प्रवाह चमत्कृत करते प्रकृति के अद्भुत दृश्यो से सुसज्जित संजय टाईगर रिजर्व सीधी म०प्र० के उत्तर पूर्वी भू भाग में सफेद बाघ मोहन की जन्मस्थली यद्वपि कोइ परिचय का मोहताज नही है, तथापि इसके प्राकृतिक सौन्दर्य का रसास्वादन एवं बाघो के चपलता के मनोरम दृश्यो का आनंद विरले ही कर सके है। टाईगर रिजर्व तक पंहुचने के असुविधाजनक मार्ग एवं रिजर्व के समीप आधारभूत सुविधाओं का आपेक्षित विकास न होना इसका प्रमुख कारण है ।

Scaly Thrush
PC: Dinesh Dhanani

River Lapwing
PC: Shanjeev Shende

Tiaga Flycatcher
PC: Anand Bora

संजय दुबरी टाईगर रिजर्व बाघो एवं शाकाहारी वन्यजीवो के अतिरिक्त प्रकृति के रंगो के वाहक अनिगिनत पक्षियों का भी आश्रय स्थल एवं कर्मस्थल रहा है। वर्ष 2023 में संजय दुबरी प्रबंधन द्वारा पक्षियो के वास्तिवक स्तर के प्रति बेहतर समझ विकसित करने हुए पक्षी सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया। मैदानी अमले तथा प्रबंधन को बेहतर तकनीकी ज्ञान तथा पक्षियो ब्यवहार की समझ को साझा करने हेतु वाइल्ड लाइफ नेचर कर्जवेंसी (गैर लाभ आधारित स्वैछिक आशासकीय संगठन) इन्दौर का सहयोग प्राप्त किया गया। इस संस्थान को विगत कई वर्षो से संरक्षित क्षेत्रो में पक्षी सर्वेक्षण का बेहतर अनुभव तथा विभाग के साथ पूर्व वर्षो में किये गये सर्वेक्षण कार्यो के आधार पर सहयोगी संस्था के रूप में इस सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया । 16 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक प्रथम पक्षी सर्वेक्षण कार्य आरम्भ के साथ जैव विविधता के सहेजने के प्रयासो के रूप में एतिहासिक रहा। जब सर्पण देश में विभन्न व्यवसायों से संबद्ध 62 पक्षी विशेषज्ञ / प्रकृति अन्वेषण उत्साही साथियों द्वारा 33 दलो में विभक्त होकर संजय टाईगर रिजर्व के पक्षी समृद्धता का सर्वेक्षण किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत 16 मार्च 2023 को बड़काडोल गेट में तथा सर्वेक्षण समापन 19 मार्च 2023 को किया गया ।

सम्पूर्ण सर्वेक्षण डब्ल्यू. व्ही.सी. (W.V.C) आशासकीय संगठन इन्दौर द्वार समन्वय / डाटा संकलन का कार्य सफलता पूवर्क किया गया। टाईगर रिजर्व के मैदानी अमलो द्वारा इन समूहो में शामिल होकर 03 दिवस पक्षियो के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान व अभिरूचि प्राप्त की गई ।

संजय टाईगर रिजर्व द्वारा इस सर्वेक्षण अभियान में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को मात्र आवास/वाहन व्यवस्था कराई गई। इस दृष्टि से बिना किसी अतिरिक्त बजट / व्यय के उपलब्ध संशाधनो से ही संजय दुबरी टाईगर रिजर्व का प्रथम पक्षी सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया ।

प्रथम सर्वेक्षण में पूरे टाईगर रिजर्व में 240 पक्षी प्रजाति की उपस्थिति प्राप्त हुई । सर्वाधिक देखे गये पक्षियों में यलो थ्रोटेड स्पैरो, जंगल बावलर, रोज रिंग पैराकेट प्रमुख रहे जबकि बूटट्रेड ईगल, ब्लैक स्टार्क, सिनरस वल्चर, प्वांइट बैक वल्चर देखे गये पक्षी रहे। इस पूरे सर्वेक्षण में 17 प्रजाति ICUN श्रेणी की पाई गई है ।

सम्पूर्ण सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्रीय अमले को विभिन्न प्रदेशो से आये अन्वेषको के साथ जुडाव नये उर्जा भरने तथा अवलोकन में गहराई तथा दक्षता के वृद्धि प्रदाय करने के रूप में सफल रहा। सभी प्रतिभागियों द्वारा प्लास्टिक मुक्त सर्वेक्षण तथा स्थानीय / देशी (मिलेट) खाद्य के समावेश का टाईगर रिजर्व के प्रयासो की सराहना की गई। सभी प्रतिभागियों द्वारा संजय दुबरी टाईगर रिजर्व में बिताये गये समय उनके लिये यादगार पल के रूप में अभिव्यक्त करना / सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्यक्रम की सफलता की सुखद परिणति रहे ।

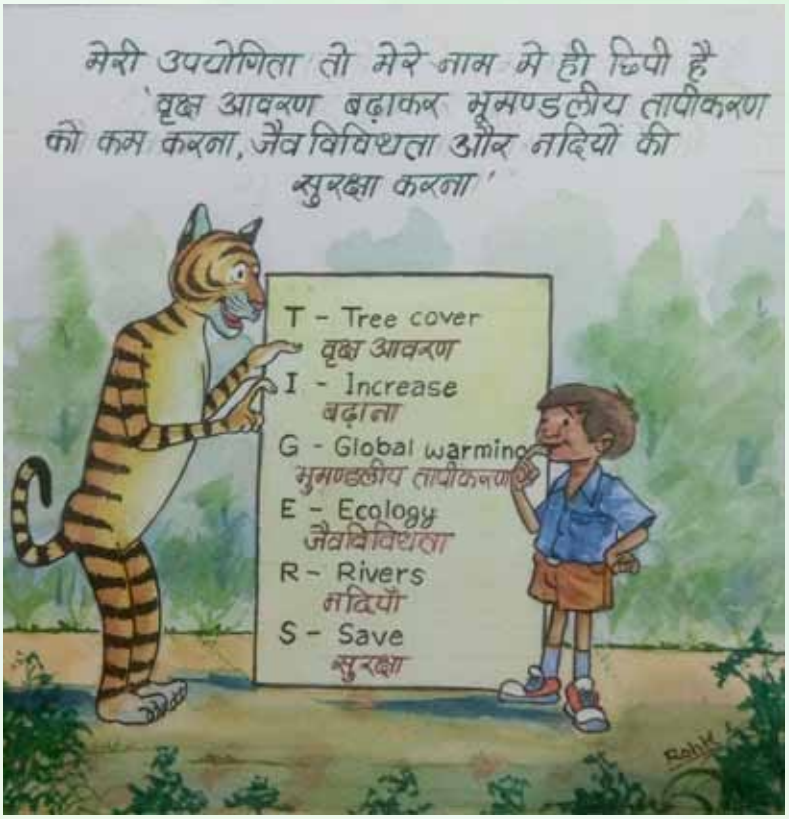

अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी सम्मेलन

यह सम्मेलन मध्यप्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 से 29 अप्रैल तक कान्हा टाईगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी सम्मेलन का शुभारम्भ दिनांक 27.04.2023 को किया गया। वन विभाग एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वधान में "वन्य जीव संरक्षण: उभरता परिदृश्य एवं भावी रणनीति' विषय पर आयोजित तीन दिनों की इस सम्मेलन में प्रख्यात वन्य जीव विशेषज्ञ पद्म भूषण डॉ. एच.एस. पवार तथा अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया आदि देशों से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 12 वन्यप्राणी विशेषज्ञ सहित कुल 250 प्रतिभागियों सम्मिलित हुये ।

इस अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री ढालसिंह बिसेन, माननीय सांसद विधान सभा क्षेत्र बालाघाट की उपस्थिति में डॉ० कुंवर विजय शाह, मान्नीय मंत्री, वन मध्यप्रदेष शासन की अध्यक्षता में दीप प्रज्जवलन कर सम्मेलन का शुभारम्भ किया गया । इस कांफ्रेस में श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा समस्त उपस्थित माननीय गणों का स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत श्री जे. जे. दत्ता सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल की ओर से पधारे उनके पुत्र केप्टन सैबल दत्ता एवं पद्म भूषण डॉ. एच. एस. पवार का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों पर श्री जसबीर सिंह चैहान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन की अगली कड़ी में श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल, श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव (वन) म.प्र. शासन, डॉ० रामाकान्त पाण्डे, श्री ढालसिंह सिंह बिसेन, माननीय सांसद, संसदीय क्षेत्र बालाघाट, डॉ. कुवर विजय शाह, मान्नीय वन मंत्री, म.प्र. शासन द्वारा क्रमबद्ध अपना-अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश शासन श्री मंगूभाई पटेल एवं मान्नीय मुख्य मंत्री जी द्वारा डुमना एयरपोर्ट जबलपुर से इस सम्मेलन को विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित किया गया तथा वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में सम्मेलन में उपस्थित वन्यप्राणी विशेषज्ञों को विशेष रूप से जोड दिया गया। अंत में डॉ. वाय. व्ही. झाला, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वन्यप्राणी विशेषज्ञ द्वारा सम्मेलन में उपस्थित अधिकारीयों को विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन में वन्यप्राणी प्रबंधन, संरक्षण एवं पुनर्वास तथा प्रदेश और देश में एक आदर्श पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए विशेषज्ञों, शोधकर्ता और वानिकी पेशेवरों द्वारा वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन, वन्यजीव आवास पारिस्थितिकी, वन्यजीव नीति के मुद्दे एवं चुनौतियाँ तथा मानव वन्यजीव संघर्ष और शमन उपाय जैसे तकनीकी विषयों पर शोधपत्र एवं वक्तव्य प्रस्तुत किये गये, जिनके निष्कर्षों पर वन्यप्राणी प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्वास पर भविष्य की रणनीतियाँ और नीतियाँ तय की जायेंगी।

सम्मेलन के विषय

1. वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन
2. वन्यजीव आवास पारिस्थितिकी
3. वन्यजीव नीति के मुद्दे और चुनौतियाँ
4. मानव वन्यजीव संघर्ष और शमन उपाय

यह सम्मेलन मध्य प्रदेश वन विभाग, भोपाल के वन्यप्राणी शाखा और राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

परिचयात्मक सत्र

श्री अमिताभ अग्निहोत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, श्री जे.एस. चैहान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र., श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र., श्री जे. एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव (वन) म.प्र. शासन, डॉ. रमाकांत पांडा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, पद्म भूषण श्री एच. एस. पंवार, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, माननीय सांसद बालाघाट, श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन एवं भावी रणनीति पर अपने विचार व्यक्त किया गया।

डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन द्वारा अपने उद्बोधन में पर्यावरण का संतुलन बनाये रखन हेतु वृक्षारोपणों में सागौन प्रजातियों के साथ-साथ मिश्रित प्रजातियों का भी रोपण किये जाने पर जोर दिया, क्योंकि लोगों और पशु-पक्षियों का जीवन सागौन के अलावा अन्य प्रजातियों से प्राप्त जंगल की लघु वनोपज पर ही निर्भर है। उनके द्वारा सप्ताह में एक दिन वन विभाग के कर्मचारियों के बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पार्क में भ्रमण कराने हेतु सुझाव दिये गये। उन्होंने वनों के अंदर विभिन्न वन्यप्राणियों के लिये जल स्त्रोतों के निर्माण पर भी बल दिया।

श्री शिवराज सिंह चैहान, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन द्वारा अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि कान्हा में प्रोजेक्ट टाइगर म.प्र. ने 50 वर्ष और राज्य में वानिकी अनुसंधान ने 100 वर्ष पूरे कर लिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अब तक 203 गांवों का विस्थापन किया जा चुका है, जिससे 70 हजार हेक्टेयर वन भूमि वन क्षेत्र में शामिल हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च घनत्व वाले वनों में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लगभग 4600 किमी' से बढ़कर 6400 किमी' हो गया है। आज म.प्र. भारत में 06 टाइगर रिजर्व, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो जंगलों और वन्यप्राणियों के संरक्षण के अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। वन प्राणियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। हमने वन समितियों को सशक्त बनाया है और वह स्वयं प्रतिदिन तीन पौधे लगाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, चीता को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से लाया गया है। स्थानीय विनाश के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ को सफलतापूर्वक फिर से लाया गया है।

मुरैना के चंबल अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण का काम चल रहा है. बांधवगढ़ में गौर या इंडियनबाइसन का पुनरुद्धार कार्य किया जा रहा है। घड़ियालों एवं गिद्धों का प्रभावी ढंग से संरक्षण किया जा रहा है। राज्य पक्षी पैराडाइज फ्लाईकैचर के संरक्षण पर सफल कार्य किया गया है। मप्र वन विभाग हर साल 4.5 करोड़ पौधे लगाता है। राज्य सरकार वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कृतसंकल्पित और प्रतिबद्ध है।

श्री मंगूभाई पटेल, महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश ने अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। माननीय राज्यपाल ने वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कान्हा में आयोजित इस 03 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव सम्मेलन के निष्कर्षों और अनुशंसाओं से वन्यजीवों को बेहतर तरीके से संरक्षित और संरक्षित करने की रणनीति बनेगी।

सम्मेलन के विभिन्न 04 विषयों के तकनीकी सत्र में निम्न विषयों पर पैनल द्वारा चर्चा की गई :

1. **वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन** के अंतर्गत भारत में वन्यजीव आबादी के प्रबंधन की आवश्यकता, जनसंख्या प्रबंधन में भारतीय अनुभव विभिन्न सत्र, संरक्षित क्षेत्रों में जनसंख्या प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव आबादी का प्रबंधन संबंधित विषय ।
2. **वन्यजीव आवास पारिस्थितिकी** के अंतर्गत वन्यजीव आवासों की पारिस्थितिकी और निगरानी, वन्यजीव आवासों का प्रबंधन और बहाली, वन्यजीव पर्यावास पारिस्थितिकी और प्रबंधन में उभरते मुद्दे इत्यादि विषय।
3. **वन्यजीव नीति के मुद्दे और चुनौतियाँ** के अंतर्गत वन्यजीव नीतियां और कानून, संरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में नीति की आवश्यकता, वन्यजीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, घासभूमि मानचित्रण और घासभूमि संरक्षण के लिए रणनीति, संरक्षित क्षेत्र से दूर आतिथ्य क्षेत्रों का स्थल, वन्यजीव संबंधित नीतियां आदि संबंधित विषय ।
4. **मानव वन्यजीव संघर्ष और शमन उपाय के अंतर्गत** एचडब्ल्यूसी की सीमा और शमन उपाय, मानव- वन्यजीव संपर्क और समुदाय, मानव-वन्यजीव संपर्क और संघर्ष शमन उपाय संबंधित विषय ।

समापन सत्र

समापन सत्र में डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन, श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, श्री जसबीर सिंह चैहान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। समापन सत्र में डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री,

म.प्र. शासन ने भी वन्यजीव प्रबंधन में विज्ञान और मानवता दोनों को लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से संघर्षों को कम करते हुए वन्यजीवों की आबादी बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने का आग्रह किया और प्रेरित किया।

इस सत्र में वन्यजीव प्रबंधन में वैज्ञानिक सोच और पद्धति विकसित करने पर, स्थानीय समुदायों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देने की बात पर बल दिया गया। प्रतिभागियों की ओर से प्रख्यात पत्रकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य श्री अभिलाष खांडेकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

वन विभाग में विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) के अभ्यार्थियों की भर्ती

मध्यप्रदेश चयन मण्डल भोपाल के माध्यम से वनरक्षक 1772, सहायक ग्रेड-3 के 87, स्टेनों टाइपिस्ट- 37 एवं मानचित्रकार के 30 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/ 2019 /आ. प्र. / एक दिनांक 30 मई 2019 द्वारा आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध किये गये है। जिसके तहत यदि आवेदक श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति के तृतीय श्रेणी तथा वनरक्षक (कार्यपालिक) के आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है ।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों में से **वनरक्षक** के अनुसूचित जनजाति के विज्ञापित 373 पदों के विरूद्ध 95 (सहरिया - 16, बैगा - 71, भारिया - 8) एवं **सहायक ग्रेड-3** के अनुसूचित जनजाति के विज्ञापित 26 में से 18 का चयन किया गया है, जिसके विरूद्ध अभी तक श्योपुर - 2 एवं ग्वालियर में - 1 इस प्रकार कुल 03 पीटीजी (तीनों सहरिया) के अभ्यार्थियों की भर्ती माह अप्रैल से जून 2023 के मध्य की गई है ।

वनरक्षक पद पर भर्ती किये गये पीटीजी के अभ्यार्थियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार :-

बालाघाट - 1, बैतूल - 26, सीहोर - 1, रायसेन - 7, श्योपुर - 5, हरदा - 12, झाबुआ - 1 मण्डला - 1, खण्डवा – 14, बुरहानपुर - 3, बड़वानी - 5, सिगरौली - 3, सागर - 6, सिवनी - 4, अनूपपुर - 1, शिवपुरी - 4 एवं देवास में 01 अभ्यार्थी की नियुक्ति की गई है। **सहायक ग्रेड-3** में 03 अभ्यार्थियों की भर्ती की गई है।

उक्त कर्मचारियों को मान. मुख्यमंत्री जी म. प्र. शासन द्वारा दिनांक 30.6.2023 को मुख्यमंत्री निवास में इन्हें नियुक्ति आदेश वितरित किये गये है।

निस्तारण नीति के तहत प्रदेश में निस्तार सुविधा का प्रदाय

1. निस्तार वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक) बंसोड़ / बसोर / बुरूड़ / बासोर / बासोड़ी / बांसफौर / बसार / मान जाति एवं उनकी उपजातियों के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त दर पर प्रदाय किये गये बांसों की जानकारी

प्रदेश में निस्तार वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक) में बंसोड़ / बसोर / बुरूड़ / बासोर / बासोड़ी / बांसफौर / बसार / मान जाति एवं उनकी उपजातियों के 5566 हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त दर पर 760892 नग बांस प्रदाय किये गये जिनका रियायती मूल्य रू. 8888305 था जबकि इन बांसों का बाजार मूल्य रू. 23550712 था । इस प्रकार शासन द्वारा इन समाज के सदस्यों को बाजार मूल्य में लगभग 62 प्रतिशत की रियायत दी गई ताकि इन समाज के हितग्रही अपना जीवनयापन सुगमतापूर्वक कर सकें ।

अ. क्र.	वृत्त का नाम	हितग्राहियों की संख्या	प्रदाय किये गये बांसों की संख्या	रियायती मूल्य (रू.)	बाजार मूल्य (रू.)
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	रीवा	0	0	0	0
2	सिवनी	1402	148868	1859870	4165351
3	छतरपुर	367	0	0	0
4	ग्वालियर	0	0	0	0
5	उज्जैन	0	0	0	0
6	खंडवा	816	46362	881392	1503044
7	बालाघाट	381	120861	1912246	4674737
8	जबलपुर	0	0	0	0
9	इन्दौर	21	1256	36424	62800
10	बैतूल	504	71030	1412350	3054290
11	सागर	98	4336	90731	154965
12	भोपाल	408	272814	35097	55830
13	शिवपुरी	0	0	0	0
14	नर्मदापुरम	905	34632	896949	1574674
15	शहडोल	0	0	0	0
16	छिंदवाड़ा	664	60733	1763246	8305021
योग		**5566**	**760892**	**8888305**	**23550712**

2. निस्तार वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक) में ग्रामीणों (बंसोड़ आदि हितग्राहियों को छोड़कर) को निस्तार में प्रदाय की गई वनोपज की जानकारी

प्रदेश में निस्तार वर्ष 2023 में 30315 ग्रामीणों (बंसोड़ आदि हितग्राहियों को छोड़कर) को 20788 बल्लियां, 403470 नग बांस एवं 41718 नग जलाऊ चट्टे निस्तार में प्रदाय किये गये। इन वनोपजों को रू. 3,28,95,328 की रियायती दर पर ग्रामीणों को प्रदाय किया गया जबकि इन वनोपजों का बाजार मूल्य रू. 7,27,01,431 था । इस प्रकार शासन द्वारा ग्रामीणों को निस्तार नीति के तहत बांस, बल्ली, जलाऊ लकड़ी लगभग 55 प्रतिशत रियायत पर उपलब्ध कराया गया ताकि वनांचलों में रहने वाले ग्रामीण सुविधापूर्वक जीवनयापन कर सकें ।

समस्त राशियां रू. में

अ. क्र.	वृत्त का नाम	ग्रामीणों की संख्या	निस्तार में प्रदाय की गई वनोपज की मात्रा						प्रदाय की गई समस्त निस्तर / वनोपज का	
			बल्ली		बांस		जलाऊ			
			संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	निस्तार मूल्य	बाजार मूल्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	रीवा	292	888	167432	2664	51711	360	593200	812343	1366883
2	सिवनी	3642	309	64725	64540	876924	5332	2245830	3161411	8727717
3	छतरपुर	99	0	0	0	0	105.5	255132	255132	323715
4	ग्वालियर	0	0	0	0	0	15	36383	36383	36383
5	उज्जैन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	खंडवा	105	40	11600	900	99600	0	0	30200	51760
7	बालाघाट	17385	591	51261	228162	4251153	24472	12303224	19061437	37181163
8	जबलपुर	6566	890	72931	23920	450723	9810	4725974	5249828	16495964
9	इन्दौर	14	0	0	9	279	12.5	35560	35839	51250
10	बैतूल	2062	70	19390	78025	1706320	1455	2091280	3816990	7889840
11	सागर	150	0	0	5250	101940	156.5	333825	435765	576756
12	भोपाल	602	68	20795	9370	387865	2615.5	4392907	4801568	8609370
13	शिवपुरी	7	0	0	0	0	16	38578	38578	38883
14	नर्मदापुरम	196	0	0	50	1500	406	155092	156592	1009430
15	शहडोल	1802	1292	180949	0	0	2126	2440059	2621008	4050735
16	छिंदवाड़ा	1512	532	142467	15142	469402	3019	1832087	2436050	6808598
योग		**30315**	**2788**	**387339**	**403470**	**7538650**	**41718.50**	**22620408**	**32895328**	**72701431**

काष्ठ चिरान अधिनियम का सरलीकरण

काष्ठ आधारित उद्योगों एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 में किए संशोधन :

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 में संशोधन करते हुए व्यवस्था दी कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्कण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री-सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी ::" परंतु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो :-

1. चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी
2. ब्लॉक बोर्ड, मीडियम, डेनसिटी फाईबर - बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद ;
3. राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लटठे या इमारती लकड़ी का उपयोग करते हैं, के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

अब नहीं होगी कारावास की सजा

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 में संशोधन करते हुये अधिनियम में निहित प्रावधानों के उल्लंघन हो जाने पर अब कारावास नहीं होगा। अनियमितता होने पर अब केवल अर्थदंड ही होगा ।

साथ ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा - 13 (2) में संशोधन किया गया है- फलस्वरूप किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेजों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों पर अब कारावास की सजा नहीं होगी केवल अर्थदंड का प्रावधान ही होगा ।

म.प्र. राजपत्र 18 अक्टूबर, 2022

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 76 डी के अंतर्गत वन अपराधों की जांच एवं अन्वेषण के संबंध में बनाये गये प्रावधानों का विस्तार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अपराधों हेतु विस्तारित करती है ।

म.प्र. वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वनोपज के निर्बाध परिवहन हेतु ऑनलाइन एन. टी. पी. एस व्यवस्था

म.प्र. वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वनोपज के निर्बाध परिवहन हेतु ऑनलाइन एन. टी.पी.एस व्यवस्था लागू की गयी, यह प्रणाली ट्रांजिट पास को निर्बाध रूप से जारी करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली निजी भूमि / सरकारी / निजी डिपो और अन्य लघु वन उपज से लकड़ी और बांस के अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन के लिए ट्रांजिट पास के रिकॉर्ड की निगरानी और रिकॉर्ड रखने में मदद करती है ।

यह एक भूमिका आधारित और कार्य प्रवाह आधारित एप्लिकेशन है जो डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में उपलब्ध हैं | वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रांजिट परमिट (टीपी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा कर सकते । ई-भुगतान प्रणाली: टी. पी. डाउनलोड करने से पहले मोबाइल एप /वेब पोर्टल के माध्यम से भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है । लकड़ी, बांस और अन्य लघु वनोपज के लिए बिना भौतिक रूप से वन कार्यालयों में गए ट्रांजिट पास जारी करने में तेजी आएगी। मैनुअल पेपर आधारित ट्रांजिट सिस्टम को ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम में बदला जा सकता हैं । व्यापार करने में आसानी के लिए लकड़ी और बांस के पारगमन के लिए पूरे भारत के लिए एक परमिट की सुविधा प्रदान की जा रही हैं । मोबाइल ऐप की मदद से मूल स्थल से गंतव्य स्थल तक राज्य की सीमाओं पर निर्बाध आवाजाही हो सकेगी । परमिट प्राप्त करने और वन जांच चौकियों पर लकड़ी और बांस उत्पादकों, किसानों और ट्रांसपोर्टरों की कठिनाइयों को रोका जा सकता हैं । कृषि वानिकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

आज दिनांक तक प्रणाली मे 2998 आवेदन प्राप्त हो चुके है जिसमे से 2095 टी. पी. जारी की जा चुकी है, 392 टी.पी. पेंडिंग है एवम् 201 टी. पी. आवेदन निरस्त किए जा चुके है ।

वन सुविधा प्रणाली

वन भूमि और संसाधनों की बढ़ती मांग, आवास की कमी, चारे की कमी आदि के परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। सरकार ऐसे संघर्ष के मामलों के लिए पीड़ित को अनुग्रह राशि प्रदान करती रही है। इस तरह के दावों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा "वन सुविधा" मोबाइल ऐप और वेब एप्लिकेशन विकसित और तैनात किया गया है। एंड्रॉइड ऐप निरीक्षण अधिकारी को संघर्ष के कारण हुए नुकसान की तस्वीरों और जियो टैगिंग के साथ मानव - पशु संघर्ष की घटना के विवरण को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। वेब इंटरफेस में कार्य प्रवाह के माध्यम से दावों के प्रसंस्करण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाती है। समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुग्रह राशि की गणना आवेदन के माध्यम से की जाती है और स्वचालित ओ.एम. उत्पन्न होते हैं। प्रक्रिया को एसएमएस सेवा के साथ भी एकीकृत किया गया है ताकि आवेदक को उसके दावे की प्रगति की स्थिति के बारे में स्वचालित एसएमएस भेजा जा सके।

मानव संसाधन विकास शाखा के अंतर्गत किये गये कार्य

1. विभागीय परीक्षा सत्र जुलाई 2022 एवं जनवरी 2023 का सफल आयोजन कराया गया ।
2. विभागीय परीक्षा सत्र जुलाई-अगस्त 2023 आयोजित कराये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है ।
3. दिनांक 01.05.2022 से 30.06.2022 तक 06 माह प्रशिक्षण प्रदेश के चार वन विद्यालयों (बालाघाट, पचमढ़ी, शिवपुरी एवं अमरकंटक) में सफलता पूर्वक पूर्ण कराया गया।
4. दिनांक 01.11.2022 से 30.04.2023 तक बिहार राज्य के 600 वनरक्षियों को प्रदेश के 09 वन विद्यालयों में 06 माह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कराया गया ।
5. प्रदेश में प्रशिक्षण हेतु शेष रह गये वनरक्षकों को 06 माह के प्रशिक्षण 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ किये जा चुके हैं ।

6. बिहार राज्य के 300 वनरक्षियों को प्रदेश के चार वन विद्यालयों (बालाघाट, बैतूल, शिवपुरी पचमढ़ी एवं अमरकंटक) में 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ किये जा चुके हैं।
7. सीधी भर्ती से चयनित सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपालों का 18 माह का प्रशिक्षण माह मई 2022 में सफलता पूर्वक पूर्ण कर प्रदेश में पदस्थिति कराई जा चुकी है।
8. कार्यालय प्रबंधन विषयो पर मुख्यालय स्तर में 02 दिवसीय एवं वृत्त स्तर पर 02 दिवसीय एवं 05 दिवसीय प्रशिक्षण का सफल आयोजन कराया गया ।

9. वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में वनपालों का 01 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक प्रशिक्षण का सफल आयोजन कराया गया ।

10. सेवारत भा.व.से. के अधिकारियों के लिये अनिवार्य प्रशिक्षण 02 दिवसीय एवं 05 दिवसीय में लगभग 150 एवं रा.व.से. के 25 अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया ।

11. भा.व.से. प्रशिक्षण सत्र 2011 - 13 से 2020-22 के वेतन एवं स्वत्वों का भुगतान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू. 2,98,53,457 /- का भुगतान कराया गया।

12. वित्तीय वर्ष 2022 - 23 एवं 2023-24 में प्राप्त बजट से समस्त वन विद्यालयों में पदस्थ स्थाई कर्मी एवं अन्य श्रमिकों के वेतन भत्तों हेतु 12 मजदूरी मद में राशि आवंटित की गई।

13. वनरक्षकों हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संचालित किया गया ।

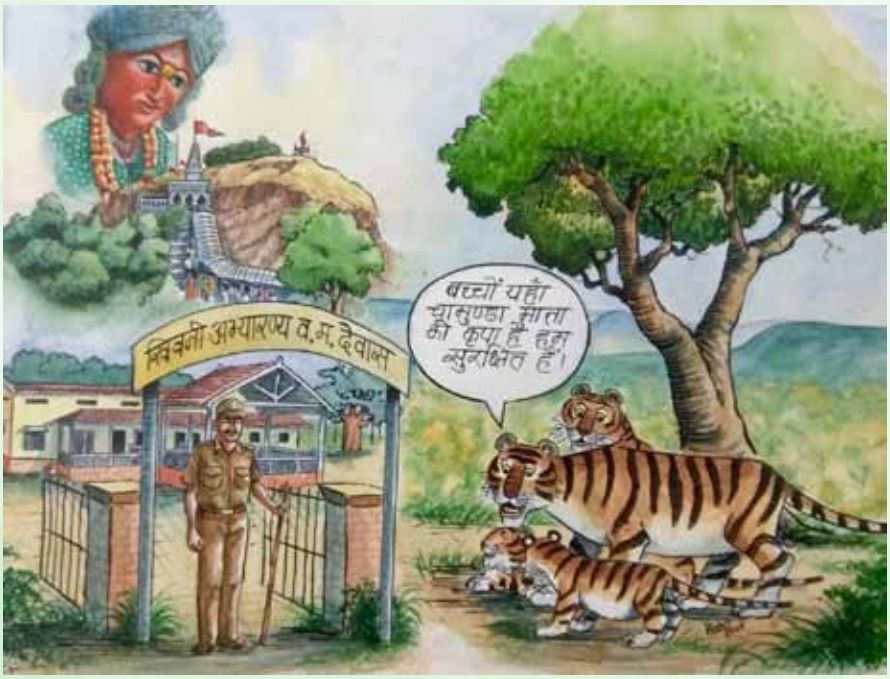

सांस्कृतिक वन मध्य प्रदेश वन विभाग

सांस्कृतिक वन एक संस्कृति - वनस्पति संरक्षण और प्रबंधन के विस्तृत छत्र के तहत एक अवधारणा है, जिसमें संस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और अभ्यासों को वन संरक्षण और प्रबंधन के साथ मिलाया जाता है। इससे संस्कृति और वनों के आपसी आधारभूत संबंध की पहचान होती है और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक विविधता दोनों को संरक्षित करना है। इसके अलावा, यह माना जाता है कि वन सिर्फ लकड़ी का स्रोत ही नहीं हैं, बल्कि यह कई समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी और स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसमें सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत ज्ञान और आदिवासी अभ्यासों की महत्वता को मान्यता दी जाती है जो स्वस्थ पारिस्थितिकी निर्माण और संचालन में सहायता करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों को वन संरक्षण प्रयासों में एकीकृत करके, सांस्कृतिक वन की अवधारणा स्थानीय प्रथाओं, स्थानिक ज्ञान और इन समुदायों की पहचान की संरक्षा करने का प्रयास करती है।

संस्कृति और वन संरक्षण को एकीकृत करने की अवधारणा सामान्य जनता के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। वनों से संबंधित परंपराओं, धार्मिक आयामों और ज्ञान को शामिल करने से, आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों और पहचानें संरक्षित रहती हैं। इससे न केवल सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है बल्कि समुदायों में गर्व और सम्मान की भी बढ़ती है। इसमें सक्रिय समुदाय सहभागिता और संलग्नता शामिल होती है, जिससे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है, विशेष रूप से आदिवासी समूहों को उनके अधिकारों, ज्ञान और वन प्रबंधन में विशेषज्ञता की मान्यता देकर।

यह दृष्टिकोण स्वशासन, निर्णय लेने और वन संसाधनों के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के माध्यम से आत्मनिर्भरता, जीविकोपार्जन और समग्र कल्याण को प्राप्त करता है। आदिवासी समुदायों में अक्सर स्थायी विकसित कटाई तकनीकों, औषधीय पौधों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के बारे में परंपरागत ज्ञान होता है। इस ज्ञान को वनों के प्रबंधन

में शामिल करने से पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य, जैव विविधता और संसाधनों की उपलब्धता की संरक्षा होती है। संस्कृतिक वन अर्थात् संस्कृतिक वनस्पति यात्रा और मनोरंजन गतिविधियों के विकास में सहायता करके स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली आय का स्रोत उत्पन्न कर सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के प्रति व्यक्तियों में सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। संस्कृति और वनों के आंतरिक संबंध को मान्यता देकर, सांस्कृतिक वनस्पति पहल समाज पर अनेक लाभ प्रदान करती है। सांस्कृतिक दृश्यों और लोकांगनों की पहुंच वनस्पति और भूदृश्यों में आराम, आत्मीयता और आध्यात्मिक सुख के लिए अवसर प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग चार मुख्य स्थानों में सांस्कृतिक वन का कार्यान्वयन कर रहा है, जो केवल इको- पर्यटन में मांग रखते हैं बल्कि धार्मिक और विरासत से संबंधित महत्व भी रखते हैं। ये स्थान भोपाल, उज्जैन, चित्रकूट और खजुराहो हैं। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्कृतिक वन भोपाल का उद्देश्य भोपाल की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा करना है, चित्रकूट में श्री राम संस्कृतिक वन का उद्देश्य रामायण से जुड़े आध्यात्मिकता और प्राचीन संस्कृति को मजबूत करना है। वीरासत वन खजुराहो का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा और प्रदर्शन कराना है। महाकाल संस्कृतिक वन उज्जैन का मुख्य उद्देश्य महाकाल लोक को समृद्ध करना है, जो इको- पर्यटन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के साथ ही सार्वजनिक के धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिकता को मजबूत करेगा।

वनमंडल भोपाल के समीप स्थित श्यमा प्रशाद मुखर्जी पार्क मे सांस्कृतिक वन का निर्माण सुरू हो गया है। एक अच्छी तरह से रखरखाव की गई सड़क, रेलवे और स्थानीय परिवहन नेटवर्क यहां रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को किफ़ायती रूप से गतिशीलता प्रदान करने में मदद करती है, जिससे यह व्यापार और यात्रियों दोनों के लिए पसंदीदा स्थान बनता है और पर्यटकों के लिए भी । संस्कृतिक वन का मुख्य उद्देश्य भोपाल की सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण और प्रदर्शन करना है। जबकि संस्कृतिक वन के लिए हस्तक्षेप क्षेत्र 17.4 एकड़ है, परियोजना स्थल का परिधि 2.26 किलोमीटर है। भोपाल में संस्कृतिक वन के माध्यम से पर्यटन के प्रमुख प्रभाव न केवल आर्थिक और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में होंगे, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पर भी होंगे। संस्कृतिक वन में संस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्मृति उद्यान शामिल होंगे - नवग्रह वन, नक्षत्र वन, राशि वन, पंचवटी वन, सप्तर्षि वन, आरोग्य वन और स्मृति वन ।

उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना के कारण, रोजाना 50 से 60 हजार पर्यटकों की भीड़ होती है। महाकाल लोक के उद्घाटन के पश्चात उज्जैन एक सांस्कृतिक ऐवम पर्यटन स्थल के रूप में अपनी आभा बिखेरता है। प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार पर्यटन आते है, इसी अनुक्रम में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की भूमि पर स्थित विक्रम सरोवर के समीप पर वनमंडल उज्जैन के द्वारा 13 हे0 भूमि पर सांस्कृतिक वन ऐवम 1.44 हे0 पर सरोवर के सौदरियकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी अनुक्रम मे द्विपक्षीय अनुबंद विक्रम विश्वविद्यालय ऐवम वन विभाग के मध्य किया जा चुका है। श्री महाकाल सांस्कृतिक वन के अंतर्गत की जाने वाली' गतिविधियां- पंचकोसी, चौरासी महादेव, सप्त सरोवर, सांदिपनि वन, सिंहासन बत्तीसी, मेघदूत वन, अशोक वाटिका, चरक वन, कालिदास अरण्य, संस्कार वन, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वन, भारत माता मंदिर और वास्तु वाटिका हैं।

वनमंडल सतना के समीप चित्रकूट स्थित में श्री राम वन का कार्य शुरू कर दिया गया है जिसमे कार्य का रकबा, 8 हेक्टेयर है। चित्रकूट के धार्मिक महत्तव स्थलों जैसे- रामघाट, हनुमानधारा, कामतनाथ, जनतिकुंड आदि वन परिछेत्र चित्रकूट के संरकछित वन से घिरा हुआ है। यहाँ प्रति वर्ष करोड़ों श्राद्धहलू का आवागमन होता रहता है। श्री राम वन बन जाने से सांस्कृतिक / धार्मिक / पौराणिक महत्तव ऐवम आस्था से जुड़े पौधों / वृक्षों आदि की जानकारी तथा वनविभाग के अन्य गतिविधियों की जानकारी जनमानस तक पर्यावरण के संरछण ऐवम एक्स सीटू कंजरवेसन के साथ पहुचाया जाएगा। यहाँ नवग्रह वन, नक्षत्र वन, पंचवटी वन, श्रीपर्णी वन, आयरोग्य वन और कामदगिरी वन बनाए जाएंगे।

वनमंडल छत्तरपुर में विरासत वन खजुराहो का काम शुरू हो गया है, जिसका पहल उद्देश्य है सांस्कृतिक परिदृश्य का पुनर्गठन कार्य का दायरा खजुराहो के ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास एक थीम आधारित सांस्कृतिक वन परियोजना डिजाइन करना है। चूंकि खजुराहो में साल भर कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, इसलिए यह परियोजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को सर्वोत्तम स्तर पर पूरा करती है। यहां तीन प्रमुख क्षेत्र होंगे - आध्यात्मिक वन, आध्यात्मिक उद्यान, वन और शहरी सामुदायिक क्षेत्र । सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने के लिए विरासत वन, नवग्रह वन, नक्षत्र वन, राशि वन, पंचवटी वन, सप्तऋषि वन और आरोग्य वन की स्थापना की जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आयोजित जैवविविधता कार्यक्रम

1. राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभाग (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं जल संसाधन), जैवविविधता प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। जैवविविधता पुरस्कार अंतर्गत नगद पुरस्कार राशि एवं ट्राफी प्रदान की जाती है।

जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2021

प्रथम पुरस्कार
जैवविविधता प्रबंधन समिति - नगर पालिका,
हामिदपुर जिला - उज्जैन म.प्र.

प्रथम पुरस्कार
सर्वहिताय संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था
जिला - नीमच म.प्र.

राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2021 के विजेतागण

2. अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस

जन सामान्य में जैवविविधता जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) - 22 मई 2022 के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड प्रतिवर्ष सी.बी. डी. द्वारा निर्धारित विषयवस्तु अनुसार जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है । इस अवसर पर प्रदेश में क्षेत्रीय वन ईकाईयो, जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से मैदानी स्तर पर विविध कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रतियोगिता इत्यादि जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ।

राज्य स्तरीय जैवविविधता दिवस कार्यक्रम - 2022 में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.

3. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज़

विद्यार्थियों एवं शिक्षक समुदाय में जैवविविधता शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, लोक शिक्षण संचालनालय एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2019 से जिला एवं राज्य स्तरीय **मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज** का आयोजन वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज 2019

मान. वन मंत्री, डॉ. कुँवर विजय शाह एवं श्री इन्दर सिंह परमार मान. शिक्षा मंत्री द्वारा क्विज़ पोस्टर का विमोचन

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज 2022

जिला हरदा में आयोजित जिला स्तरीय क्विज कार्यक्रम की प्रथम विजेता टीम

क्विज कार्यक्रम में प्रतिभागिता करते छात्र-छात्रायें

4. मोगली बाल उत्सव

जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालयीन छात्र - छात्राओं हेतु विगत 16 वर्षो से मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है । प्रदेश में सोलहवें "राज्य स्तरीय मोगली उत्सव" 2022 का आयोजन पेंच राष्ट्रीय उद्यान, (पेंच टाईगर रिजर्व), जिला सिवनी में दिनांक 18 19 एवं 20 नवम्बर 2022 तक किया गया ।

मोगली बाल उत्सव के दौरान सभी विद्यार्थीयों को अलग-अलग तीन समूहों में विभाजित कर नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट एवं हेबिटेट सर्च, पार्क सफारी एवं चित्रकला तथा जैवविविधता क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन एवं जैवविविधता आधारित प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जाता है।

मोगली बाल उत्सव - 2022

मोगली बाल उत्सव के प्रतिभागी - मोगली मित्र

बोर्ड द्वारा तैयार की गई मोगली स्मारिका एवं मोगली की डायरी पुस्तक का विमोचन (दिनांक 20.11.2022)

5. जैवविविधता प्रशिक्षण सह - कार्यशाला

बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त वनमंडलों में जैवविविधता प्रकोष्ठ के गठन उपरांत व्यापारियों से लाभ प्रभाजन की कार्यवाही संपादित की जा रही है। वनमंडलों के मैदानी अमले हेतु जैवविविधता जागरूकता के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा समस्त वन वृत्त स्तर पर (क्षेत्रीय) जैवविविधता प्रशिक्षण सह - कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ।

जैवविविधता प्रशिक्षण सह - कार्यशाला - इन्दौर (दिनांक 04.08.2022)

जैवविविधता प्रशिक्षण सह - कार्यशाला - छतरपुर (दिनांक 26.08.2022)

6. शहरी जैवविविधता सूचकांक

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी मागदर्शन एवं ICLEI South Asia के सहयोग से प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में सिटी बायोडायवर्सिटी इन्डेक्स (शहरी जैवविविधता सूचकांक) का निर्माण किया गया है। उपरोक्त शहरी जैवविविधता सूचकांक के विमोचन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला "Dissemination Workshop on City Biodiversity Index of Bhopal and Indore" आयोजन दिनांक 15.02.2023 को आर. सी. व्ही. पी. प्रशासन अकादमी, भोपाल किया गया ।

शहर की मूल जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं एवं जैवविविधता का प्रबंधन एवं सुशासन के आधार पर इंदौर एवं भोपाल शहर के शहरी जैवविविधता सूचकांक के कुल अंक 92 में से भोपाल शहर को 44 अंक एवं इन्दौर शहर को 35 अंक प्राप्त हुये।

भोपाल एवं इंदौर शहर का सिटी बायोडायवर्सिटी इन्डेक्स (शहरी जैवविविधता सूचकांक) का निर्माण हेतु कार्यशाला

7. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी कंसर्वेसन

शहरी जैवविविधता संरक्षण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं 'द नेचर वालंटियर्स', इंदौर द्वारा एन. बी.ए चेन्नई व अन्य संस्थाओं के सहयोग से दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी एण्ड कंसर्वेसन का प्रथम आयोजन दिनांक 05 एवं 06 अगस्त 2022 को किया गया। कॉन्फ्रेंस के समापन के अवसर पर शहरी क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण आधारित इंदौर घोषणा पत्र "Indore Declatation on Urban Biodiversity" का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी एण्ड कंसर्वेसन

8. मध्यप्रदेश के दुर्लभ एवं संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी (National Conference on - Lesser-Known Faunal Species of MP)

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं सोसायटी ऑफ नेचर हीलर्स, कंजर्वेशन एंड लोकल टूरिज्म डेवलपमेंट (SNHC), के संयुक्त तत्वाधान में मध्यप्रदेश के दुर्लभ एवं संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी (National Conference on Lesser- Known Faunal Species of MP) का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2023 को श्री जे. एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग के मुख्य अतिथ्य में किया गया।

कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं के विषय - विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से Lesser-Known Faunal Species दुर्लभ एवं कम जंतु की प्रजातियां जैसे- रिवर डॉल्फिन, सरीसृप, छोटे कीटों, इंडियन स्कीमर, फारेस्ट आउलेट, भारतीय भेड़िये, केराकल, बिच्छू, खरमोर, औटर के संबंध में संरक्षण एवं संवर्धन एवं चुनौतियाँ आधारित जानकारी प्रदान की गई ।

National Conference on - Lesser-Known Faunal Species of MP

9. जैवविविधता प्रदर्शनी

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2022 के अवसर पर बोर्ड द्वारा जैवविविधता जागरुकता के उदेश्य से जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से दिनांक 21 एवं 22. 05.2022 को आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रदेश की जैवविविधता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर समितियों द्वारा देशी व पारंपरिक कृषि आधारित बीजों एवं सब्जियों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया।

जैवविविधता प्रर्दशनी का अवलोकन करते हुये श्री अशोक वर्णबाल, प्रमुख सचिव वन एवं श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश

10. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण

जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, जैवविविधता प्रबंधन समितियों के पदाधिकारीगण, पंचायत स्तर के जैवविविधता के सहयोगी विभागों के प्रतिनिधिगण एवं स्थानीय समुदाय में जैवविविधता प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनपद पंचायत स्तरीय जैवविविधता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण

जनपद पंचायत – बैरसिया, जिला भोपाल (म. प्र.) में आयोजित कार्यशाला (दिनांक 12.10.2022)

जैवविविधता प्रबंधन समिति बैठक, ग्राम पंचायत - केवलारी जिला - सिवनी (दिनांक 02.10.2021)

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति (अप्रैल से सितम्बर 2023)

1	श्री कमलेश चतुर्वेदी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
2	श्री व्ही. एन. अम्बाडे (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
3	श्री महेंद्र सिंह धाकड़ (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
4	मो. एच. यू. खान (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (अप्रैल से अगस्त 2023)

1	श्री अजीत के. श्रीवास्तव (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
2	श्री आर. आर. ओखण्डियार (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
3	श्री अतुल कुमार जैन (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
4	श्री सुनील अग्रवाल (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
5	श्री अमिताभ अग्निहोत्री (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
6	श्री एस.पी. शर्मा (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
7	कैप्टन अनिल कुमार खरे (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्त (अप्रैल से अगस्त 2023) .....

8	श्री एच. सी. गुप्ता (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
9	श्री आर. पी. राय (मुख्य वन संरक्षक)	
10	श्री राजीव कुमार मिश्रा (मुख्य वन संरक्षक)	
11	श्री डी. एस. डोडवे (वनमंडलाधिकारी)	
12	श्री राजवीर सिंह (वनमंडलाधिकारी)	
13	श्री ग्रजेश कुमार वरकड़े (वनमंडलाधिकारी)	
14	श्री गरीब दास बरबड़े (वनमंडलाधिकारी)	

अखबारों के आईने में

सरोकार | शासकीय नर्सरी से फलदार, छायादार, सजावटी व औषधीय पौधों का विभिन्न जिलों में हो रहा परिवहन

करजवानी में सोलर ऊर्जा से लहलहा रहे चार लाख पौधे

करजवानी स्थित नर्सरी केंद्र में लगाई जाने वाले पौधे तैयार करते हैं। • नईदुनिया

करजवानी की नर्सरी केंद्र में लगा सोलर पावर। • नईदुनिया

भीमबैठिका के पास 5 लाख पौधे लगाएगा वन विभाग, पहले चरण में 61 हजार लगेंगे

भोपाल | वन विभाग चलाने वाले मोहसमझार फंड के जरिए जंगल के नजदीक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों के नजदीक गांवों में ग्रामसभा और किसानों की जमीनों पर भी प्लांटेशन कराने जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को फलदार और उपयोगी किस्म के पेड़ दिए जाएंगे। पहले चरण में विश्व विरासत स्थल भीमबैठिका के नजदीक औबेदुल्लागंज के पांच गांव चुने गए हैं। जहां 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन गांवों में रिंगनिया, अहमदखेड़ा, भिमापुर, गोपालपुर और आमखाखुर्द शामिल हैं। पहले चरण इस मानसून मौसम में यहां 61 हजार फलदार और उपयोगी पेड़ों के पेड़ लगाए जाएंगे। पांचों गांव के 1220 परिवारों का चयन इसके लिए किया गया है, प्रत्येक परिवार को 50-50 पौधे दिए जाएंगे।

एतिहासिक महत्वपूर्ण जगहों पुरा के मुताबिक यह पहली बार है जब मोहसमझार के जरिए जंगल के बाहर वन विभाग प्लांटेशन करने जा रहा है।

बांसापुर बनी प्रदेश की पहली आईएसओ प्रमाणित रोपणी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

खुदनी/नर्मदापुरम. सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल की पांच सितारा रोपणियों में से खुदनी की एक रोपणी बांसापुर जो प्रदेश में आधुनिक व उच्च तकनीकों का प्रयोग करते हुए दुर्लभ व विलुप्तप्राय पौधों की तैयारी एवं संवर्धन के लिए जानी जाती है। इसे हाल ही में विश्वस्तरीय प्रमाणन आईएसओ से सम्मानित किया है।

उच्च तकनीक रोपणी बांसापुर वन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष तकरीबन 7.5 लाख उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करती है। इसके साथ ही नीलगिरी के मानकीकरण से लेकर वन क्षेत्रों में विलुप्त हो रहे पौधों को भी कुशलता से तैयार कर रही है।

रोपणी बांसापुर

हालांकि में प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण में जहां रोपणी को बेहतर प्रबंधन व उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों की तैयारी व अधोसंरचना हेतु पांच सितारा रोपणी के रूप में चयनित किया गया था, वहीं बेहतर प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान हेतु आईएसओ 9001-2015 व 14001-2015 प्रदान किया गया। 13 जून को रोपणी प्रबंधन के दौरान वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वन बल प्रमुख आलोक गुप्ता ने इसकी सराहना करते हुए सामाजिक वानिकी वृत्त की पूरी टीम को बधाई दी है।

गांधीसागर में गिद्धों के लिए बनेगा वल्चर रेस्टोरेंट, जिले में 4 प्रजातियों के 700 गिद्ध

बागवानी का न्यू ट्रेंड | पौधों के लिए वरदान साबित हो रही क्लोनिंग पद्धति, इंदौर में 50 हजार पौधे हैं तैयार

एक बीज से एक पौधा नहीं, अब टिशू से उगा रहे 9 पौधे, पनपने की संभावना 90%, तीन माह में होंगे 3 फीट के

बिल्कुल प्रजाति पर भी हो रहा काम, समय सम्मान, लेकिन संख्या क्लोनिंग में ज्यादा

20 हजार पौधे के ऑर्डर मिल चुके

हागा रसच : 37 साल म 36 लाख पेड़

भोपाल में विकसित हुई नई बायोडायवर्सिटी

राजधानी के पर्यावरण पर प्रभाव का पहली बार होगा असेसमेंट

भोपाल. राजधानी की हरियाली और तालाब यहां आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहां इमारतों सिंगों में लगाए हर प्रजाति के पशु-मवेशी और उपयोग जानियों का घर है। यहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ, 37 साल में 36 लाख पेड़ लगाए गए, इससे जानवरों में हुए बदलाव के साथ ही बायोडायवर्सिटी विकसित हुई। नई बायोडायवर्सिटी पर्यावरण वालियों समाधान एक सर्वे करा रहा है। सर्वे एक साल तक चलेगा।

वनमंडल पीसीसीएफ के अनुसार का अनुमान है कि भोपाल जिले में पौधरोपण से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर क्या प्रभाव को भी जान सकेंगे। साथ ही पौधरोपण से कार्बन, ऑक्सीजन और तालाबों में हुए प्रभावों का भी आकलन किया जाएगा।

पौधों की विविधता

जिस ने बताया कि भोज वैटलैंड में पौधों की जैवविविधता पाई जाती है। सर्वे में अध्ययन के लिए करीब 4 लाख पेड़ होने का अनुमान है। इसमें राजधानी के 12 वार्ड में फैली जैवविविधता का भी अध्ययन होगा। पौधरोपण से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर क्या प्रभाव को भी जान सकेंगे। साथ ही पौधरोपण से कार्बन, ऑक्सीजन और तालाबों में हुए प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा।

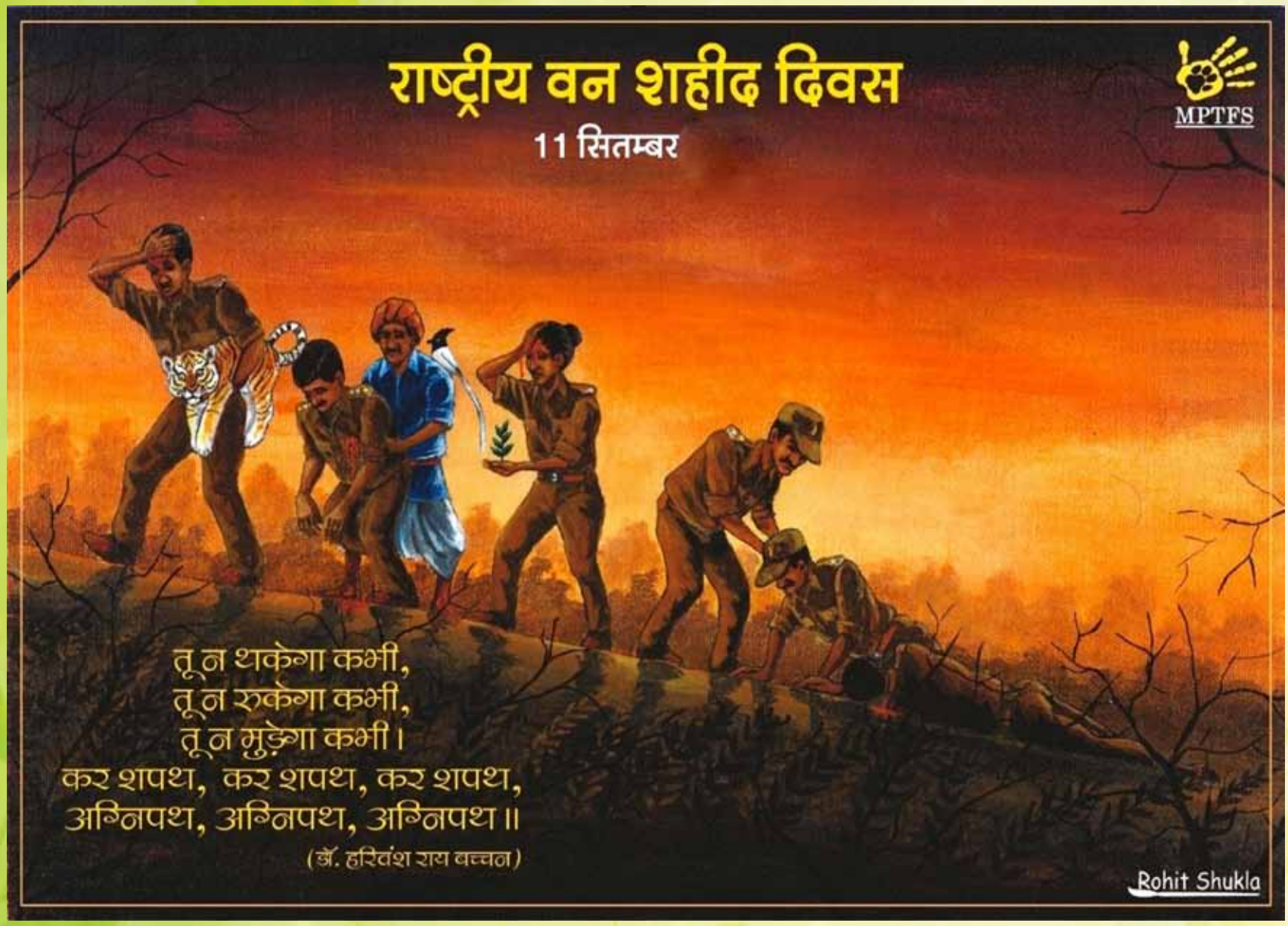
राष्ट्रीय वन शहीद दिवस
11 सितम्बर
MPTFS
तू न थकेगा कभी,
तू न रुकेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी।
कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ,
अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ॥
(डॉ. हरिवंश राय बच्चन)
Rohit Shukla

एक पौधा लगाएं, क्योंकि...

50 साल में एक पेड़ हमारे इतने काम आता है

17.50 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन

41 लाख रुपए के पानी की रिसायक्लिंग।

300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक वयस्क व्यक्ति द्वारा जीवन भर में फैलाए गए प्रदूषण को

35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण

3% के लगभग तापमान कम करता है।

3 किलो कार्बनडायआक्साइड सोखता है हर साल

18 लाख रुपए के जमीन के कटाव खर्च पर रोक

विभिन्न गतिविधियां कार्टूनिस्ट की नजर में

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
चरण पादुका योजना अंतर्गत सामग्री वितरण

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर मिशन लाईफ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा 1 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

Published by : APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.
Printed by : Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.
Printed at : Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1, M P Nagar, Bhopal
Published at Room No. A-30, 3rd Floor, Prachar Prasar Prakosth, Van Bhawan, Bhopal, M.P
Email : dcfpracharprasar@mp.gov.in, Contact No. 0755-2524293, Editor : Dr. U.K. Subuddhi, APCCF (Development)